सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

44वीं वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद

वार्षिक रिपोर्ट
(1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023)

नई दिल्ली

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092
Phone: 011-42448841, 9810519841

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई*

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त**	–	–
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप–धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आजकाल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जयशंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाद्दाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

* राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 17.06.2022 के जरिये अधिसूचित

** श्री विनोद के. जोस, जिन्हे राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 06.10.2021 के जरिये सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ने 23.10.2021 को त्यागपत्र दे दिया, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (5) के अनुसरण में 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिल नाडू
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}		
रिक्त*	–	–
रिक्त*	–	–
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र फेडरेशन और छोटे–मध्यम–बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र फेडरेशन	आकाश दीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचारपत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचारपत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
रिक्त**	राज्य सभा	

सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ

* इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।

** डॉ. के. केशव राव, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत, परिषद के सदस्य नहीं रहे।

विषयसूची

प्राक्कथन		ix
वर्ष के मुख्य आकर्षण		1
अध्याय I	परिषद की भूमिका और कार्य	8
अध्याय II	संक्षिप्त विवरण (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023)	10
अध्याय III	प्रेस की स्थिति	23
अध्याय IV	जम्मू और कश्मीर में मीडिया की स्थिति पर रिपोर्ट	51
अध्याय V	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	88
अध्याय VI	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	100
अध्याय VII	परिषद का वित्त (2022–23)	114
संलग्नक		
क	मामलों का विवरण (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक)	140
ख	प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की सूची (2022–23)	141
ग	न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 17.06.2022	142
घ	प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची (2022–23)	143
ङ	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची (2022–23)	145
च	न्यायनिर्णयों का आलेख (2022–23)	150

छ	प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची	151
ज	प्रेस के खिलाफ दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची	152

प्राक्कथन

मैंने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून, 2022 में कार्यभार संभाला। इससे पहले, मेरा प्रेस से कोई सीधा संबंध नहीं था। मैंने यहां जो समय बिताया है, उससे मुझे प्रेस की अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ है। यह बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने, ज्वलंत घटनाओं और मुद्दों के बारे में जनता को सूचित करने और शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पत्रकारिता का पेशा निस्संदेह चुनौतीपूर्ण और जोखिमों से भरा है। आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं और यहां तक कि विरोध प्रदर्शनों की घटनाओं को कवर और रिपोर्टिंग करते समय कई पत्रकारों को चोटें आई हैं और यहां तक कि उनकी जान भी चली गई हैं। पत्रकारिता के पेशे से जुड़े जोखिम शारीरिक नुकसान से भी ज्यादा हैं। इन दर्दनाक घटनाओं को देखने और उनपर रिपोर्टिंग करने से पत्रकारों की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने, पत्रकारों द्वारा प्राकृतिक आपदा को कवर करते समय जीवन के जोखिम को कम करने के लिए, प्राकृतिक आपदा के बीच रहकर समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक उप–समिति का गठन किया। परिषद ने पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं का *स्वतः संज्ञान* लिया और ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित सरकारों को सूचित किया।

भारतीय प्रेस परिषद को प्रेस के विरुद्ध एवं प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों को संबोधित करने का कार्य सौंपा गया है। हालाँकि, आज पत्रकारिता के लिए कष्टकारी कई मुद्दे हैं, जैसे पेड समाचार, फर्जी समाचार, सनसनीखेज़ समाचार, और अशिष्ट/अश्लील विज्ञापन, साथ ही ऐसी खबरें जो सांप्रदायिक तनाव भड़काती हैं। प्रेस परिषद के रूप में, हम अपनी निर्णायक और परामर्शी भूमिका के माध्यम से, पत्रकारिता के मानकों में सुधार करने और नैतिक उल्लंघनों के लिए प्रेस को जवाबदेह बनाने का प्रयास करते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों के दौरान, जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और परामर्शिकाएँ जारी की गईं।

भारत में स्वतंत्र और जवाबदेह प्रेस का जश्न मनाने के लिए, 16 नवंबर पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अवसर, भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में मीडिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कराता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022 'राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका' विषय पर केन्द्रित था। इस अवसर पर, परिषद द्वारा दिए गए न्यायनिर्णयों के आधार पर, अद्यतन किए गए पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 संस्करण भी जारी किया गया।

मीडिया जगत में सत्य की खोज, अटूट सत्यनिष्ठा और नैतिक रिपोर्टिंग की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, पत्रकारों के उल्लेखनीय योगदान को पहचानना और उसका जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रेस परिषद, देश भर में ऐसे असाधारण पत्रकारिता कार्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन करती है। कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण, वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदान नहीं किए जा सके। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पुरस्कार देने संबंधी निर्णय लिया गया। ग्रामीण पत्रकारिता से लेकर खेल संबंधी रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में ग्यारह पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया।

यह वार्षिक रिपोर्ट, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद द्वारा किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि पूरे वित्तीय वर्ष में परिषद के कार्यों का लेखा–जोखा दे रही यह रिपोर्ट पाठकों के लिए सूचनाप्रद और मूल्यवान सिद्ध होगी।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

नई दिल्ली
दिनांकः 31.03.2023

वर्ष के मुख्य आकर्षण

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 16 नवंबर, 2022 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में ***"राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका"*** विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022 मनाया गया।

इस अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि थे और माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, डॉ. एल. मुरुगन विशिष्ट अतिथि थे। प्रख्यात पत्रकार, श्री स्वपन दासगुप्ता ने मुख्य व्याख्यान दिया और भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की।

बाएं से दाएं: श्री नंगसंग्लेम्बा आओ, सचिव, भारतीय प्रेस परिषद; न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद; श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री; डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी; श्री स्वपन दासगुप्ता, प्रख्यात पत्रकार

दीप प्रज्ज्वलन समारोह की एक झलक

श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 का विमोचन करते हुए

उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 के प्राप्तकर्ता। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 28 फरवरी, 2023 को पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया

दिनांक 15 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में परिषद की बैठक

दिनांक 28 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में परिषद की बैठक

संविधान दिवस समारोहः परिषद के कर्मचारी प्रस्तावना (Preamble) की शपथ लेते हुए

पत्रकारिता के छात्रों ने 16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023 तक आयोजित शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 में भाग लिया

मालदीव मीडिया काउंसिल (एमएमसी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ अंतः संवाद (इंटरैक्टिव) सत्र

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2023 को सचिवालय का दौरा

परिषद के सचिवालय में योग दिवस, 2022 समारोह

परिषद के सचिवालय में हिंदी दिवस समारोह

अध्याय–I
परिषद की भूमिका और कार्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध–न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी पुनः स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतन्त्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचारपत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों के स्तर को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई है। इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत समान दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित किया गया था। हालांकि 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया था और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, इसी तर्ज़ पर 1965 के अधिनियम के रूप में एक नया अधिनियम बनाया गया और इसके तहत वर्ष 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई।

परिषद एक निगमित निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसमें अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें (राज्य सभा) के सभापति, (लोक सभा) के अध्यक्ष (स्पीकर) तथा परिषद के अट्ठाईस (28) सदस्यों में से ही उनके द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति होता है। अट्ठाईस (28) सदस्यों में से तेरह (13) श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से छः (6) समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष सात (7) संपादकों से भिन्न अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। छः (6) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जोकि समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या समाचारपत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं, दो (2) सदस्यों में से प्रत्येक बड़े, मध्यम व छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। एक (1) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होता है जोकि समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते है। इसके पांच (5) सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीन (3) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और दो (2) राज्य सभा के सभापति द्वारा पाठकों की अभिरूचि/जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाते हैं। इसके तीन (3) सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है जो क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है जिसमें यह स्व–प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकती है और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त कर सकती है। जन–महत्त्व के मामलों में भी अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद, *स्वप्रेरणा से* संज्ञान ले सकती है और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

अधिनियम की धारा 13 के तहत परिभाषित अपने उद्देश्यों में आगे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने आवश्यक है, उसमें समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना है; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रूचि के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे और उनमें अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; ऐसी किसी घटना पर नज़र रखना जिसमें लोक रूचि और लोक महत्त्व के समाचारों के प्रचार–प्रसार को रोकने की संभावना हो; समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में लगे हुए सभी श्रेणियों के लोगों में समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना; और ऐसी किसी घटना जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या अन्य पहलुओं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करना।

इस निकाय का *उद्देश्य* इस संकल्पना में निहित है कि एक लोकतान्त्रिक समाज में, प्रेस का भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना ज़रूरी है। अतः यह नैतिक मूल्यों और मानकों के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप आचार संहिता तैयार करती रही है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में की एक नई भावना को जगाना है। परिषद लगातार जांच करती रहती है कि प्रेस अनैतिक लेखन से दूर रहे और परिषद अपने नैतिक प्राधिकार के कारण भी पत्रकारिता जगत में नीतिशास्त्र की भावना भरती है जो सदैव कानून से बढ़कर होती है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्यायनिर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरूद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों का उल्लंघन या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कार्य किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को जैसाकि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट है, किसी भी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी, जैसी वह उचित समझें, करने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत, परिषद का निर्णय अंतिम होता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

परिषद, संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के कारण, अपने फंड्स का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, हालांकि इसके पास अपने फंड्स भी होते हैं जो समाचारपत्रों से उनकी ग्रेडेड संरचना के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित किया जाता है।

****

अध्याय–II

संक्षिप्त विवरण
(1 अप्रैल, 2022–31 मार्च, 2023)

परिषद की कार्यप्रणाली

प्रेस परिषद विनियम, 1979 (बैठकों और कार्य संचालन की प्रक्रिया) के विनियम 3 के अनुसार किसी एक वर्ष में परिषद की साधारण बैठकें चार से कम नहीं होगी और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल सामान्यतः चार माह से अधिक नहीं होगा । तदनुसार, परिषद ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार (4) पूर्ण परिषद की बैठकें कीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसार, परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निष्पादन के लिए, परिषद को सौंपे गए कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों में से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय–समय पर समितियों का गठन करती है। अपने कार्य निष्पादन के लिए, प्रेस परिषद के सम्मुख दर्ज़ शिकायतों की जांच करने और तदनुसार संस्तुतियां देने के लिए, परिषद, जांच समितियों का गठन करती है। परिषद के अध्यक्ष जांच समितियों की अध्यक्षता करते हैं।

जांच समिति I और II का गठन दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को परिषद के XIV वें कार्यकाल के सदस्यों में से किया गया था। दो जांच समितियों की संरचना का विवरण निम्नानुसार हैः

जांच समिति–I	जांच समिति–II
1. डॉ. के. केशव राव*	1. प्रो. जे.एस. राजपूत
2. श्री किंगशुक प्रमाणिक	2. श्री शैलेंद्र दुबे
3. श्री माधव कौशिक	3. डॉ. बलदेव राज गुप्ता
4. श्री. अंकुर दुआ	4. श्री प्रकाश दुबे
5. डॉ. ख़ैदेम अथौबा मीतेई	5. डॉ. सुमन गुप्ता
6. सुश्री आरती त्रिपाठी	6. श्री अंशु चक्रवर्ती

** डॉ. के. केशव राव, परिषद की निरंतर तीन बैठकों अर्थात, 26.10.2021, 16.11.2021 और 08.08.2022 में शामिल नहीं होने के कारण प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत, परिषद के सदस्य नहीं रहे।*

जांच समिति–I	जांच समिति–II
7. श्री जय शंकर गुप्ता	7. श्री गुरिंदर सिंह
8. श्री गुरबीर सिंह	8. श्री श्याम सिंह पंवार
9. श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	9. श्री जी. सुधाकर नायर
10. श्री एल.सी. भारतीय	10. श्री प्रजनानंद चौधुरी
	11. श्री विनोद कोहली
	12. श्री राकेश सिन्हा (सांसद)

जांच समितियां परिषद में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच शुरू करके परिषद के कार्य की बड़ी मात्रा का दायित्व सँभालती हैं और प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली या प्रेस द्वारा नैतिक स्तरों को बनाए रखने से संबन्धित गंभीर महत्व के मामलों में परिषद द्वारा *स्वतः संज्ञान* भी लिया जाता है। जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है। मामलों के पक्षकारों को मौखिक या दस्तावेजी प्रासंगिक साक्ष्य, प्रस्तुत करने/देने की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिवक्ताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति होती है। जांच समिति संबंधित जांच समाप्त करते समय पक्षकारों द्वारा दिए गए अभिलेखों और मौखिक निवेदनों पर विचार करती है और जांच किए गए मामलों के संबंध में, अंतिम निर्णय के लिए, परिषद को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करती है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान समितियों ने नौ (9) बैठकों में कुल चालीस (40) मामलों पर विचार किया और उक्त मामलों पर न्यायनिर्णय हेतु परिषद को संस्तुतियां प्रस्तुत की।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जिन महत्वपूर्ण उप–समितियों का गठन किया गया –

1. दिनांक 22.09.2022 को प्रत्यायन पर उप–समिति का गठन किया गया।
2. प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में दिनांक 22.09.2022 को उप समिति का गठन किया गया।

परिषद की रिपोर्ट

1) जम्मू और कश्मीर में मीडिया की स्थिति पर रिपोर्टः रिपोर्ट को दिनांक 22.09.2022 को परिषद में बहुमत द्वारा अंगीकार किया गया, जबकि माननीय अध्यक्ष और दो सदस्यों, अर्थात, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत और श्री प्रजनानंद

चौधुरी की असहमति दर्ज की गई। (रिपोर्ट को अध्याय–IV में कवर किया गया है)।

स्व–प्रेरणा से संज्ञान

अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने, मीडियाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के संबंध में इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित मामलों में *स्व–प्रेरणा* से संज्ञान लिया :–

1. ओडिशा के नबरंगपुर जिले में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले की घटना पर।
2. पत्रकार श्री शशिकांत वारिशे, रत्नागिरी, महाराष्ट्र की कथित हत्या की घटना पर।
3. पत्रकार श्री संजय राणा, संभल, उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी की घटना पर।
4. कानपुर क्षेत्र में 'ब्लॉक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी' चुनाव के लिए मतगणना के दौरान गणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की जिला प्रशासन की कथित कार्रवाई पर।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता नीति और सार्वजनिक रुचि के मानकों के उल्लंघन के लिए समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ *स्वतः संज्ञान भी* लिया।

1. कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र 'विश्ववाणी' में भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी के प्रकाशन पर।
2. परिषद के दिनांक 15.11.2022 के न्यायनिर्णय के संबंध में भ्रामक सुर्खियों और सामग्री प्रकाशित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के कई संस्करणों में प्रकाशन पर।
3. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रेस परिषद द्वारा तैयार किये गए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दीना थांथी समाचारपत्र, मदुरई संस्करण के विरुद्ध।
4. हिन्दुस्तान, दिल्ली संस्करण के विभिन्न संस्करणों में अश्लील एवं अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन पर।

संदर्भ मामले, जिनपर वर्ष 2022–2023 के दौरान परिषद द्वारा विचार किया गया

1. **हिंसक जन आंदोलन की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजीकृत CWP-OIL-79/2019-Court के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वयं के प्रस्ताव बनाम पंजाब और अन्य का संदर्भ। (फाइल सं.– 17/10/2022)**

परिषद ने अवलोकन किया कि हिंसक जन आंदोलन की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए व्यापक दिशानिर्देश परिषद द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता के आचरण के मानकों में पहले से ही सम्मिलित हैं और सचिवालय ने उन्हें दिनांक 12.05.2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। परिषद ने इस पर गौर किया और इसे मंत्रालय के समक्ष दोहराने का निर्णय लिया।

2. **प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करना। (फाइल सं.– 17/1/2022)**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ग्राउंड ज़ीरो से बचाव अभियान की कवरेज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले मीडियाकर्मियों के लिए दिशानिर्देश/एसओपी तैयार करने के संबंध में श्री राधाकांत त्रिपाठी की दिनांक 25.09.2021 की शिकायत को अग्रेषित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त संदर्भ को अग्रेषित किया।

इस मामले पर विचार करने पर, इस मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए परिषद को एक उप–समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इन परिस्थितियों में परिषद के तीन सदस्यों की एक उप–समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3. **यौनकर्मियों पर समाचार रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करने के संबंध में दांडिक अपील संख्या 135/2010 बुद्धदेव कर्मस्कार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त संदर्भ। (फाइल सं.– 17/11/2022)**

इस मुद्दे पर परिषद द्वारा विचार–विमर्श किया गया और माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के संगत अंश के आधार पर निम्नलिखित मानक तैयार किए गए: –

: –"मीडिया अत्यधिक सावधानी बरते कि यौनकर्मियों, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो, की गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियानों के दौरान उनकी पहचान प्रकट न हो, और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करें, जिससे ऐसी पहचान प्रकाश में आ जाए। इसके अलावा, आईपीसी की नई धारा, 354 सी, , जिसके तहत ताक–झांक दांडिक अपराध है, का मीडिया द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान की आड़ में, यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ ली गईं तस्वीरें प्रकाशित/प्रसारित न की जायें।"

उपर्युक्त उल्लिखित मानक को पीसीआई के पत्रकारिता के आचरण के मानक–2022 में शामिल किया गया, जिसे 16 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022 के अवसर पर जारी किया गया। इसके अलावा, मानक के आधार पर परामर्शिका भी जारी की गई।

4. फर्जी समाचारों से निपटने की रणनीति और प्रयासों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र। (फाइल सं.– 17/27/19–20)

फर्जी समाचारों से निपटने की रणनीति और प्रयासों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र पर विचार करते हुए, परिषद के 13वें कार्यकाल के दौरान एक उप–समिति का गठन किया गया। परिषद ने, उपसमिति के कार्यवृत्त पर विचार करते हुए, निम्नलिखित कुछ संशोधनों के साथ संस्तुतियों को अंगीकार करने का निर्णय लिया:–

(i) विशेष रूप से फर्जी समाचारों के मुद्दे से निपटने के लिए एक ही संगठन होना चाहिए।

(ii) किसी भी समाचार लेख को प्रकाशित करने से पहले समाचार मीडिया संगठन के भीतर ही "तथ्य जाँच तंत्र" होना चाहिए।

(iii) सरकार से यह संस्तुति की जा सकती है कि वह फर्जी खबरों के प्रकाशन के परिणामों के संबंध में मीडिया जगत के बीच जागरूकता पैदा करे।

(iv) सरकार से यह संस्तुति की जा सकती है कि मीडिया काउंसिल के गठन तक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित फर्जी समाचारों के मुद्दे को भारतीय प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है।

(v) सरकार से यह संस्तुति की जा सकती है कि वह फर्जी समाचारों के सृजन/स्रोत बिंदु की पहचान करने के लिए प्रभावी तंत्र का परिपालन करे।

(vi) शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मीडिया अध्ययन को शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी संस्तुति भेजी जा सकती है।

परिषद के प्रेक्षण को दिनांक 08.12.2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया।

5. पत्रकारों/मीडियाकर्मियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी सुविधाओं से समाचारपत्रों और समाचार चौनलों के समाचार योगदानकर्ताओं को वंचित करने के संबंध में श्री गणेंद्र नाथ बंद्योपाध्याय से प्राप्त संदर्भ (फाइल सं.– 17/12/2022)

परिषद ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांकित 20.05.2022 द्वारा अग्रेषित किए गए मामले पर विचार किया। चूंकि मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दायरे में आता है, इसलिए इसे संबंधित मंत्रालय को इस आश्वासन के साथ अग्रेषित कर दिया गया कि भारतीय प्रेस परिषद इस कार्य में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अपेक्षित सहायता प्रदान करेगी।

6. श्री वी. विजयसाई रेड्डी, सांसद द्वारा "प्रेस (संशोधन) विधेयक, 2022" पर निजी सदस्यों के विधेयक के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र (फाइल सं.– 17/18/2022)

इस संबंध में, परिषद ने प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में दिनांक 03.06.2021 को पारित अपने पूर्व प्रस्ताव को दोहराया और उसे मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया। प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

"सरकार को इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य मीडिया को शामिल करते हुए प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव देना। जब भी ऐसा कानून का प्रस्ताव हो, तो परिषद के विचार प्राप्त किए जाएंगे।"

7. श्री सुनील कुमार सिंह, सांसद द्वारा धर्म विधेयक, 2022 पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध पर निजी सदस्य विधेयक के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र (फाइल सं.– 17/17/2022)

इस संबंध में, पूर्ववर्ती परिषद (13वीं सेवावधि) ने दिनांक 27.05.2021 को इसी तरह के 'धर्म विधेयक, 2021 पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध' नामक विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था, जिसे श्री अजय भट्ट, सांसद द्वारा पेश किया गया था:

"परिषद का सर्वसम्मति से यह मानना है कि विधेयक के प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर कर देंगे। तदनुसार, यह संस्तुति की जाती है कि इसे अस्वीकार कर दिया जाए।"

परिषद ने उसी विचार को दोहराया और उसी प्रस्ताव को सरकार को अग्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया। तदनुसार, परिषद द्वारा की गई संस्तुति को दिनांक 29.11.2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित कर दिया गया।

8. टीवी धारावाहिकों, रियलिटी शो, फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म में बच्चों की भागीदारी को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश। (फाइल सं.– 17/16/2022)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्र संख्या एस–5011/8/2022–प्रेस दिनांकित 27.07.2022 और 31.08.2022 के माध्यम से, मनोरंजन उद्योग या किसी व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि में बाल भागीदारी के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से प्राप्त संदर्भ को पीसीआई की टिप्पणियों हेतु अग्रेषित किया था।

इस मामले पर परिषद द्वारा चर्चा की गई और इसने नियामक दिशानिर्देशों के मसौदे की धारा 18 और 19 की सामग्री पर अपनी सहमति व्यक्त की, जो क्रमशः "समाचार और मीडिया में बच्चे" और "विज्ञापन में बच्चों के उपयोग" से संबंधित हैं।

परिषद द्वारा जारी की गई परामर्शिकाएँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने सरकार या अन्य अधिकारियों द्वारा उसे भेजे जाने वाले मामलों या पत्रकारिता नीति से संबंधित अन्य मामलों पर विभिन्न परामर्शिकाएँ जारी कीं। प्रिंट मीडिया को निम्नलिखित परामर्शिकाएँ जारी की गईं–

1. परिणामों की भविष्यवाणी के संबंध में ईसीआई (भारतीय निर्वाचन आयोग) की परामर्शिका संख्या 491/मीडिया नीति/2022/पत्र दिनांकित 29.11.2022 में निर्धारित निदेशों का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया को जारी की गई परामर्शिका।
2. विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान पेड समाचार को लेकर पत्रकारिता के आचरण के मानक – 2022 का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया को जारी की गई परामर्शिका।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126ए का उल्लंघन नहीं करने हेतु प्रिंट मीडिया को जारी की गई परामर्शिका।

4. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.09.2022 के संदर्भ में पीड़ितों की पहचान और उनके बयान के संबंध में कोई भी जानकारी प्रकाशित न करने हेतु मीडिया को जारी की गई परामर्शिका।

परिषद के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 1138 शिकायतें दर्ज की गई । इनमें से 273 शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के विरूद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और 865 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरूद्ध थीं। पिछले वर्ष के 1146 लंबित मामलों के साथ, परिषद द्वारा निपटान के लिए कुल 943 मामले थे, जिनका निपटान वर्ष के दौरान न्यायनिर्णय के माध्यम से या, अध्यक्ष महोदय की मध्यस्थता से निपटान के कारण या जांच के लिए पर्याप्त आधारों की कमी के कारण या जारी न रखे जाने पर, वापिस लिए जाने पर या मामलों के न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा संक्षेप में निपटान के माध्यम से किया गया। 1 मामला न्यायनिर्णयन के लिए सीधे परिषद के समक्ष रखा गया। शिकायतों को दर्ज़ करने और उनके निपटान तथा न्यायनिर्णयन के संबंधित ग्राफ का विस्तृत विवरण अनुलग्नक–क पर है ।

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023

परिषद के अस्तित्व और उसके अधिदेश के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और पत्रकारिता वृत्तिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने एवं उनके ज्ञानवर्धन के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख), (ग), और (घ) के अनुसार, परिषद के कार्यों के निर्वहन में परिषद ने पत्रकारिता के छात्रों के लिए योग्यता आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। इस तिमाही में, परिषद ने 16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023 की समयावधि के लिए तीसरी शीतकालीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

पत्रकारिता के छात्रों को आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी को अवसर देने और पैन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को योग्यता और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के लिए दस (10) इंटर्न का चयन किया गया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022ः

परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022 नई दिल्ली में मनाया गया। माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय राज्य मंत्री,

सूचना और प्रसारण एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, डॉ. एल. मुरुगन क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित हुए। प्रख्यात पत्रकार, श्री स्वपन दासगुप्ता ने मुख्य व्याख्यान दिया और माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय 'राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका' था। कई राज्यों ने भी इस दिवस को उपयुक्त ढंग से मनाया।

पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण, 2022:

उच्च वृत्तिक स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने में प्रिंट मीडिया की सहायता करने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अनुसार परिषद को एक आचार संहिता बनाने का आदेश दिया गया है।

इस दृष्टि से, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 संस्करण को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर 16 नवंबर, 2022 को अद्यतन करके जारी किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 का 28 फरवरी, 2023 को आयोजन

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष ने दस (10) श्रेणियों में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 प्रदान किए:

1. **डॉ. ऐने भवानी कोटेश्वर प्रसाद,** प्रख्यात पत्रकार और लेखक को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु, प्रतिष्ठित **राजा राम मोहन रॉय** उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
2. **श्री रोहिताश्व कुमार वर्मा** को "**ग्रामीण पत्रकारिता**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
3. **श्री रोहन दुआ** को "**संघर्ष क्षेत्र से रिपोर्टिंग**" की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
4. **श्री शंकर पामार्थी** को "**सर्वोत्तम समाचारपत्र कलाः कार्टून, व्यंग्य–चित्र एवं दृष्टांत**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
5. **श्री इजहार आलम** को "**फोटो पत्रकारिता–एकल समाचार चित्र**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।
6. **श्री भानु प्रकाश** को "**फोटो पत्रकारिता–फोटो फीचर**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

7. **सुश्री मिनी पी. थॉमस** को "**खेल–कूद संबंधी रिपोर्टिंग/खेल फोटो फीचर**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

8. **सुश्री रेम्या के एच** और **श्री सैयद फाजिल हुसैन परवेज़** को "**विकास संबंधी रिपोर्टिंग**" श्रेणी में संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया।

9. **श्री रुद्रन्ना हरथिकोटे** को "**वित्तीय रिपोर्टिंग**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

10. **सुश्री निलीना अथोली** को "**लैंगिक मुद्दों संबंधी रिपोर्टिंग**" श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

कार्यालयीन कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने अपने राजकीय उपयोग में हिंदी के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित (त्रैमासिक) बैठकें कार्यालय में हर तिमाही में आयोजित की गईं।

इस वर्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 14–15 सितम्बर, 2022 को सूरत (गुजरात) में किया गया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वहां भारतीय प्रेस परिषद का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में विचार–विमर्श के दौरान लोगों को हिंदी भाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष रूप से बल दिया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद के कर्मचारियों के लाभ के लिए परिषद में राजभाषा संबंधी चार(4) कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 14 सितंबर पूरे भारत में "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह, हिंदी के प्रयोग पर बल देने के लिए, परिषद के सचिवालय में दिनांक 14 सिंतबर, 2022 से 28 सिंतबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 29 सितंबर, 2022 को मनाया गया। इस अवसर पर, सचिव, श्री नंगसंग्लेम्बा आओ ने परिषद के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान, स्लोगन–लेखन प्रतियोगिता के साथ–साथ भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को कार्यालय के काम में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए 'हिंदी प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी) की तर्ज़ पर वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) के प्रकाशन और तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रेस परिषद समीक्षा' के प्रकाशन के अलावा, न्यायनिर्णयों, और अधिकथनों को हिंदी में रिकॉर्ड किया गया और उन्हें सार्वजनिक किया गया।

परिषद में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निरीक्षण किया गया। मंत्रालय ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग की सराहना की।

पारदर्शिता तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद का सतर्कता तंत्र, जिसमें उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सीधे ही सचिव (सीवीओ) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य किया। इसने सचिवालय में किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने और उनका मुक़ाबला करने के लिए नियमित और आकस्मिक जांच की। परिषद के सचिवालय में 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 मनाया गया।

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक और बाह्य स्तर पर स्थापित है। इसमें शिकायत निदेशक– सचिव, पीसीआई, शामिल हैं । व्यथित आम लोग, जो अपनी शिकायतों के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच बुधवार को ऐसा कर सकते हैं। **स्टाफ से संबंधित शिकायतों को परिषद के स्टाफ शिकायत अधिकारी द्वारा देखा जाता है।**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिषद को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 180 आवेदन प्राप्त हुए और समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी का निपटारा कर दिया गया।

सदस्यता की समाप्ति

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के अनुसार राज्यसभा सांसद, डॉ. के. केशव राव की सदस्यता समाप्त हो गई।

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या

उक्त अधिनियम की धारा 8(ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया के साथ वैकल्पिक सदस्यों के रूप में श्री जयशंकर गुप्ता और श्री गुरिंदर सिंह की दो न्यायपीठीय बोर्ड ने निर्णय लिए। अपील बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान चार (4) बैठकें कीं और आठ (8) अपीलों का निपटान किया। अपीलों का विवरण **अनुलग्नक–घ** पर है।

परिषद की वेबसाइट

परिषद की नई पुनः निर्मित वेबसाइट को दिनांक 8 अगस्त, 2022 को माननीय अध्यक्ष द्वारा कॉन्फ्रेंस हॉल, तीसरी मंजिल, सूचना भवन, नई दिल्ली में परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति में पुनः लॉन्च किया गया। वेबसाइट को भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू दिशानिर्देश) के अनुसार पुनः विकसित किया गया है। वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों के साथ इसे नया रूप दिया गया।

समीक्षाधीन अवधि में परिषद द्वारा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ की गईः

मालदीव मीडिया परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित अंतः संवाद (इंटरएक्टिव) सत्र

माननीय विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, प्रेस परिषद द्वारा मालदीव मीडिया परिषद (एमएमसी) से जुड़े संपादकों और पत्रकारों के लिए अंतः संवाद (इंटरएक्टिव) सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस, नोएडा के सहयोग से 24 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रेस परिषद के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित किया गया था।

स्वच्छता अभियान

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 2 अक्तूबर,2022 से 31 अक्तूबर, 2022 के दौरान स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन किया गया, जिसके दौरान पीसीआई द्वारा पुराने रद्दी सामान को हटाने व फाइलों/पुराने रिकॉर्ड की छँटाई से संबंधित कार्य किया गया। 2 अक्तूबर, 2022 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक सफाई अभियान चलाया गया और सम्बद्ध तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की गईं।

योग दिवस, 2022 का आयोजन

परिषद ने 21 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। दिन की शुरुआत योग सत्र के साथ हुई, जिसके बाद "दैनिक जीवन में योग का महत्व" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई।

संविधान दिवस, 2022 का आयोजन

परिषद में दिनांक 25 नवम्बर, 2022 को संविधान दिवस मनाया गया। इस दिन, परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया, सचिव महोदय, अधिकारी एवं कर्मचारीगण प्रातः 11.00 बजे परिषद के सभाकक्ष में एकत्रित हुए तथा भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की एवं भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रदान करने की शपथ ली। भारतीय प्रेस परिषद परिसर के प्रत्येक तल के प्रमुख स्थानों पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) को हिंदी और अंग्रेजी में लगाया गया।

विश्व रक्तदाता दिवस, 2022 का आयोजन

14 जून, 2022 को परिषद में विश्व रक्तदाता दिवस, 2022 मनाया गया। पीसीआई परिसर में "विश्व रक्तदाता दिवस" संबंधी बैनर लगाए। कर्मचारियों ने नियमित रूप से रक्तदान करने और अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और जनता के बीच नियमित, स्वैच्छिक रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर, रक्तदान के महत्व को दर्शाने वाले पैम्फलेट भी व्यापक प्रसार के लिए परिषद के सभी कर्मचारियों में बांटे गए।

****

अध्याय–III

प्रेस की स्थिति

सरकार और प्रेस

स्वतंत्र प्रेस के बिना मजबूत लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकताः उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल, 2022 को इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र, मुक्त, निरंकुश और निडर प्रेस के बिना जीवित नहीं रह सकता है।

यह सुझाव देते हुए कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए भारत को मजबूत, स्वतंत्र और जीवंत मीडिया की आवश्यकता है, श्री नायडू ने मीडिया में मूल्यों में गिरावट के प्रति आगाह किया।

निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा; "समाचार को विचारों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए"।

बेंगलुरु के प्रेस क्लब में, क्लब की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब कानून के संवैधानिक नियमों को मजबूत करने की बात आती है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका की पूरक होती है।

पहले, पत्रकारिता को एक मिशन माना जाता था, जिसमें समाचार पवित्र थे, नायडू ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि अच्छी पत्रकारिता घटनाओं की निष्पक्ष और सही कवरेज तथा लोगों तक उनके विश्वसनीय प्रसारण पर निर्भर करती है।

खासा सुब्बा राऊ, फ्रैंक मोरेस और निखिल चक्रवर्ती जैसे पहले के कई दिग्गज समाचार संपादकों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कभी भी खबरों को अपनी राय के अनुसार नहीं ढाला और समाचार तथा अपनी राय के बीच की 'लक्ष्मण रेखा' का हमेशा सम्मान किया।

उन्होंने सुझाव दिया कि आज समाचार वृत्तिकों को पत्रकारिता के उन दिग्गजों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और आपातकाल के दौरान, अपना काफी योगदान दिया।

इस बात पर जोर देते हुए कि समाचार विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए, उन्होंने मीडियाकर्मियों को सलाह दी कि वे तथ्यों से कभी समझौता न करें और उन्हें हमेशा, किसी डर या पक्षपात के बिना प्रस्तुत करें।

पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारिता के मानकों में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया के कारण, स्थिति बद से अधिक बदतर हो गई है, "आज, हम समाचारों को लगातार प्रभावित हुआ पाते हैं। इतना प्रभावित कि कभी–कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ घटनाओं की न तो अखबार और न ही टेलीविजन चैनल सटीक तस्वीर देते हैं।"

सार्वजनिक चर्चा के गिरते मानकों पर चिंता व्यक्त करते हुए, नायडू चाहते थे कि राजनीतिक दल विधायिका और सार्वजनिक जीवन में अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता अपनाकर स्वयं को विनियमित करें। उन्होंने जन प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों पर निजी हमले करने से बचें। उन्होंने किसी भी प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए दल–बदल विरोधी कानून पर दोबारा विचार करने का भी आह्वान किया। इस बात पर जोर देते हुए कि सदस्यों को विधानमंडलों में सार्थक तरीके से बहस, चर्चा और निर्णय लेने चाहिए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को संसद और विधानमंडलों में व्यवधान डालने के बजाय, रचनात्मक भाषणों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने सनसनीखेज खबरों और संसद एवं विधानमंडलों में व्यवधान डालने वालों पर अनुचित ध्यान देने के प्रति सावधान किया।

(द स्टेट्समैन, 25 अप्रैल, 2022, नई दिल्ली)

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका की सराहना

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने 25 मई, 2022 को कोविड़–19 महामारी के दौरान, भारतीय मीडिया की भूमिका के लिए, उसकी सराहना की।

17 वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मंत्रीजी ने कहा कि भारतीय मीडिया ने यह सुनिश्चित किया कि देश में प्रत्येक व्यक्ति तक कोविड–19 पर जागरूकता संदेश, महत्वपूर्ण सरकारी दिशानिर्देश और डॉक्टरों के साथ मुफ्त परामर्श पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने तुरंत कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और लोक स्वास्थ्य पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रवृत्ति स्थापित करके, सार्वजनिक सेवा के अपने अधिदेश को पूर्ण किया।

उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य जांच इकाई (फ़ैक्ट चेक यूनिट) को श्रेय देते हुए कहा कि इस मंच ने वास्तव में फर्जी खबरों और गलत सूचना के खतरे का कड़ा मुक़ाबला किया।

(द हिंदू, 26 मई, 2022, दिल्ली)

सरकार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से सहमत नहीं: केंद्र ने संसद से कहा

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 21 जुलाई, 2022 को संसद को सूचित किया कि वह विश्व प्रेस सूचकांक में "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, जिसमें "very low sample size, little or no weightage to fundamental of democracy, adoption of a methodology which is questionable and non & transparent" सहित विभिन्न कारणों से 180 देशों में भारत को 150 वें स्थान पर रखा गया है।

इस मुद्दे पर उच्च सदन में विपक्ष के नेता, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और आप सदस्य, श्री संजय सिंह ने अलग–अलग सवाल पूछे, जिनका राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया।

मंत्री ने कहा कि सरकार, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री ठाकुर ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने और देश में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि पीसीआई प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के संबंध में "प्रेस द्वारा" दर्ज़ की गई शिकायतों पर कार्रवाई करती है।

(द एशियन एज, 22 जुलाई, 2022, नई दिल्ली)

गलत धारणाएं बनने पर मीडिया को अपनी भूमिका का आत्ममंथन करने की जरूरत: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने 21 जुलाई, 2022 को कहा कि अगर गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं, तो मीडिया को अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करने की जरूरत है।

श्री ठाकुर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर एक समारोह में बोल रहे थे। यह भारत में पहले रेडियो प्रसारण, जो वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था, को चिह्नित करने के लिए प्रति वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है।

मीडिया को आगाह करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, 'मीडिया ट्रेल्स' के कथनों से प्राइवेट मीडिया के बारे में गलत धारणा बन रही है, तो हमें अपनी कार्यप्रणाली के बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है।"

(द संडे स्टेट्समैन, 24 जुलाई, 2022, नई दिल्ली)

मीडिया को विनियमित करने के लिए सांविधिक निकाय के गठन हेतु संसदीय पैनल

याचिकाओं पर संसदीय समिति ने 2 अगस्त, 2022 को देश में सभी समाचार और गैर–समाचार मीडिया को विनियमित करने के लिए एक छत्र निकाय (Umbrella body) की स्थापना करने का समर्थन किया और इसके निदेशों को लागू करने हेतु, सरकार से, सांविधिक शक्तियों से लैस मीडिया आयोग की स्थापना के लिए व्यावहारिक अध्ययन कराने को कहा।

एक रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि मौजूदा विधायी और संस्थागत संरचनाएं, जिनमें से अधिकांश स्व–नियामक हैं, केवल मीडिया प्लेटफार्मों पर नैतिक दबाव डाल सकती हैं, लेकिन किसी भी गंभीर उल्लंघन के मामले में प्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती हैं।

"जब तक दोषी मीडिया घरानों के संबंध में कड़े पैनल प्रावधान नहीं किए जाते, तब तक, पर्याप्त कानूनी नियामक ढांचे के बिना, देश में मौजूदा नियामक तंत्र समाज के समक्ष खड़ी मौजूदा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। देश में तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि अब एक एकीकृत नियामक, जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार समाचार और गैर–समाचार मीडिया को सुगम करेगा, को उपयोगी बनाने हेतु, पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण के साथ परस्पर संबंधित पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, समिति ने कहा।"

इसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मीडिया आयोग गठित करने और भारतीय प्रेस परिषद के पुनर्गठन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने को कहा।

समिति ने कहा कि पिछले वर्ष भी उसने सरकार से मीडिया आयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कहा था, लेकिन मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि आज जो भी अलग–अलग नियामक तंत्र मौजूद हैं, वे सभी अद्वितीय और विशिष्ट थे और उन्हें एक नियामक ढांचे के तहत विलय करना वांछनीय नहीं होगा। इस तंत्र में प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस परिषद अधिनियम,1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद को, केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को एवं डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को शामिल किया गया है।

समिति ने मंत्रालय के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की और सभी प्रकार के मीडिया के विनियमों के लिए एकीकृत नियामक सांविधिक निकाय की स्थापना के लिए फिर से अध्ययन कराने को कहा।

(द ट्रिब्यून, 3 अगस्त, 2022, गुरुग्राम)

नये प्रेस विधेयक पर कार्रवाई चल रही है, डिजिटल मीडिया को शामिल करने की अभी कोई योजना नहीं

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रेस और पत्रिकाओं पर आगामी कानून के मसौदे के तहत डिजिटल मीडिया को शामिल करने पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। केंद्र सरकार, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की देखी–अनदेखी करने वाले औपनिवेशिक युग के कानून को अद्यतन करने के लिए 2019 से विधेयक पर काम कर रही है।

यह संकेत देते हुए कि विधेयक पर अभी भी काम चल रहा है, ठाकुर ने हिन्दुस्तान टाइम्स (एचटी) के साथ एक साक्षात्कार में बताया, "नए बिल के तहत डिजिटल मीडिया को शामिल करने का अब तक कोई विचार नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश किए जाने के बाद ही इस संबंध में स्पष्टता सामने आएगी। बिल आने के बाद ही हमें पता चलेगा।"

द रजिस्ट्रेशन ऑफ़ प्रेस एंड पेरियोडिकल्स बिल 2019 में पहली बार पेश किया गया था। द रजिस्ट्रेशन ऑफ़ प्रेस एंड पेरियोडिकल्स बिल, 2022 को संसद के मानसून सत्र के दौरान सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन पेश नहीं किया गया था। नया विधेयक, प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह पर होगा।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत करीब 140,000 समाचारपत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। श्री ठाकुर ने कहा, नए विधेयक का मुख्य फोकस कारोबार करने में सुगमता बढ़ाने और पहले के प्रावधानों का वैधीकरण करने (कानूनी रूप देने) पर होगा।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 26 सितम्बर, 2022, नई दिल्ली)

विरोध को देखते हुए, सरकार ने पीआईबी तथ्य–जांच योजना स्थगित की

आईटी मंत्रालय ने अपनी उन योजनाओं को आस्थगित करने का फैसला किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य प्लेटफार्मों को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य–जांच इकाई (फ़ैक्ट चेक यूनिट) या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा 'फर्जी या गलत' चिह्नित की गई जानकारी को हटाना अनिवार्य होगा।

यह बदलाव एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी के साथ–साथ न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के विरोध के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस प्रकार की कार्रवाई से पीआईबी को व्यापक शक्तियां मिल जाएंगी, जबकि इसके परिणामस्वरूप प्रेस पर सेंसरशिप लग जाएगी।

आक्रोश के बीच, जूनियर आईटी मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 25 जनवरी, 2023 को कहा कि सरकार प्रस्ताव लागू किए जाने से पहले फरवरी की शुरुआत में हितधारकों के साथ

चर्चा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम पर परामर्श समाप्त हो चुका है और अधिसूचना के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 जनवरी, 2023, नई दिल्ली)

पीआईबी ने 3 साल में फर्जी खबरों के 1,100 मामलों का किया भंडाफोडः सदन में बोले ठाकुर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 07 फरवरी, 2023 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट–चेक यूनिट ने अब तक फर्जी खबरों के 1,100 से अधिक मामलों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि पीआईबी ने अपनी स्थापना के बाद से 37,000 से अधिक शिकायतों को काउंटर किया है।

केरल में कांग्रेस के सांसद, के. मुरलीधरन और बेनी बेहनन के फर्जी खबरों पर एक सवाल, कि क्या सरकार ने फर्जी खबरों के मामलों में वृद्धि पर संज्ञान लिया है, जैसा कि एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में दर्शाया गया है, के जवाब में श्री ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया। फर्जी खबरों से निपटने के लिए सरकार के पास वैधानिक और संस्थागत तंत्र हैं, के साथ–ही–साथ, मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के मामलों में सरकार और प्रेस परिषद द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 8 फ़रवरी, 2023, नई दिल्ली)

सरकारः सांविधिक शक्तियों वाली एकीकृत मीडिया परिषद की जरूरत नहीं

सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया कि एकीकृत मीडिया परिषद का गठन वांछनीय नहीं होगा, क्योंकि मीडिया प्लेटफार्मों के पास पहले से ही स्व–नियामक तंत्र हैं। हालाँकि, समिति ने परामर्शिकाओं को लागू करने के लिए सांविधिक शक्तियों के साथ ऐसे ढांचे के गठन की अपनी मांग को दोहराया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे शिव सेना सदस्य, प्रताप जाधव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मीडिया काउंसिल का सुझाव दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय प्रेस परिषद (जो प्रिंट मीडिया को कवर करता है) और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (जो निजी समाचार चौनलों को कवर करता है) द्वारा जारी परामर्शिकाओं को लागू करने की सीमाएं थीं ।

समिति ने कहा कि मंत्रालय को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को शामिल करते हुए, मीडिया काउंसिल की स्थापना की संभावना पर विचार करना चाहिए।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 11 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

समाचारों, विज्ञापनों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति सम्पूर्ण संवेदनशीलता अपेक्षितः मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च, 2023 को कहा कि यह अपेक्षा की जाती है कि मीडिया द्वारा अपने विज्ञापनों, समाचारों और कार्यक्रमों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति "पूर्ण संवेदनशीलता" रखी जाएगी।

नवभारत टाइम्स द्वारा आयोजित ऑल वुमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते हुए, एक वीडियो संदेश में, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसे आचरण को छोड़ दें, जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं।

"इस मौलिक कर्तव्य को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक की सोच महिलाओं के प्रति सम्मानजनक हो। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक आचरण की नींव परिवार में ही रखी जा सकती है," उन्होंने कहा।

माताओं और बहनों को अपने बेटे और भाइयों में महिलाओं को सम्मान देने के मूल्यों को विकसित करना चाहिए और छात्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की संस्कृति को मजबूत करने के लिए शिक्षकों से भी कहना चाहिए, भारत की राष्ट्रपति ने कहा।

राष्ट्रपति भवन के एक वक्तव्य के अनुसार, "राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विज्ञापनों, समाचारों और कार्यक्रमों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखेंगे।"

उन्होंने कहा कि प्रकृति ने महिलाओं को मां बनने का सामर्थ्य दिया है; और जिसमें मातृत्व की क्षमता होती है, उसमें नेतृत्व की क्षमता स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है।

आगे उन्होंने कहा कि तमाम सीमाओं और चुनौतियों के बावजूद, महिलाओं ने अपने अदम्य साहस और कौशल के दम पर सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

(द पायनियर, 13 मार्च, 2023, नई दिल्ली)

मीडिया कल्याण एवं योजनाएँ

त्रिपुरा सरकार ने पत्रकारो के लिए शुरू किया स्वास्थ्य बीमा

त्रिपुरा सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को तीन लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने का फैसला लिया है जिसके वार्षिक शुल्क का 80 प्रतिशत

राज्य वहन करेगा और 20 प्रतिशत पत्रकार को देना होगा। यह फैसला 21 अप्रैल, 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सूचना मंत्री, सुशांत चौधरी ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' और 'राज्य सरकार' की मीडिया समर्थक मानसिकता का 'सूचक' बताते हुए कहा कि जो 21 से 65 वर्ष के सरकारी मान्यता–प्राप्त पत्रकार आयुष्मान भारत जैसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में नामांकित नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। चौधरी ने कहा कि राज्य में इस समय 177 मान्यता–प्राप्त पत्रकार हैं।

(राष्ट्रीय सहारा, 22 अप्रैल, 2022, नई दिल्ली)

उत्तराखंड में पत्रकारों की पेंशन आठ हजार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार की ओर से पत्रकार कल्याण कोष के अधीन दी जाने वाली पत्रकार पेंशन की धनराशि 5000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए करने और प्रदेश के विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग की ओर से आवास की व्यवस्था किए जाने की घोषणा की। दिनांक 19 जून, 2022 को आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित, उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड बोर्ड में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र व छात्रा के साथ स्वास्थ्य, समाजसेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को उत्तराखण्ड पत्रकार यूनियन देवभूमि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया।

(राष्ट्रीय सहारा, 20 जून, 2022, नई दिल्ली)

मानवाधिकार वार्ता में, भारत और यूरोपीय संघ, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने पर सहमत

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने 15 जुलाई, 2022 को मानवाधिकारों पर 10वें दौर की वार्ता की, जिसमें मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों सहित सिविल सोसायटी कर्मियों की आज़ादी, स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चर्चा की, सरकार ने एक बयान में कहा।

भारत और यूरोपीय संघ ने सभी मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस संदर्भ में, मुक्त और लोकतांत्रिक समाज होने के नाते, उन्होंने "समस्त मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता और अंतर्संबंध" पर जोर दिया।

सरकार के अनुसार, वे दोनों, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों सहित सिविल सोसायटी कर्मियों की आज़ादी, स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने के महत्व और संघ एवं शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का सम्मान करने पर सहमत हुए।

"यूरोपीय संघ ने बिना किसी अपवाद के मृत्युदंड देने पर अपने विरोध को दोहराया। भारत ने 'विकास के अधिकार' को एक विशिष्ट, सार्वभौमिक, अविभाज्य और मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने के अपने रुख को दोहराया, जो सभी देशों में सभी लोगों पर लागू होता है।" भारत ने कहा।

"भारत और यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार कानूनों और मानकों के आधार पर मानवाधिकारों से संबन्धित मुद्दों पर अधिक कार्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने मानवाधिकार संस्थानों, सिविल सोसायटी कर्मियों और पत्रकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र को मजबूत करने के महत्व को स्वीकार किया", सरकार ने कहा।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 जुलाई, 2022, नई दिल्ली)

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किया आह्वान

इस वर्ष 70 से अधिक पत्रकारों की हत्या की गई और आज बहुत बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों को बंदी बना लिया गया है, एवं उनके खिलाफ कारावास, हिंसा और मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है, 31 अक्टूबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा। उन्होंने सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है।

गुटेरेस की यह टिप्पणी 2 नवंबर को 'International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists' से पहले आई।

"कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए, गलत कार्यों को उजागर करने, जटिल दुनिया के नैविगेशन और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र प्रेस एक महत्वपूर्ण है।" महा–सचिव ने कहा।

"फिर भी, समाज में इस भूमिका को निभाने के लिए इस वर्ष 70 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। इनमें से अधिकतर अपराध अनसुलझे रह जाते हैं। इसी बीच, आज इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में रखा गया है, उसी समय उनके खिलाफ कारावास, हिंसा और मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है," उन्होंने कहा।

दुष्प्रचार, ऑनलाइन बुलिंग (Bullying) और विशेष रूप से महिला पत्रकारों के खिलाफ घृणास्पद भाषण में वृद्धि का दुनिया भर में मीडियाकर्मियों को दबाने में योगदान है, उन्होंने कहा।

"कानूनी, वित्तीय और अन्य तरीकों के दुरुपयोग के माध्यम से धमकाना शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। ये रुझान न केवल पत्रकारों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा हैं।" उन्होंने कहा।

पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना का उद्देश्य सभी मीडियाकर्मियों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण बनाना है।

(द असम ट्रिब्यून, 1 नवंबर, 2022, गुवाहाटी)

2023 में प्रिंट मीडिया विज्ञापन खर्च 9% बढ़ने की संभावनाः रिपोर्ट

भारत में प्रिंट मीडिया में, विज्ञापन खर्च 2023 में 9% बढ़कर 20,133 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जबकि कुल विज्ञापन व्यय 1 लाख करोड़ पार करने की संभावना है–पिच मैडिसन एडवरटाइजिंग रिपोर्ट (पीएमएआर) 2023 में कहा गया है।

कुल मिलाकर, इस कैलेंडर वर्ष में, देश में विज्ञापन खर्च 16% बढ़ने की संभावना है, जबकि वैश्विक स्तर पर, विज्ञापन उद्योग में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद है–रिपोर्ट में बताया गया है।

पिच मैडिसन एडवरटाइजिंग रिपोर्ट (पीएमएआर) के अनुसार, 2022 में, देश में प्रिंट विज्ञापन, मात्रा के हिसाब से 15% और मूल्य के हिसाब से 11% बढ़कर, 18,470 करोड़ रुपये हो गया। “यह संकेत है कि प्रिंट, मार्केटर्स (विपणनकर्ताओं) को नए लॉन्च, सामयिक संसूचनाओं और सामयिक संदेशों के लिए आकर्षक विकल्प प्रदान करता है”– रिपोर्ट में कहा गया है।

भारत में कुल विज्ञापन व्यय में प्रिंट मीडिया का योगदान 21% है, जबकि वैश्विक औसत 4% है।

पूर्ण रूप से, विज्ञापन व्यय, पिछले वर्ष 2021 में 74,231 करोड़ रुपये से बढ़कर 89,803 करोड़ रुपये हो गया है, जोकि रिपोर्ट में कहा गया है कि दो दशकों में दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक मुनाफा है।

पीएमएआर ने बताया कि पारंपरिक (टीवी एंड प्रिंट) मीडिया सूचकांक में 14% की वृद्धि के मुकाबले, पिछले साल डिजिटल विज्ञापन खर्च में 35% की वृद्धि हुई है।

(द इकोनॉमिक टाइम्स, 16 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

छत्तीसगढ़ में मीडिया सुरक्षा विधेयक पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 22 मार्च, 2023 को राज्य में मीडियाकर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, एक विधेयक पारित किया। छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक–2023 को 22 मार्च 2023 की देर शाम को बहस के बाद, सदन में पारित किया गया। यह छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख

वादों में से एक था। "यह राज्य और विधान सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे मीडिया मित्रों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है", श्री बघेल ने सदन में विधेयक पारित होने के बाद रिपोर्टरों से कहा। विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि पत्रकारों की शिकायतों की जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मीडियाकर्मियों के अलावा राज्य जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त नौकरशाह और अधिकारी शामिल होंगे।

(द एशियन एज, 24 मार्च, 2023, नई दिल्ली)

मीडिया पर हमला

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों पर हमले की निंदा की

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आयोजित, हिंदू महापंचायत की बैठक के दौरान, जिस तरह से पांच पत्रकारों पर हमला किया गया, उसकी निंदा की है।

"ऐसा लगता है कि इसमें, सांप्रदायिक गुंडों के, अपने छिपे हुए एजेंडे पर मीडियाकर्मियों को चलाने के लिए मजबूर करने के पूर्वनियोजित नापाक मंसूबों की बू आती है। हाल ही के दिनों में, मीडियाकर्मियों पर हमलों की श्रृंखला को देखते हुए, यह परिणाम निकाला जा सकता है कि ये लोग पूरी तरह से प्रेस का मुंह बंद करने पर तुले हुए हैं," एक वक्तव्य में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा।

इसमें कहा गया कि यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस, मूकदर्शक बनी रही और उसने बुराड़ी हमले में शामिल दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया। "प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इन गुंडों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता है, ताकि बर्बर हमलों की घटनाओं का पता लगाया जा सके।"

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अन्य घटना पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा, "बलिया जिला प्रशासन द्वारा उन पत्रकारों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना बेहद निंदनीय है, जिन्होंने 12वीं परीक्षा के अंग्रेजी पेपर के लीक होने का खुलासा किया था।"

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने गिरफ्तार पत्रकारों की तत्काल रिहाई और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

(द हिंदू, 6 अप्रैल, 2022, दिल्ली)

पत्रकार को कुचलने का आरोपी गिरफ्तार, दो साल पहले भी किया एक कार्यकर्ता पर इसी तरह का हमला

6 फरवरी को पत्रकार, शशिकांत वारिशे को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए, पंढरीनाथ अम्बेरकर का महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री की स्थापना का विरोध करने वाले व्यक्तियों के साथ टकराव का इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने पहले भी रिफाइनरी विरोधी कार्यकर्ता पर कथित रूप से गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी।

अप्रैल 2020 में, कार्यकर्ता, मनोज मयेकर, कुंभवडे गांव, जहां अम्बेरकर भी रहते हैं, के तत्कालीन सरपंच का बेटा, कथित तौर पर अम्बेरकर की एसयूवी की चपेट में आने से घायल हो गया था।

अम्बेरकर वारिशे हत्याकांड में अपनी कथित भूमिका के लिए अब राजापुर पुलिस की हिरासत में है।

एक स्थानीय मराठी अखबार के पत्रकार, वारिशे की एक वाहन के कुचलने से मौत हो गई, जिसे कथित तौर पर अम्बेरकर चला रहा था।

वारिशे के अम्बेरकर के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के बाद यह घटना 6 फरवरी, 2023 को हुई।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 10 फरवरी, 2023 नई दिल्ली)

स्क्राइब 'हत्या' मामलाः परिजनों को 25 लाख देगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने 12 फरवरी, 2023 को घोषणा की, कि पत्रकार, शशिकांत वारिशे के परिवार को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्हें रत्नागिरी जिले में एक भूमि डीलर द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही एसयूवी ने कुचल दिया था।

रत्नागिरी जिला संरक्षक मंत्री, उदय सामंत ने कहा कि सरकार मृतक के बेटे को स्थायी नौकरी भी देगी।

"पत्रकार वारिशे के परिवार को 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये और अन्य स्रोतों से 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी," श्री सामंत ने कहा।

महाराष्ट्र सरकार पहले ही कथित हत्या की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच के आदेश दे चुकी है।

(द हिंदू, 13 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

पुरस्कार और नियुक्तियां

असम में खेल पत्रकारिता के 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न

1923 में पूर्वी असम के शिवसागर में हुए तीन दिवसीय फुटबॉल कार्यक्रम को समाचार के कारण आज राज्य खेल पत्रकारिता की शताब्दी का जश्न मनाने जा रहा है।

राजस्थान के मूल निवासी, चंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका, *असमिया* में 1 जुलाई, 1923 को हुए सिबसागर (पूर्व वर्तनी) टाउन क्लब और सिबसागर हाई स्कूल के बीच फुटबॉल मैचों की श्रृंखला पर एक सम्पूर्ण विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया था। कार्यक्रम के अंत में दो टीमों ने सम्मान साझा किया था।

"असम में खेल पत्रकारिता को समाचार साप्ताहिकों में जगह पाने में सात दशक से भी अधिक समय लगा और आज खेल समाचार के पहले लेख को प्रकाशित हुए 100 वर्ष पूर्ण होने को हैं, जिससे यह चलन शुरू हुआ, और इसलिए, जश्न तो बनता है" असम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (एएसजेए) के अध्यक्ष, सुबोध मल्ला बरुआ ने द हिंदू को बताया।

फुटबॉल संबंधी समाचार का असमिया लोगों के व्यवसाय और प्रसार पर प्रभाव पड़ा। फुटबॉल बनाने वाली कोलकाता स्थित एक कंपनी ने 20 मई, 1923 को पत्रिका में पहला विज्ञापन दिया था।

और उस समय के खेल संबंधी लेखकों को बायलाइन के रूप में "बोनस" मिलना शुरू हुआ, जोकि उस जमाने में दुर्लभ था। पहली रिपोर्ट बेलीराम दास की थी, जिनकी गुवाहाटी के पश्चिम में स्थित पलासबाड़ी के फुटबॉल मैच पर रिपोर्ट 29 जुलाई, 1923 को प्रकाशित हुई।

(द हिंदू, 1 अप्रैल, 2022, दिल्ली)

असम से तीन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक, मनोज कुमार गोस्वामी को उनके लघु कथा संग्रह, *भूल सत्य* के लिए असमिया भाषा श्रेणी में 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है।

प्रोफेसर ज्योत्सना राउत, कुला सैकिया और डॉ. प्रदीप ज्योति महंत की जूरी पैनल ने गोस्वामी को पुरस्कार के लिए चुना।

बोडो भाषा में, रश्मी चौधरी को उनके कविता संग्रह, '*संसरिणी मोदिरा*' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। असम के खड़गा बहादुर नेपाली को नेपाली

भाषा में *सैनो* (नाटक) के लिए पुरस्कार मिला। लुमडिंग स्थित यह लेखक, *बिंदु* नामक मासिक नेपाली पत्रिका प्रकाशित किया करते थे।

मणिपुरी भाषा में, कोइजम शांतिबाला को कविता संग्रह, *'लेइरोनंग'* के लिए पुरस्कार मिला।

इसी बीच, साहित्य अकादमी ने जूरी दत्ता को असमिया भाषा में अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया है। तेजपुर विश्वविद्यालय के असमिया विभाग के संकाय सदस्य, दत्ता को *'कोचरेथीः अरया नारी'* पुस्तक हेतु पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो नारायण के मलयालम उपन्यास, *'कोचरेथी'* का अनुवाद है।

बोडो भाषा में, राजा देवोजीत बसुमतारी को "*काबुलीवालानी बंगाली बिजी*" पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया। यह सुष्मिता बंद्योपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास, *काबुलीवालार बंगाली बाउ* का अनुवाद है।

नेपाली भाषा में, बिश्वनाथ जिले के लेखक, पूर्ण कुमार सरमा को पूरबी बोरमुदोई द्वारा लिखित असमिया उपन्यास, *शांतनुकुलानंदन* के अनुवाद के लिए विजेता घोषित किया गया था। सेवानिवृत्त शिक्षक और असम नेपाली नाट्य सम्मेलन के मुख्य सचिव, सरमा को कई पुस्तकों के लिए सम्मानित किया गया।

(द असम ट्रिब्यून, 23 दिसंबर, 2022, गुवाहाटी)

ट्रिब्यून के काजीरंगा लेखक का किया गया सम्मान

द असम ट्रिब्यून के काजीरंगा संवाद्दाता, देबाशीष बरुआ को 26 जनवरी, 2023 को बोकाखाट जनरल फील्ड में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, बोकाखाट मंडलीय प्रशासन (सिविल) द्वारा सम्मानित किया गया।

बरुआ को पारंपरिक *ज़ोफुरा* के साथ–साथ *गमुसा* और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उनकी ईमानदारी और संतुलित समाचार कवरेज के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया।

बरुआ 2010 से द असम ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ न्यूजपेपर्स के साथ उनके काजीरंगा संवाद्दाता के रूप में जुड़े हुए हैं।

(द असम ट्रिब्यून, 28 जनवरी, 2023, गुवाहाटी)

द प्रिंट के सौरभ शुक्ला, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए आईपीआई–इंडिया पुरस्कार विजेता

इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के भारतीय चौप्टर, आईपीआई इंडिया ने 10 फरवरी, 2023 को द *प्रिंट और एनडीटीवी* संवाद्दाता, सौरभ शुक्ला को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट पत्रकारिता, 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया।

द प्रिंट के संस्थापक–संपादक, शेखर गुप्ता ने यह पुरस्कार स्वीकार किया, जो समाचार पोर्टल की "उन कहानियों के लिए दिया गया था, जिसमें यह उजागर किया गया है कि विभिन्न राज्यों में अस्पतालों, स्थानीय निकायों और सरकारों ने कोविड का मुक़ाबला करने के लिए सपोर्ट सिस्टम का कैसे लापरवाही से इस्तेमाल किया"।

श्री शुक्ला को 2021 में हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में नफरत भरे भाषणों की कवरेज और उनका भंडाफोड़ करने के लिए सम्मानित किया गया था। "[टीवी समाचार], चौनल ने न केवल वीडियो में भाषणों को दिखाया, बल्कि उनमें से कुछ का इंटरव्यू भी लिया, जिन्होंने उन भाषणों को उचित ठहराया। इस खुलासे के कारण कुछ वक्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया" आईपीआई–इंडिया ने कहा। प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया।

(द हिंदू, 11 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

उत्तम पत्रकारिता से तय होगी भारत की नियतिः पीसीआई प्रमुख

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने 28 फरवरी, 2023 को फर्जी और सनसनीखेज समाचारों के चलन पर खेद व्यक्त किया और "उत्तम पत्रकारिता" के अभ्यास के लिए मजबूती से काम में जुट जाने को कहा।

उन्होंने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि उत्तम पत्रकारिता "निस्संदेह" भारत की नियति को निर्धारित करेगी"।

ग्रामीण पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता और संघर्ष क्षेत्र से रिपोर्टिंग सहित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ग्यारह पत्रकारों को पुरस्कार दिये गये।

न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि "प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में, मुझे प्रेस के खिलाफ शिकायतों, प्रेस द्वारा शिकायतों का निपटान करना होता है और मेरा मानना है कि इसके साथ नकारात्मकता जुड़ी हुई है"।

"फर्जी खबरें, खबरों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करना, खबरों को सनसनीखेज़ बनाना, अश्लील विज्ञापन.... साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली खबरें जैसे कई खतरे हैं। पत्रकारिता के मानकों को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं," उन्होंने कहा।

"इसका यह मतलब नहीं है कि पत्रकारिता पूरी तरह ख़राब है। हमारे पास कुछ उत्कृष्ट पत्रकार (भी) हैं, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ एक पत्रकार इसके

विपरीत भी हैं। कुछ जगहों पर पत्रकारिता में कुछ हद तक गिरावट आई है। इसे बेहतर बनाने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं", पीसीआई अध्यक्ष ने कहा।

न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि वह पत्रकारिता के मानकों को बेहतर बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही हैं और उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों से अनुरोध किया है कि वे भी युवा पत्रकारों को इस पेशे के मानकों और नैतिकता को सिखाकर योगदान दें।

"पत्रकारिता, चौथे स्तंभ के रूप में, हमारे लोकतंत्र की दृढ़तापूर्वक सहायता करेगी। यह हमारी रक्षा करेगी। एक दिन, यह सच होगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं", उन्होंने कहा।

न्यायमूर्ति देसाई ने आगे कहा, "लेकिन, हमें यह भी देखना चाहिए कि कमियां क्या–क्या हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए।"

पीसीआई अध्यक्ष ने ऐनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद, जिन्हें इस क्षेत्र में अपने 65 साल के लंबे करियर के साथ आंध्र प्रदेश की स्थानीय पत्रकारिता का अग्रणी माना जाता है, को 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन पुरस्कार प्रदान किया।

(द असम ट्रिब्यून, 1 मार्च, 2023, गुवाहाटी)

श्रद्धांजलि

फोटो जर्नलिस्ट अशोक पांडा का निधन

वरिष्ठ फोटो पत्रकार अशोक पांडा का 1 जुलाई, 2022 को रथयात्रा को कवर करने के लिए, पुरी जाते समय, एक सड़क हादसे में निधन हो गया। उनकी उम्र 57 वर्ष थी।

पांडा अपनी मोटरसाइकिल से पुरी की ओर जा रहे थे, तभी सतसंखा के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

वह एक उड़िया दैनिक समाचारपत्र के लिए काम कर रहे थे। पहले वह द एशियन एज के लिए काम किया करते थे।

मीडिया जगत, राजनीतिक दलों और उनके परिचितों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

(द स्टेट्समैन, 2 जुलाई, 2022, नई दिल्ली)

एचटी संडे पत्रिका के पूर्व संपादक, वेपा राव का 76 वर्ष की उम्र में निधन

वरिष्ठ पत्रकार और तीन दशकों से अधिक समय तक पत्रकारिता के प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर वेपा राव का संक्षिप्त बीमारी के बाद 31 अक्टूबर, 2022 को हैदराबाद में निधन हो गया, उनके परिवार ने बताया। उनकी उम्र 76 वर्ष थी।

परिजनों का कहना है कि राव को कुछ महीने पहले अपने शिमला स्थित आवास में गिरने के बाद ब्रेन हैमरेज हुआ था और वह ठीक हो गए थे। वह सर्दियों में हैदराबाद गए, जहां 10 अक्टूबर को उन्हें दूसरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वह कोमा में चले गए।

1987 में अकादमी में शामिल होने का निर्णय लेने से पहले राव ने लगभग एक दशक तक हिंदुस्तान टाइम्स की संडे पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया।

उन्होंने 1996–97 में आईआईएमसी ढेंकनाल में प्रोफेसर के रूप में भी सेवा की।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 1 नवंबर, 2022, नई दिल्ली)

पत्रकार एम.एस. प्रभाकर का निधन

पत्रकार, अकादमिक, अंग्रेजी और कन्नड़ लेखक, एम.एस. प्रभाकर का 29 दिसंबर, 2022 को कोलार में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे।

उन्होंने असम और दक्षिण अफ्रीका में कई दशकों तक, *द हिंदू* के संवाद्दाता के रूप में अपनी सेवायें दीं।

उनका जन्म 1936 में कर्नाटक के कोलार में हुआ था और वह लगभग तीन दशकों तक असम में रहे, पहले गुवाहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में और उसके पश्चात, *द हिंदू* के संवाद्दाता के रूप में।

वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे अशांत वर्षों के दौरान, लगभग एक दशक तक वहां रहे। वह इस महाद्वीप पर *द हिंदू* के सबसे पहले संवाद्दाता थे।

उन्होंने 1975 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया और *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* से जुड़ गये। वह जून 1983 में *द हिंदू* के विशेष संवाददाता के रूप में गुवाहाटी लौटे और बाद में, इस क्षेत्र में व्यापक रूप से यात्रा करते हुए *फ्रंटलाइन* में भी कार्य करते हुए, उन्होंने असम और पूर्वोत्तर भारत में इसके पड़ोसी क्षेत्रों के विकास को कवर किया। वह 2002 में सेवानिवृत्त हुए।

उनकी इच्छा के अनुरूप उनका शरीर एम.एस. रमैया मेमोरियल अस्पताल को दान कर दिया गया है।

(द हिंदू, 30 दिसंबर, 2022, दिल्ली)

वरिष्ठ पत्रकार सन्नी अब्राहम का निधन

दिल्ली के एक प्रमुख पत्रकार, नेटइंडियन के संस्थापक और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) के पूर्व संपादक, 65 वर्षीय सन्नी अब्राहम की 24 जनवरी, 2023 का देर रात कोविड संबंधित जटिलताओं से निधन हो गया। अब्राहम सात वर्षों के लिए दुबई में मध्य पूर्व (Middle East) के यूएनआई ब्यूरो प्रमुख के रूप में तैनात थे। वे एक ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने काफी यात्रा की, पर भी रिपोर्टिंग की है। उनके परिवार में पत्नी रेचेल, बेटा विवेक और बेटी विनीता हैं।

(द हिंदू, 26 जनवरी, 2023, दिल्ली)

अकादमिक, पूर्व लेखक रमेश गोस्वामी का निधन

डूमडूमा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और द *असम ट्रिब्यून* के पूर्व डूमडूमा संवाद्दाता, रमेश गोस्वामी का रूपाई साइडिंग के टापुबोन में उनके आवास पर निधन हो गया। उनकी उम्र 77 वर्ष थी और वे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे।

21 मार्च, 1946 को अविभाजित कामरूप जिले के पात्रपुर गांव में जन्मे गोस्वामी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 अक्टूबर, 1972 को शिक्षा व्याख्याता के रूप में डूमडूमा कॉलेज में शामिल हुए। वह फरवरी 2007 में सेवानिवृत्त हुए।

गोस्वामी ने 1975–1976 के दौरान द *असम ट्रिब्यून* में डूमडूमा संवाद्दाता के रूप में कार्य किया।

कई रिश्तेदारों के अलावा, वह अपनी पत्नी, मेजर गीता गोस्वामी और दो बेटों को अपने पीछे छोड़ गए हैं।

गोस्वामी के निधन पर डूमडूमा विधायक, रूपेश गोवाला, डूमडूमा कॉलेज, बीर राघव मोरन गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज, डूमडूमा और तिनसुकिया कॉलेज सहित विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों ने शोक व्यक्त किया है।

(असम ट्रिब्यून, 24 फरवरी, 2023, गुवाहाटी)

विश्व मीडिया और भारतीय प्रेस

न्यू यॉर्कर कवर्स के प्रसिद्ध फ्रांसीसी कार्टूनिस्ट, सेम्पे का निधन

फ्रांसीसी कार्टूनिस्ट जीन जैक्स सेम्पे, जिन्होंने *न्यू यॉर्कर* पत्रिका के कवरों के लिए बनाए गए 100 से अधिक चित्रों की श्रृंखला के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की है, का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

उनके कार्टूनों में अक्सर बड़े शहरी परिदृश्यों में प्रचलित छोटी आकृतियाँ दिखाई जाती थीं, जो नाजुक रेखाओं से खींची जाती थीं और उनमें आधुनिक जीवन पर सौम्य सामाजिक समालोचना हुआ करती थी।

"मार्मिक व्यंग्य, बुद्धिमत्ता की शालीनता, जैज़ः हम सेम्पे को नहीं भूल पाएंगे। हमें दुनिया के बारे में उनके नजरिए और उनकी कलम की बहुत याद आएगी, फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुएल मैक्रॉन ने ट्विटर पर लिखा।"

फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध दृश्य कलाकारों में से एक, सेम्पे ने दैनिक जीवन के नज़ारों का विस्तृत चित्रण किया, आमतौर पर ऊपरी या दूरस्थ परिप्रेक्ष्य से और पेस्टल रंगों में।

17 अगस्त, 1932 को बोर्डोक्स के पास एक गाँव में जन्मे, सेम्पे ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर बढ़ते रहे और 1950 के दशक में पेरिस जाने से पहले कुछ समय के लिए सेना में शामिल हो गए और अपनी चित्रकारी से जीविकोपार्जन शुरू कर दिया।

उन्हें पहली सफलता 1950 के दशक के अंत में एस्टेरिक्स लेखक, रेने गोस्किनी के साथ एक स्कूली छात्र के बारे में बच्चों की किताबों की श्रृंखला "ले पेटिट निकोलस" से मिली।

उनको अंतर्राष्ट्रीय सफलता 1970 के दशक के अंत में मिली, जब उन्होंने द *न्यू यॉर्कर* के लिए ऐसे कवर ड्रॉ करना शुरू किया, जिसमें शहर के जीवन का चित्रण किसी बाह्य व्यक्ति की नज़रों से किया गया, उनके पात्र अक्सर भारी भीड़ में खो जाते थे या व्यापक दृश्यपटल पर आक्रामक होते थे।

अधिकतर रेखाचित्रों में बहुत कम या कोई भी संवाद नहीं होता था, लेकिन छोटे कैप्शन अक्सर पात्रों की चिंताओं या आशाओं को लेकर गूढ़ संकेत देते थे।

"सेम्पे के चित्रों में बहुत सारी मूक भावनाएँ हैं", ले मोंडे कार्टूनिस्ट, प्लांटू ने फ्रांस इंटर रेडियो पर कहा।

बच्चे, पेड़, बिल्लियाँ, संगीतकार और पेरिस तथा न्यूयॉर्क में जीवन सेम्पे के पसंदीदा विषय थे। उनके कार्टूनों में बड़े शहर के जीवन पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करने के लिए यदा–कदा ही पाठ का इस्तेमाल किया जाता था।

साइकिल चलाने वाले लोग सेम्पे के पसंदीदा विषयों में से एक थे।

"यह हमेशा से मेरे सपनों में से एक सपना रहा है – दोस्तों का एक ऐसा गुट हो, जो हर रविवार सुबह देश में बाइक की सवारी के लिए जाए। वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसकी व्यवस्था करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोई हमेशा इतना व्यस्त था कि इसके लिए समय नहीं निकाल सका," उन्होंने 2019 के एक साक्षात्कार में *द न्यू यॉर्कर* को बताया।

सेम्पे की पत्नी, मार्टीन गोस्सीओक्स सेम्पे ने समाचार एजेंसी, एग्नेस फ्रांस–प्रेसे को उनकी मृत्यु की सूचना दी।

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, उनके जीवनी लेखक, मार्क लेकारपेंटियर ने कहा कि सेम्पे ने अपने कृत्य पर हस्ताक्षर किए और वे सार्वभौमिक रूप से जाने जाते थे–की मृत्यु एक अवकाश गृह में हुई, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कहाँ थे। सेम्पे का पेरिस में एक घर और स्टूडियो था।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 13 अगस्त, 2022, नई दिल्ली)

रूसी कोर्ट ने शीर्ष समाचारपत्र पर लगाई रोक

देश के स्वतंत्र मीडिया को हाल ही में झटका देते हुए, एक रूसी अदालत ने 5 सितंबर, 2022 को खोजी समाचारपत्र, *नोवाया गजेटा*, जिसके मुख्य संपादक को पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सह–सम्मानित किया गया था, का प्रिंट लाइसेंस छीन लिया।

मॉस्को की एक अन्य अदालत ने 5 सितम्बर, 2022 को, माननीय पूर्व रक्षा पत्रकार, इवान सैफ्रोनोव को राज्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए देशद्रोह के आरोप में 22 साल की जेल की सजा सुनाई।

रूसी स्वतंत्र मीडिया को हाल के वर्षों में अभूतपूर्व दबाव का सामना करना पड़ा है, मॉस्को के यूक्रेन के आक्रमक होने के बाद से अधिकारियों ने और भी सख्ती कर दी है।

नोवाया गजेटा के मुख्य संपादक, दिमित्री मुरातोव ने सुनवाई के बाद कहा कि अखबार फैसले को "राजनीतिक" और "कानूनी रूप से निराधार" बताते हुए, इसके खिलाफ अपील करेगा, समाचार वेबसाइट *मीडियाजोना* ने बताया।

(द हिंदू, 6 सितंबर, 2022, दिल्ली)

हांगकांग पुलिस ने सबसे बड़े पत्रकार समूह के प्रमुख को किया गिरफ्तार

हांगकांग के सबसे बड़े पत्रकार संघ के अध्यक्ष को रिपोर्टिंग के दौरान सार्वजनिक अव्यवस्था एवं पुलिस के कार्य में बाधा डालने के आरोप में 7 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

रॉनसन चेन, हांगकांग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाचार आउटलेट चेनल सी के कर्मचारी, तथा उनके एक सहकर्मी ने शहर के मोंगकोक जिले में सार्वजनिक आवास अपार्टमेंट मालिकों की एक बैठक पर रिपोर्ट करने की योजना बनाई।

दोनों को पुलिस ने रोका और अपने पहचान पत्र दिखाने को कहा। बाद में चौन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 7 सितंबर, 2022, को दो लोगों को "संदिग्ध तरीके से काम करते हुए" पाया और उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ली ने उनकी बात मान ली, जबकि चौन ने इनकार कर दिया।

इसी बीच, भेड़ और भेड़ियों के बारे में बच्चों की किताबें छापने के बाद पांच भाषण चिकित्सकों को देशद्रोह का दोषी पाया गया, अदालत ने कहा कि उनका उद्देश्य प्राधिकारियों के खिलाफ नफरत भड़काना था।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 8 सितंबर, 2022, नई दिल्ली)

यू ए ई का अखबार बंद, ईंधन की कीमत की रिपोर्ट के कारण इसके कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया

यू ए ई के सख्त प्रेस कानूनों के तहत भी, संपादकों की सहमति थी कि ईंधन की ऊंची कीमतों से संसाधित लेख ठीक–ठाक था। इसके बजाय, दुबई में अल रोया अखबार पर इसके कारण आग भड़क गयी। कुछ ही दिनों में शीर्ष संपादकों से पूछताछ की गई। कुछ ही हफ्तों में, दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया गया और प्रिंट पेपर का अंत घोषित कर दिया गया।

अखबार के प्रकाशक, आबू धाबी स्थित इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टमेंट्स या आईएमआई ने कहा कि अल रोया का बंद होने का कारण सीएनएन के साथ एक नए अरबी भाषा व्यापार आउटलेट में इसका परिवर्तन ही है। हालाँकि, अखबार के बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाले जाने की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले आठ लोगों ने कहा कि गैस की कीमतों पर लेख के बाद छंटनी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि संकट की शुरुआत इस गर्मी की शुरुआत में हुई थी, जब ऊंची कीमतें शहर में चर्चा का विषय थीं। यह समाचार 2 जून को जंगल की आग की तरह फैल गया। हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर, लेख को वेबसाइट से हटा दिया गया और कभी भी इसे प्रिंट नहीं कराया गया। लेख से जुड़े कई कर्मचारियों

को समन किया गया, उन्हें व्यापक पूछताछ का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित कर दिया गया। एक सप्ताह बाद, ग्रुप को एक विकल्प दिया गयाः या तो वे अतिरिक्त मुनाफे के साथ इस्तीफा दे दें या उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा और वे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जिन आठ लोगों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उनमें शीर्ष संपादक भी शामिल हैं।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 14 सितंबर, 2022, नई दिल्ली)

यूरोपीय संघ के सांसदों ने म्यांमार द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता पर की गयी कार्रवाई की निंदा की

6 अक्टूबर, 2022 को यूरोपीय संघ के सांसदों ने सैन्य शासित म्यांमार में मीडिया की स्वतंत्रता पर की गई कार्रवाई की निंदा की और "गलत तरीके से हिरासत में लिए गए हर एक पत्रकार" की रिहाई की मांग की।

फरवरी, 2021 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से, इन्होंने म्यांमार में कम से कम 12 मीडिया आउटलेट्स को बंद करने के लिए मजबूर किया है और लगभग 142 पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 57 अभी भी हिरासत में हैं।

अभी भी जो हिरासत में हैं, उनमें से अधिकतर को कथित तौर पर डर पैदा करने, झूठी खबरें फैलाने या किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अपने प्रस्ताव, जिसे हाथ उठाकर अंगीकार किया गया, में यूरोपीय संघ की संसद ने बीबीसी फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हेटेट हेट खिन, सिथु आंग माइन्ट, एक फ्रंटियर म्यांमार स्तंभकार और वॉयस ऑफ अमेरिका में योगदानकर्ता तथा फ्रीलांसर, न्येन न्येन ऐ के मामलों का हवाला दिया।

"म्यांमार में सैन्य जुंटा के हिंसक और अवैध शासन की कड़ी निंदा करते हुए, एमईपी ने प्रेस के सदस्यों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों को समाप्त करने और गलत तरीके से हिरासत में लिए गए हर पत्रकार को बिना शर्त रिहा करने का आग्रह किया", यूरोपीय संघ की संसद ने कहा।

"उन्होंने जुंटा से अपने गलत व्यवहार, जिसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत, यातना, यौन हिंसा और अन्य दुर्व्यवहार के साथ–साथ मीडिया कर्मियों के खिलाफ अनुचित जांच शामिल हैं', को तुरंत बंद करने के लिए उनसे मुलाक़ात की।"

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार, न्येन न्येन ऐ को जुलाई में "डर पैदा करने, झूठी खबर फैलाने और एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने" के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

“हम हिरासत में उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए अभी भी चिंतित हैं, और म्यांमार में अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए हेटेट हेट खिन और अन्य मीडिया कर्मियों की रिहाई का आह्वान करते हैं”, बीबीसी मीडिया एक्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैरोलिन नर्सी ने कहा।

बंद किए गए कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बिना लाइसेंस के काम करना, ऑनलाइन प्रकाशन जारी रखा है क्योंकि उनके स्टाफ सदस्य गिरफ्तारी से बचते रहे हैं। अन्य लोग निर्वासित होकर काम करते हैं।

सेना के अधिग्रहण के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका जवाब सेना और पुलिस ने घातक बल के साथ दिया, जिससे सशस्त्र प्रतिरोध शुरू हो गया और हिंसा बढ़ गई, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञ इस परिस्थिति को गृह युद्ध की तरह देखते हैं।

यूरोपीय संघ के सांसदों ने सिविल सरकार की बहाली और म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति, विन माइन्ट और पूर्व नेता, आंग सान सू की “बिना शर्त रिहाई” की भी मांग की।

(द पायनियर, 7 अक्टूबर, 2022, नई दिल्ली)

67 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की 2022 में हुई हत्या

जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन में रूस के युद्ध, हैती में अराजकता और मेक्सिको में आपराधिक समूहों द्वारा बढ़ती हिंसा के कारण 2022 में अपना पत्रकारिता संबंधी कार्य करते हुए मारे गए पत्रकारों की संख्या में बढ़ौतरी हुई।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (आईएफजे) का कहना है कि इस साल, अब तक दुनिया भर में 67 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए हैं, जो पिछले साल 47 से ज्यादा है। ब्रूसल्स–आधारित ग्रुप ने भी गणना की, कि वर्तमान में अपने कार्य करने के लिए 375 पत्रकारों को जेल में डाला गया, जिनमें हांगकांग, म्यांमार और तुर्की सहित चीन के आंकड़े सबसे अधिक हैं। आईएफजे और अन्य मीडिया अधिकार समूहों ने सरकारों से पत्रकारों और स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए और अधिक ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

“कार्रवाई करने में विफलता केवल उन लोगों को प्रोत्साहित करेगी, जो सूचना के मुक्त प्रवाह को दबाना चाहते हैं और लोगों की अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने की क्षमता को कमजोर करना चाहते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि ऐसे लोग जो सत्ता में हैं और प्रभावशाली हैं, मुक्त और व्यापक सोसायटियों के रास्ते में न आयें,” आईएफजे महासचिव एंथनी बेलंगर ने कहा।

(द संडे स्टेट्समैन, 11 दिसंबर, 2022, नई दिल्ली)

चार्ली हेब्दो में प्रकाशित, खमेनेई के कार्टूनों को लेकर ईरान, फ्रांस में नोंकझोंक

ईरान द्वारा 5 जनवरी, 2023 को फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका, चार्ली हेब्दो द्वारा प्रकाशित कार्टूनों, जिसमें देश के सत्तारूढ़ मौलवियों का मजाक उड़ाया गया था, के जवाब में एक दशक पुराने फ्रांसीसी शोध संस्थान को बंद कर दिया गया।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कार्टूनों, जिन्हें पत्रिका ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन के रूप में पेश किया था, जिसने ईरान को लगभग चार महीने से परेशान कर रखा है, के जवाब में ईरान में फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च को बंद करने को "पहला कदम" बताया। मंत्रालय ने कहा कि वह फ्रांस को जवाबदेह ठहराने के लिए "मामले को गंभीरता से उठाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी"। 4 जनवरी, 2023 को ईरान ने कार्टूनों के बारे में शिकायत करने के लिए फ्रांसीसी राजदूत को समन किया।

ईरान के विदेश मंत्री, हुसैन अमीराब्दुल्लाहिय ने 4 जनवरी, 2023 को कार्टूनों के प्रकाशन पर "निर्णायक और प्रभावी प्रतिक्रिया" की प्रतिज्ञा ली। फ्रांस की विदेश मंत्री, कैथरीन कोलोना ने ईरान पर "ख़राब राजनीति" करने का आरोप लगाया।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 जनवरी, 2023, नई दिल्ली)

मीडिया वॉचडॉग ने काबुल में हिरासत में लिए गए पत्रकार की रिहाई का किया आग्रह

मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 14 फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट्स और प्रोडक्शन कंपनियों के साथ, काबुल में एक महीने से कैद एक पत्रकार को रिहा करने के लिए 6 फरवरी, 2023 को अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से मुलाक़ात की।

एक संयुक्त बयान में, आरएसएफ और फ्रांसीसी मीडिया ने कहा कि, "दोहरी फ्रांसीसी और अफगान नागरिकता वाले पत्रकार, मुर्तजा बेहबौदी को रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में देश में आने के दो दिन बाद, 7 जनवरी को अफगान राजधानी में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई के लिए एक महीने तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद, उन्होंने मामले को सार्वजनिक करने का फैसला किया।"

आरएसएफ और फ्रांसीसी मीडिया ने तालिबानी अधिकारियों से "इस संवेदनहीन स्थिति को समाप्त करने" का अनुरोध किया और कहा कि "सम्मानित और सराहनीय" पत्रकार पर "जासूसी करने का आरोप" लगाया गया था।

स्टेटमैंट के अनुसार, 28 वर्षीय बेहबौदी ने 16 साल की उम्र में अफगानिस्तान, जहां उनका जन्म हुआ था, में एक फोटो जर्नलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह 21 साल की उम्र में शरणार्थी के रूप में पेरिस आए, क्योंकि उन्हें अपने देश में धमकी दी

गई थी और बाद में उन्होंने कई फ्रांसीसी मीडिया के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया।

तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में जीवन के बारे में रिपोर्टों की एक श्रृंखला के लिए बेहबौदी को पिछले साल युद्ध संवाद्दाताओं के लिए बेयक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(द पायनियर, 7 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

शूटिंग कवर कर रहे रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या

ऑरलैंडो क्षेत्र में एक महिला की हत्या का आरोपी, एक बंदूकधारी, कुछ घंटों बाद वहीं पड़ोस में लौटा और चार और लोगों को गोली मार दी, जिसमें मूल शूटिंग को कवर करने वाला एक पत्रकार और एक 9 वर्षीय बच्चा मारा गया, फ्लोरिडा पुलिस ने कहा। स्पेक्ट्रम न्यूज़ 13 द्वारा 23 फरवरी, 2023 को मारे गए रिपोर्टर की पहचान डायलन ल्योंस के रूप में की गई। फ़ोटोग्राफ़र, जेसी वाल्डेन भी घायल हो गए। वे 22 फरवरी, 2023 को एक समाचार वाहन, जिसे चिन्हित नहीं किया गया था, में पहली हत्या को कवर कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें गोली मार दी। इसके बाद वह व्यक्ति पास के एक घर में गया, जहां उसने टायना मेजर को घातक रूप से गोली मार दी और बच्चे की मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शेरिफ ने कहा कि पुलिस ने 19 वर्षीय कीथ मेल्विन मोसेस को हिरासत में ले लिया है, जिसे लेकर उनका मानना है कि सभी शूटिंग के लिए वही जिम्मेदार है।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 24 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

निर्माता की ब्लैक 'हेट ग्रुप' टिप्पणी के बाद, मीडिया ने डिल्बर्ट को हटाया

डिल्बर्ट कॉमिक स्ट्रिप के निर्माता को 25 फरवरी, 2023 को उन टिप्पणियों, जिसमें काले लोगों को "एक नफरत समूह" के सदस्यों के रूप में वर्णित किया गया था, जिससे गोरे लोगों को "दूर रहना चाहिए", का बचाव करते हुए हटाये जाने का झटका लगा।

पूरे अमेरिका में विभिन्न मीडिया प्रकाशकों ने डिल्बर्ट के निर्माता, स्कॉट एडम्स की टिप्पणियों को जातिगत, घृणापूर्ण और भेदभावपूर्ण बताते हुए उनकी यह कहकर निंदा की, कि उनके काम के लिए अब उनके पास कोई स्थान (प्लैटफ़ार्म) नहीं है।

डिल्बर्ट का वितरण करने वाली एंड्रयूज मैकमील सिंडिकेशन ने 25 फरवरी, 2023 को टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन एडम्स ने सोशल

मीडिया पर उन लोगों से अपना बचाव किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि "वे मुझसे नफरत करते हैं और मुझे हटा (कैंसल कर) रहे हैं।"

डिल्बर्ट लंबे समय से चल रही कॉमिक है, जो कार्यालय स्थल संस्कृति की हंसी उड़ाती है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स ने एडम्स की "नस्लवादी टिप्पणियों" का हवाला देते हुए 25 फरवरी 2023 को घोषणा की, कि, अधिकांश संस्करणों में डिल्बर्ट को 27 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा और संडे कॉमिक्स में इसका अंतिम प्रकाशन, जो पहले से छपा हुआ है, 12 मार्च को होगा।

सैन एंटोनियो एक्सप्रेस न्यूज़, जो हर्स्ट न्यूज़पेपर्स का हिस्सा है, ने 25 फरवरी, 2023 को कहा कि डिल्बर्ट कॉमिक स्ट्रिप को "इसके निर्माता की घृणित और भेदभावपूर्ण सार्वजनिक टिप्पणियों के कारण" 1 मार्च, 2023 से हटा दिया जाएगा।

यूएसए टुडे नेटवर्क ने ट्वीट किया कि वह भी "डिल्बर्ट के निर्माता की हाल ही में भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के कारण" इसका प्रकाशन बंद कर देगा।

क्लीवलैंड में प्लेन डीलर और अन्य प्रकाशन जो एडवांस लोकल मीडिया का हिस्सा हैं, ने भी घोषणा की, कि वे डिल्बर्ट को हटा रहे हैं।

(द स्टेट्समैन, 27 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

न्यायालय और प्रेस

शीर्ष अदालत ने पत्रकार की आधी रात को गिरफ्तारी पर झारखंड सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त, 2022 को निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड सरकार को फटकार लगाई, और टिप्पणी की, कि ऐसा लगता है कि राज्य में "पूर्ण अराजकता" फैली हुई है।

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की न्यायपीठ ने नाराज़गी जताई कि राज्य पुलिस ने आधी रात को पत्रकार का दरवाज़ा खटखटाया और जबरन वसूली के मामले में 17 जुलाई को उन्हें उनके शयनकक्ष से घसीटते हुए गिरफ्तार किया।

"आप रात को 12 बजे उनके घर जाएं, उन्हें उनके बेडरूम से बाहर निकालें... यह एक पत्रकार के साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है। यह पूरी तरह अराजकता है,"

न्यायपीठ ने न्यूज 11 भारत के प्रमुख, अरूप चटर्जी की जमानत के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज करते हुए कहा।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 30 अगस्त, 2022, नई दिल्ली)

सुप्रीम कोर्ट ने 'समाचारों को सनसनीखेज़ बनाने' के लिए टीवी चैनलों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2023 को सनसनीखेज समाचार और "एजेंडा परोसने" में टीवी चैनलों के आचरण की कड़ी निंदा की।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने नफरत भरे भाषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडड्र्स एथॉरिटी (एनबीडीएसए) और केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे प्रसारणों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे टीवी चैनल, समाज में दरार डाल रहे हैं। पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देने में लगे हुए समाचार एंकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया। पीठ ने आगे सुझाव दिया कि यदि आपत्तिजनक समाचार एंकरों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "एंकरों को हटाया भी जा सकता है।"

पीठ के लिए बोलते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, "यदि टीवी कार्यक्रमों के एंकर स्वयं ही समस्या का हिस्सा हैं, तो क्या किया जा सकता है?" न्यायालय ने एनबीडीएसए का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाता से पूछा कि उसने कितनी बार नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देने वाले एंकरों को हटाया है। पीठ ने कहा कि एनबीडीएसए को पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए।

(द इकोनॉमिक टाइम्स, 14 जनवरी, 2023, नई दिल्ली)

कोर्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों को सूत्रों का खुलासा करने से पत्रकारों को छूट नहीं

17 जनवरी, 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि "भारत में पत्रकारों को, जांच एजेंसियों को सूत्रों का खुलासा करने से कोई सांविधिक छूट नहीं है"।

पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अंजलि महाजन ने सीबीआई, जिसे यह जांच करने का काम सौंपा गया था कि कुछ समाचार चैनलों और एक समाचारपत्र

ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की निर्धारित तारीख से एक दिन पहले, 9 फरवरी, 2009 को दिवंगत मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित रिपोर्टें कैसे प्रसारित और प्रकाशित की थीं, द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

"केवल इसलिए कि संबंधित पत्रकारों ने अपने संबंधित सूत्रों को उजागर करने से इनकार कर दिया था, जैसा कि अंतिम रिपोर्ट में बताया गया है, जांच एजेंसी को पूरी जांच पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों के सामने अपने स्रोतों का खुलासा करने से कोई सांविधिक छूट नहीं है, खासकर जहां किसी आपराधिक मामले की जांच में मदद करने के उद्देश्य से ऐसा खुलासा आवश्यक हो," न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी हमेशा जांच कार्यवाही के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण स्रोत के खुलासे की आवश्यकता को संबंधित पत्रकारों के ध्यान में ला सकती है। जांच एजेंसी को आईपीसी और सीआरपीसी के तहत, पूरी तरह से अधिकृत किया गया है कि वह सार्वजनिक व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से जांच में शामिल कर सकती है..."।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 19 जनवरी, 2023, नई दिल्ली)

अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्टः सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी, 2023 को उस याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसला लिए जाने तक मीडिया को अडानी–हिंडनबर्ग मामले में रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की गई थी।

"हम मीडिया के ख़िलाफ़ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करेंगे।" तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एडवोकेट एम.एल. शर्मा को बताया, जिन्होंने यह तर्क देते हुए याचिका दायर की थी, कि मीडिया इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहा है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल थे, ने शर्मा से कहा कि "उचित तर्क दें..." "मीडिया के खिलाफ़ निषेधाज्ञा के लिए नही"।

काउंसेल ने अदालत को ध्यान दिलाया कि इस मामले पर याचिकाओं के एक समूह (बैच) पर उसे अभी भी अपना फैसला सुनाना बाकी है। पीठ ने कहा कि वह जल्द ही अपना आदेश सुनाएगी।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 25 फरवरी, 2023, नई दिल्ली)

अध्याय–IV

जम्मू और कश्मीर में मीडिया की स्थिति पर रिपोर्ट*

(22.09.2022 को परिषद द्वारा अंगीकृत)

29 सितंबर, 2021 के एक आदेश द्वारा, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद ने जम्मू–कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष, महबूबा मुफ्ती की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक तथ्य–खोजी दल (एफएफसी) का गठन किया, जिसमें तीन सदस्य– श्री प्रकाश दुबे, संयोजक और श्री गुरबीर सिंह एवं सुमन गुप्ता, दोनों सदस्य के रूप में शामिल हैं। आदेश की शर्तों के अनुसार, एफएफसी से, 27 सितंबर, 2021 की शिकायत की जांच करने, यदि आवश्यकता पड़े तो कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों का दौरा करने, इस मामले में विभिन्न पक्षों और व्यक्तियों से मिलने, और जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल करने का अनुरोध किया गया।

महबूबा मुफ्ती की शिकायत में समाचार मीडिया के सदस्यों द्वारा जम्मू और कश्मीर में सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं का हवाला दिया गया है। इनमें राज्य सुरक्षा बलों और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा डराने–धमकाने के मामले शामिल थे। सुश्री महबूबा ने अपनी शिकायत में कहा कि हाल ही में, सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न पत्रकारों पर 'छापे' मारे गए थे, और उनमें से कई पत्रकारों के लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे संचार उपकरण ज़ब्त कर लिए गए थे। उन्होनें आगे कहा कि पत्रकारों को अचानक पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और उनसे पूछताछ एवं उनका उत्पीड़न किया गया। सुश्री महबूबा ने आरोप लगाया कि डराने–धमकाने के अन्य तरीकों में सरकारी आवास से बेदखल किया जाना और उन्हें विदेश यात्रा से रोकने के लिए एक एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में रखा जाना शामिल है। विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई समाचार कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया, उन्होनें अपने पत्र में कहा।

पत्र के साथ एक अनुलग्नक भी है – पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न पत्रकारों को भेजी गई एक प्रश्नावली, जिसमें उनसे राजनीतिक दलों के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी संपत्ति एवं पाकिस्तान में रिश्तेदारों के नाम सूचीबद्ध करने सहित कुछ विवरण देने के लिए कहा गया।

संक्षेप में, सुश्री महबूबा मुफ़्ती के मामले को पीसीआई के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर, न्यायमूर्ति श्री प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान ने जम्मू–कश्मीर में प्रेस और समाचार नेटवर्क के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है, "अभिव्यक्ति

---

* माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई और परिषद के सदस्यों, श्री जे.एस. राजपूत, श्री प्रजनानंद चौधुरी ने रिपोर्ट से असहमति जताई। इसे रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है।

की स्वतंत्रता का वस्तुतः गला घोटा गया..." उन्होंने पत्रकारों की सराहना करते हुए कहा कि वे संघर्ष क्षेत्र में रिपोर्टिंग के लिए मजबूर हैं, और हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया ताकि "सच्चाई दम न तोड़ दे"।

एफएफसी के गठन के बाद, तीन सदस्यीय समिति ने 12 और 13 अक्टूबर को श्रीनगर, 17 और 18 नवंबर को जम्मू और 18, 19 और 20 नवंबर को फिर से श्रीनगर का दौरा किया। दौरे के दौरान, हम पत्रकारों, मीडिया कंपनियों के मालिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं/ गैर सरकारी संगठनों, और वरिष्ठ सरकारी तथा पुलिस कर्मियों के एक व्यापक वर्ग से मिले और उनके बयान दर्ज किए। हमने शिकायतकर्ता, महबूबा मुफ्ती, पुलिस महानिरीक्षक, विजय कुमार, कश्मीर के प्रभागीय आयुक्त, पांडुरंग पोल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की।

जहां जम्मू आमतौर पर शांतिपूर्ण था, वहीं श्रीनगर के दोनों दौरे में शत्रुता और संघर्ष का माहौल स्पष्ट नज़र आ रहा था। श्रीनगर के हमारे पहले दौरे से कुछ दिन पहले, 7 अक्टूबर को एक स्कूल की प्रिंसिपल, सतिंदर कौर और उसी स्कूल के शिक्षक, दीपक चंद की श्रीनगर के अलोचीबाग इलाके में कथित उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि एक उग्रवादी गुट, द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ़) ने इसकी जिम्मेदारी ली, और उन पर छात्रों को "15 अगस्त के समारोह में भाग लेने" के लिए दोषी ठहराया। दो दिन पहले, टीआरएफ ने श्रीनगर के जाने–माने भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट), माखन लाल बिंदू, एक लोकप्रिय कश्मीरी पंडित, जिसनें श्रीनगर में कारोबार जारी रखा था, की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी।

18, 19 और 20 नवंबर को, हमारे दूसरे दौरे के दौरान, श्रीनगर, हैदरपोरा मुठभेड़ के कारण कलंकित था, जहां सिविल सोसायटी के सदस्यों ने दावा किया कि उग्रवादियों की तलाश में, दो आम नागरिक पुलिस द्वारा मारे गये। अल्ताफ अहमद भट, जो उस इमारत के मालिक थे, जहां गोलीबारी हुई थी, और दंत चिकित्सक, मुदस्सिर गुल को उग्रवादियों की पहचान करने के लिए उठा लिया गया, लेकिन कथित मुठभेड़ में, पुलिस प्रवक्ताओं ने दावा किया कि दोनों क्रॉसफायर में मारे गए। जम्मू–कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपी द्वारा किए गए ऑपरेशन को संभवतः गलत खुफिया जानकारी से नाकाम कर दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा मारे गए नागरिकों के शवों को 70 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में गुप्त रूप से दफनाये जाने पर यह मुद्दा और भड़का। पीड़ितों के परिवार समर्थक सड़कों पर उतर आए, और पुलिस ने अपने बयानों को वापस ले लिया कि दोनों उग्रवादी थे। स्थानीय प्रशासन ने बाद में शवों को निकालने की अनुमति दी, और श्रीनगर में उन्हें दफनाने के लिए उनके रिश्तेदारों को वापस कर दिया। जब हम 18 नवंबर को पहुंचे तो हुर्रियत कांफ्रेंस द्वारा 19 नवंबर को बंद का आह्वान किया गया था। तनाव था, लेकिन बंद व्यापक और शांतिपूर्ण रहा।

ये घटनाएं कश्मीर क्षेत्र की बुरी हालत दर्शाती हैं। सरकारी बलों और उग्रवादियों के बीच संघर्ष और तनाव दैनिक जीवन की एक सच्चाई है, और लोग बंदूक के साये में तथा इसके साथ की सभी परेशानियों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। कश्मीर घाटी और मोटे तौर पर जम्मू–कश्मीर के पूरे क्षेत्र को परेशान करने वाले मुद्दे रिपोर्ट का विषय नहीं हैं। हालाँकि, यह रेखांकित करने की आवश्यकता है कि मीडिया के सदस्य इस 'संघर्ष' के माहौल में काफी समय से काम कर रहे हैं, और इसलिए अक्सर संघर्ष के विभिन्न पक्षों के दबाव में रहते हैं।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) टीम द्वारा तैयार की गई एफएफसी रिपोर्ट पीसीआई के अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित संदर्भ तक सीमित है, जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में समाचार मीडिया द्वारा मुक़ाबला किये जा रहे मुद्दों और समस्याओं से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

जब हम विचार करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की आबादी सिर्फ 13.6 मिलियन है – जोकि महानगरीय क्षेत्र मुंबई से कम है तब दैनिक और साप्ताहिक प्रकाशनों की परिचालन संख्या प्रभावशाली है। सरकारी पंजीकरण जम्मू को 259 प्रिंट प्रकाशनों (दैनिक और साप्ताहिक दोनों) के साथ दिखाते हैं, जिसमें 82 अंग्रेजी दैनिक, 29 उर्दू में और 22 हिंदी दैनिक शामिल हैं। कश्मीर क्षेत्र में 166 प्रकाशनों के पंजीकरण हैं, जिनमें 41 अंग्रेजी और 57 उर्दू दैनिक समाचारपत्र शामिल हैं। ये संख्या केवल उन प्रकाशनों को दर्शाती है, जिन्हें सरकारी विज्ञापन के लिए पात्र होने के लिए पंजीकृत किया गया है। इसलिए परिचालन की वास्तविक संख्या, जिनमें वे समाचारपत्र भी शामिल हैं जिन्हें गत 2–3 वर्षों में ही लॉन्च किया गया है या जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, आधिकारिक आंकड़ों से 20–30% अधिक हो सकती है।

प्रिंट प्रकाशनों के अलावा, कश्मीर और जम्मू समुदायों को टार्गेट करने वाले प्रसारण समाचार टेलीविजन क्षेत्रीय नेटवर्क हैं। इनमें न्यूज18 जम्मू–कश्मीर, जी सलाम और डीडी काशीर और डीडी उर्दू जैसे राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ–साथ स्थानीय नेटवर्क जैसी दोनों श्रेणियां हैं। जिनमें गुलिस्तान न्यूज, विन टीवी, एसटीवी और मुंसिफ टीवी शामिल हैं, ऑल इंडिया रेडियो में भी स्थानीय समुदायों को लक्षित करने वाली 5 स्थानीय भाषाओं गुर्जररी, बाल्ती, उर्दू, कश्मीरी और पहाड़ी में बुलेटिन हैं।

इनके अलावा, इंटरनेट आधारित समाचार चैनल ऐसे समाचारों के साथ लोकप्रिय और तेज होते हैं, जो अक्सर प्रसारण नेटवर्क से आगे होते हैं। हमें 'कश्मीर क्राउन', 'द रियल कश्मीर न्यूज', 'कश्मीर न्यूजलाइन' और 'द कश्मीर वाला' के साथ–साथ कश्मीर न्यूज सर्विस (केएनएस) और सीएनएस जैसी समाचार एजेंसियां मिलीं जो विभिन्न प्रकार के प्लैटफॉर्मों को समाचार रिपोर्टें और फोटोग्राफ प्रेषित करती हैं।

चिंताजनक प्रमुख क्षेत्र

आवास से निष्कासनः

श्रीनगर में आम शिकायतों में से एक थी पत्रकारों को उनके आवास से बेदखल करना। कई लोगों ने यह भी शिकायत की, कि सरकार के संपदा विभाग द्वारा उन्हें आवंटित कार्यालयों को भी वापिस लेने का दावा किया गया। अक्सर कारण लिखित में नहीं बल्कि मात्र मौखिक निर्देश होते थे। कुछ मामलों में, विभाग ने दावा किया कि व्यक्तियों या संगठनों ने किराये के भुगतान में चूक की थी।

हमने पाया कि अन्य केंद्रों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर में, आवास की कमी या शायद पत्रकारों की निम्न आय स्तर और समाचार संगठनों के दुर्लभ संसाधनों के कारण, उनमें से अधिकतर सरकार द्वारा आवंटित आवासों में रह रहे थे। उदाहरण के लिए प्रेस कॉर्पस की एक बड़ी संख्या श्रीनगर प्रेस एन्क्लेव में रहती है, जिसका स्वामित्व और प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय सरकार की है। सरकारी आवंटन से बेदखल करने के इन व्यापक मामलों से पता चलता है कि कार्रवाई शायद अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए, स्थिति को अपने फ़ायदे के हिसाब से बदलने के लिए की गयी है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, पिछले 12 से 18 महीनों में, उन लोगों पर दबाव डालने के लिए, जो स्थानीय प्रशासन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से पूर्ण रूप से सहमत नहीं लग रहे थे। नीचे दिये गए कुछ अभिसाक्ष्य इस परिकल्पना का समर्थन करते दिखाई देते हैं।

मोहम्मद असलम भट, एडिटर्स फोरम के अध्यक्ष, ने कहा "कश्मीर एक ऐसा राज्य है, जहां संघर्ष चल रहा है और हमारी स्थिति अलग है, सरकारी कार्रवाई को परखना मुश्किल है। हालांकि, यह एक संकेतक है कि हाल ही के दिनों में जिन 40 लोगों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है, उनमें से 20 पत्रकार हैं।"

इससे पहले कश्मीर न्यूज सर्विस के कार्यकारी संपादक के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए, उन्होंने खुलासा कियाः "हम लोग राज्य की ओर से हमले का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण हम नहीं जानते। 15 अक्टूबर, 2020 को केएनएस कार्यालय को सील कर दिया गया। हमें कई राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, और हमारे पास 25 पत्रकारों का सक्रिय स्टाफ है। 20 साल पहले हमें यह कार्यालय आवंटित किया गया था, लेकिन अचानक, किसी नोटिस के बिना, इसे जम्मू–कश्मीर सरकार के संपदा प्रभाग द्वारा सील कर दिया गया। हम, चूके बिना, 7,000 रुपये प्रति माह नियमित रूप से किराया दे रहे हैं। जब हमने कारण पूछा तो स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ऊपर, सचिवालय से आदेश मिला है। यह लगभग उसी समय की बात है जब 'कश्मीर टाइम्स' के दफ्तर को भी सील

कर दिया गया था। कार्यालय खाली करने के लिए हमें जो फोन आया था, वह उप निदेशक –संपदा का था; लेकिन आज तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है।

"अब एक साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन सरकारी विभाग हमें सील किए गए कार्यालय से अपना माल और उपकरण नहीं लेने दे रहा है। हमारा जनरेटर, कंप्यूटर और अन्य उपकरण बिना रखरखाव के सड़ रहे हैं।"

"जैसा कि हमने बताया है, कोई नोटिस नहीं मिला था, और हमें हमारे कार्यालय से बाहर करने का कोई कारण नहीं दिया गया। हालांकि हमे संदेह है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम विपक्षी गुटों और दलों के बारे में खबरें दे रहे हैं। केएनएस समाचार अधिकतर समाचारपत्रों द्वारा लिये जाते हैं और हमारे पास व्यापक सदस्यता है। अचानक एक दिन सदस्यता रद्द किये जाने तक, राजभवन, राज्यपाल की सीट, भी सदस्यता थी।"

युसूफ जमील, एक वरिष्ठ पत्रकार, जो अब *डेक्कन क्रॉनिकल* और *एशियन एज* के लिए काम कर रहे हैं, ने एफएफसी को इस प्रकार बतायाः "जिन लोगों ने 'संतुलित' रिपोर्टिंग की, उन्हें निशाना बनाया गया। मुझे इधर–उधर भगा दिया गया। बीबीसी के अल्ताफ़ हुसैन और एएफपी के नसीर मसूदी को अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया। *कश्मीर टाइम्स* को भी उनके कार्यालय और निवास स्थान से बेदखल कर दिया गया। 'बेदखली' का यह कार्य करने वाला अधिकारी संपदा विभाग का गुलाम हुसैन था।

"मेरे मामले में, मुझे शुरू में कुछ फोन कॉल आए जिनमें मुझे आवास खाली करने के लिए कहा गया था। कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। मुझे बस दो टूक कहा गया, यह सरकारी संपत्ति है, खाली करो! 1988 से यह मेरा निवास स्थान है लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा अल्टीमेटम किसी ने नहीं दिया था। अंत में, मैंने और अधिक विरोध न करने का फैसला किया और मार्च 2021 में आवास खाली कर दिया। मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं था, इसलिए मैं अपने पिता (श्रीनगर के नसीमबाग इलाके में) के साथ रहने लगा।"

अनुराधा भसीन, *कश्मीर टाइम्स* की कार्यकारी संपादक और **प्रमोद जामवाल**, *कश्मीर टाइम्स* के संपादक जो दोनों जम्मू प्रेस क्लब में एफएफसी के सामने एक साथ उपस्थित हुए, ने जो बताया, वह इस प्रकार हैः "2001 में जम्मू में अनुराधा भसीन के नाम पर आवंटित किया गया आवासीय क्वार्टर खाली किया गया और अक्तूबर 2020 में सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। अनुराधा भसीन को कोई कारण बताओ नोटिस या निष्कासन आदेश नहीं भेजा गया था। कोर्ट में दाखिल मुकदमों की सुनवाई अभी बाकी है। जम्मू–कश्मीर उच्च्य न्यायालय, जम्मू में मामले को सूचीबद्ध करना अभी बाकी है। पहले तो न्यायाधीशों ने इस दलील पर मामलों की सुनवाई से इनकार कर दिया कि वे याचिकाकर्ता अनुराधा भसीन को जानते हैं।

प्रताप पार्क, रेजिडेंसी रोड, श्रीनगर में 1991 में आवंटित *कश्मीर टाइम्स* के कार्यालय को 19 अक्टूबर, 2020 को सील कर दिया गया। उसी दिन, बेदखली और सीलिंग के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर, श्रीनगर की अदालत ने रोक लगा दी, लेकिन पुलिस बल और संपदा विभाग के कर्मियों ने सील कर बिजली आपूर्ति काट दी। मामला अभी सूचीबद्ध किया जाना है और अदालत या जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर में सुनवाई होनी है। कश्मीर टाइम्स, श्रीनगर के संपादक को कोई कारण बताओ नोटिस या बेदखली का आदेश नहीं दिया गया।

2009 में, जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए बेदखली और ढहाने के एक ऐसी ही आदेश को श्रीनगर में अदालत ने रद्द कर दिया था और संपदा विभाग को आवंटी, जिसने नए सिरे से निर्माण कर कार्यालय तैयार करने में पैसा लगाया है, के साथ बकाया राशि का निपटान करने का निर्देश दिया गया। संपदा विभाग से इस रकम की प्रतिपूर्ति अभी बाकी है।

"राज्य की आवास नीति के शिकार अकेले हम नहीं हैं। बीबीसी के अल्ताफ और एनडीटीवी के नसीम मसूद को भी बिना किसी नोटिस के उनके सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया है।"

यहां तक कि जब हम नवंबर 2021 में श्रीनगर में विभिन्न समाचार कर्मियों के अभिसाक्ष्य रिकॉर्ड कर रहे थे, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिचालित अंग्रेजी दैनिक, 'ग्रेटर कश्मीर' को श्रीनगर में अपना कार्यालय खाली करने के लिए मजबूर किया गया। डेली गार्जियन और जम्मू–कश्मीर न्यू ऐज के लिए लिखने वाले अर्शीद रसूल ने कहा कि अखबार ने 18 नवंबर को कार्यालय खाली कर दिया था, जिस पर 20 से अधिक वर्षों से उस अखबार का कब्जा था। अपील किये जाने के बावजूद समय–सीमा नहीं बढ़ायी गयी।

'ग्रेटर कश्मीर' के प्रधान संपादक फ़याज़ कलूहद को 17 नवंबर, 2021 को एक औपचारिक नोटिस मिला, जिस पर संपदा के उप निदेशक के हस्ताक्षर थे। इसमें कहा गया था कि जिस अवधि के लिए समाचारपत्र को कार्यालय आवंटित किया गया था, वह समाप्त हो गयी थी, और समाचारपत्र 'अवैध रूप से' परिसर पर कब्जा कर रहा था। नोटिस में अखबार को बताया गया कि उसे किराए की बकाया राशि 13,383/– रुपये देनी है। हालांकि कार्यालय को खाली करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अखबार मैनेजमैंट 18 नवंबर को शिफ्ट होकर श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में एक गैर सरकारी परिसर में चला गया।

यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि बड़े पैमाने पर परिचालित यह दैनिक, सरकारी प्रशासन के क्रोध, हिंसा का शिकार बनता रहा है, और सरकारी विज्ञापनों को जारी करने के मामले में, इसे, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके कार्यालयों पर अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय

जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 'टेरर फंडिंग' से जुड़े मामलों में छापेमारी की गई थी।

एफएफसी के संयोजक, श्री प्रकाश दुबे ने 21 जनवरी, 2022 को जम्मू–कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर, उनसे, कई पत्रकारों को उनके घरों और कार्यालयों से बेदखल करने का कारण बताने का अनुरोध किया। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो श्री दुबे ने सचिव, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी, 2022 को एक अनुस्मारक भेजा। हालांकि अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अगर जम्मू–कश्मीर सरकार घटनाओं पर अपना पक्ष रखती है, तो उसे रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा।

सरकारी विज्ञापन जारी करने के संबंध में भेदभाव

समाचारपत्रों के संपादकों और मालिकों, जिनसे हम मिले, की आम शिकायत यह थी कि सरकारी विज्ञापन, समाचारपत्रों की सेवा (लाइन) और उनकी कवरेज की प्रकृति के आधार पर उन्हें चुनिंदा रूप से जारी किए जा रहे थे। कुछ समाचारपत्रों, जिनपर स्थानीय प्रशासन का क्रोध था, ने पाया कि विज्ञापन या तो उनसे पूरी तरह से वापस ले लिये गये थे या धीरे–धीरे कम कर दिये गये थे।

जहां भारत में, समाचारपत्र–उद्योग विज्ञापन पर काफी निर्भर है, वहीं जम्मू और कश्मीर में, दशकों के संघर्ष के बाद, प्राइवेट उद्योग और वाणिज्य का स्तर काफी नीचे हो गया है और इसलिए निजी क्षेत्र के विज्ञापन भी कम हो गए हैं। इन परिस्थितियों में, अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापनदाता जम्मू–कश्मीर सरकार और उसकी विभिन्न शाखाएं और सहायक कंपनियां हैं। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, समाचार मीडिया की सरकारी विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में जानती है और इसीलिए इस क्षेत्र के लिए एक मीडिया नीति बनाई गई, जिसे 15 मई, 2020 को जारी किया गया। इसने पहले की 2016 की नीति को बदल दिया है। नई मीडिया नीति ने सरकारी विभागों, और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के सभी विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) को नोडल एजेंसी का दर्ज़ा देने का निर्णय लिया है।

नई मीडिया नीतिः बड़े बदलावों के बीच, नई मीडिया नीति में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास पर ध्यान दिया गया है और प्रिंट के अलावा अन्य प्लेटफार्मों के लिए 40% धनराशि निर्धारित की गई है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के योग्य होने के लिए किसी अन्य समाचार मंच के समाचारपत्र को डीआईपीआर के साथ 'सूचीबद्ध' होने की आवश्यकता है। इसके लिए समाचारपत्र या समाचार मंच को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए निरंतर अस्तित्व में होना जरूरी है। ऐसा लगता है कि पैनल में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अत्यधिक कपट साध्य है; और चूंकि यह एक आवश्यक शर्त है, एक समाचार मीडिया आउटलेट के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह सरकारी विज्ञापन प्राप्त कर सके।

नीति में डीआईपीआर को अधिकतम पहुंच और अर्थव्यवस्था के आधार पर मीडिया योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है और समाचारपत्र 'डी–एमपैनल' किए जाने के दर्द की वजह से विज्ञापन लेने से इनकार नहीं कर सकते।

नीति के अनुलग्नकों में यह स्पष्ट किया गया है कि (i) "सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य किसी मीडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है... सभी के लिए निष्पक्ष जानकारी की पारदर्शी, रचनात्मक और स्वस्थ संस्कृति को बढ़ावा देना नीति का प्रमुख उद्देश्य रहेगा।" और (ii) ऐसे विज्ञापन जारी करते समय, डीआईपीआर अखबारों, प्रकाशनों और पत्रिकाओं की राजनीतिक संबद्धता या संपादकीय नीतियों पर विचार नहीं करेगा..."

साथ–साथ ही, नीति को नकारात्मक श्रेणियों की व्यापक छाया से दूर रखा गया है। दुर्भाग्यवश इससे व्यक्तिपरक व्याख्या के लिए काफी स्कोप हो जाता है। नीति में कहा गया है कि (क) "डीआईपीआर ऐसे समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन जारी नहीं करेगा... जो सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाते हैं या भड़काते हैं, हिंसा का प्रचार करते हैं, सार्वजनिक शालीनता के व्यापक मानकों का उल्लंघन करते हैं या भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल किसी भी जानकारी का प्रचार करते हैं।"

इसमें विशेष रूप से कहा गया है, "जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण कानून–व्यवस्था और सुरक्षा विचारणीय है, यह सीमा पार के समर्थन और दुष्प्रेरणा से छद्म युद्ध लड़ रहा है।" "शांति भंग करने के राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रयासों को विफल करने" के लिए, नीति अनुशंसा करती है कि पैनल में शामिल किए जाने से पहले, "समाचारपत्र/न्यूज पोर्टल्स के साथ–साथ इसके प्रकाशकों/संपादकों/प्रमुख कर्मियों के पूर्ववृत्तों को विधिवत रूप से देखा जाए।"

सूचना विभाग द्वारा एफएफसी के लिए तैयार की गई स्टेटमेंट में दिया गया कि जम्मू क्षेत्र में 259 में से 26 प्रकाशनों और कश्मीर क्षेत्र में 166 प्रकाशनों में से 17 ने हाल ही के हफ्तों और महीनों में विभिन्न आधारों पर अपने विज्ञापन बंद कर दिए थे। बड़े पैमाने पर परिचालित 'ग्रेटर कश्मीर', 'कश्मीर रीडर' और उर्दू 'कश्मीर उज़्मा' जैसे कुछ मामलों में– जो व्यवस्था विरोधी अपने रुख के लिए जाने जाते हैं– कोई कारण नहीं बताया गया था। कश्मीर क्षेत्रों में कम से कम 9 प्रकाशनों को "खराब मुद्रण गुणवत्ता" के कारण विज्ञापन सहायता से अलग कर दिया गया था।

अभिसाक्ष्यः एफएफसी से मुलाक़ात करने वाले समाचार आउटलेट के कई संपादकों और मालिकों ने शिकायत की, कि आलोचनात्मक समाचार कवरेज को हतोत्साहित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा विज्ञापन को मंजूरी देने और वापस लेने की शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है।

कश्मीर टाइम्स और इसके सहयोगी प्रकाशनों की कार्यकारी संपादक, **अनुराधा भसीन**

ने जम्मू में एफएफसी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रुप के लिए विज्ञापन बंद करने से इसके कई संस्करण बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापन जारी करने में भेदभाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे एक दशक से अधिक समय हो गया था, जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने केंद्र में सरकार बनाई थी। प्रेस परिषद और अदालतों में शिकायतों और अपीलों से भी इस स्थिति में मदद नहीं मिली थी।

डीएवीपी के विज्ञापन, कश्मीर टाइम्स प्रकाशन के सभी समाचारपत्रोंः कश्मीर टाइम्स (जम्मू संस्करण), कश्मीर टाइम्स (श्रीनगर संस्करण), दैनिक कश्मीर (हिंदी, जम्मू संस्करण) और जम्मू प्रभात (डोगरी, जम्मू संस्करण) के लिए अप्रैल 2011 में बंद कर दिये गए थे। कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और अन्य सदस्यों के साथ दर्जनों बैठकों के बावजूद 2011 में भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष दायर याचिका की स्थिति का पता नहीं चला है। डीएवीपी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि यह गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर किया गया है। गृहमंत्री, सूचना और प्रसारणमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री को किए गए अभ्यावेदन का कोई परिणाम नहीं निकला और अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

2013 में, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने एक और एडवाइजरी जारी कर भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों को *कश्मीर टाइम्स* समूहों को विज्ञापन भेजने बंद करने के लिए कहा (एक प्रति भारतीय प्रेस परिषद को भेजी गई और जम्मू–कश्मीर प्रेस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में कई सदस्यों द्वारा देखी गई)। पीसीआई या अन्य प्रेस संगठनों के हस्तक्षेप से किसी भी तरह कोई मदद नहीं मिली।

जम्मू–कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को *कश्मीर टाइम्स* प्रकाशनों को विज्ञापन जारी करना बंद कर दिया था और तब से इन्हें कभी बहाल नहीं किया गया। निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क एवं सचिव–आयुक्त, सूचना को भेजे गए अभ्यावेदनों की अभी तक पावती नहीं मिली हैं। दो अखबारों, *दैनिक कश्मीर टाइम्स* और *जम्मू प्रभात* ने प्रकाशन बंद कर दिया है। पीसीआई और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तथा अन्य प्रेस संगठनों के हस्तक्षेप से अब तक कोई मदद नहीं मिली है।

मनीष गुप्ता, जम्मू से प्रकाशित '*अर्ली टाइम्स*' के संपादक ने श्रीनगर में बैठक कर रही प्रेस परिषद समिति के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य रिकॉर्ड कराने के लिए जम्मू से श्रीनगर तक का पूरा सफर तय किया। उन्होंने कहा कि उनके अखबार को 10 मई 2021 को 3 दिनों के लिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने खबर दी थी कि जम्मू स्थित जम्मू–कश्मीर श्राइन बोर्ड non-functional हो गया था, और इसकी वेबसाइट भी काम नहीं कर रही थी।

उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव नितेश्वर कुमार, जो श्राइन बोर्ड के सीईओ भी हैं, '*अर्ली टाइम्स*' को 'बंद कराने' के अभियान के पीछे थे। उन्होंने कहा कि अखबार को पिछले एक साल से विज्ञापन में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि समाचारपत्र भेदभाव का सामना कर रहे हैं और प्रशासन 'जल्दी चुनाव' जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करने का दबाव डाल रहा है। केवल एक मुद्दा जिसकी अनुमति है वह है 'विकास'। विज्ञापन जारी करने में भेदभाव पर अधिकारियों के समक्ष रखे गए विभिन्न अभ्यावेदन भी श्री मनीष ने एफएफसी के समक्ष रिकॉर्ड के लिए रखे।

एक डीआईपीआर स्टेटमेंट में एफएफसी के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि '*अर्ली टाइम्स*' से विज्ञापन वापस ले लिये गये थे और बताया कि यह प्रकाशन के खिलाफ "उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और यातना" की दर्ज शिकायतों के बाद एक जांच अधिकारी, उप निदेशक सूचना (पीआर), जम्मू के 26–08–2021 के एक पत्र के माध्यम से की गई संस्तुतियों के आधार पर, किया गया था।

फरज़ाना मुमताज, '*न्यू कश्मीर*' ने कहा, "घाटी में कोई बड़े कॉरपोरेट या व्यवसाय नहीं हैं, इसलिए सरकार मुख्य विज्ञापनदाता है, और हमने यह दिखाने के लिए मामले प्रस्तुत किए हैं कि कैसे प्रेस को मरोड़ने के लिए सरकार विज्ञापन का उपयोग कर रही है।

ताहिब मोहिदीन, प्रधान संपादक, उर्दू दैनिक '*चट्टान*' ने एफएफसी को इस प्रकार बताया: "सरकारी सूचना विभाग द्वारा प्रेस के साथ यदा–कदा ही कोई बातचीत होती है। हालांकि, विज्ञापन पर, हमसे हमारी संपादकीय नीति परिचालन आदि पर कई प्रश्न पूछे गए।

सरकारी विज्ञापन कैसे आवंटित किए जाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट (निर्धारित) नीति नहीं है। '*चट्टान*' 40 साल पुराना उदारवादी पत्र है, फिर भी हमें केवल न्यूनतम विज्ञापन ही मिलते हैं। '*ग्रेटर कश्मीर*' के लिए सभी सरकारी विज्ञापन बंद कर दिये गये हैं क्योंकि सरकार को इसकी संपादकीय नीति पसंद नहीं है। नतीजा यह हुआ कि कई पत्रकारों और फोटोग्राफरों को निकालना पड़ा। पहले सरकार के सूचना विभाग द्वारा निगरानी की जा रही थी, अब सीधे पुलिस इसकी निगरानी कर रही है।

"मैं पिछले कुछ महीनों से श्री राहुल पांडे, निदेशक–सूचना, से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह नहीं मिल पाये हैं।"

एस तारिक, '*कश्मीर इमेजेज*' के संवाददाता और अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के सचिव, ने कहा: "'*कश्मीर इमेजेज*' के विज्ञापन पिछले 4–5 दिनों से बंद हैं; यह शायद हैदरपोरा मुठभेड़ की हमारी कवरेज के कारण है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हमारे संपादक, बशीर मंजर को कई मौकों पर धमकियां मिल चुकी हैं। मैं एक कार्टूनिस्ट हूं, फिर भी मुझे अपना रुख नरम करने के लिए हमारे कार्यालय से संदेश मिलते रहते हैं। हम यथासंभव संतुलित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अच्छी बात नहीं हैं।

मोहम्मद असलम भट, एडीटर्स फोरम के अध्यक्ष, ने एफएफसी प्रतिनिधिमंडल से कहाः "यह चिंता की बात है कि '*कश्मीर इमेजेज*' के संपादक, बशीर मंजर जैसे वरिष्ठ कर्मी अब अखबार बंद करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि सभी विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं। विज्ञापनों के बिना कौन बने (survive) रह सकता है?

एफएफसी की कई टीम कई लोगों से मिली, जिनका मानना था कि प्रिंट न्यूज मीडिया का धीरे–धीरे, लेकिन निश्चित रूप से दम घुट रहा था और वह खत्म हो रहा था। पाठकों की संख्या में गिरावट के अलावा, उन्होंने देखा कि विज्ञापन प्राप्त करने का एक ही मुख्य जरिया–सरकार–पर्याप्त वाणिज्यिक मॉडल नहीं था, और समाचार प्लेटफार्मों को खुद को विलुप्त होने से बचाने के लिए बहुत जल्दी ऑनलाइन के जरिये का इस्तेमाल करना होगा। जफर इकबाल, जो पहले एनडीटीवी से जुड़े थे और अब 'माईमोजो स्टोरी' के संवाद्दाता हैं, ने हमें बतायाः "हमने जो समझा है वह यह है कि भौतिक (Physical) विज्ञापन का माध्यम (मॉडल) और मुद्रित समाचारपत्रों पर निर्भरता सही नहीं है। इसे जारी नहीं रखा जा सकता। डिजिटल मॉडल बेहतर काम करता है, इसे मोड़ना आसान है।

नजरबंदी, गिरफ्तारी की धमकी और डराना–धमकाना

अधिकतर साक्ष्यों और अभिसाक्ष्यों में एक बात सभी में थी और वह यह थी कि उन्हें ड्यूटी करते समय सुरक्षा बलों की ओर से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इनमें 'अलगाववादियों' की मदद करने के आरोप से लेकर पुलिस कैंपों में लंबे समय तक पूछताछ, 'फर्जी खबर' परिचालित करने के लिए नजरबंदी और गिरफ्तारियां शामिल हैं। कई पत्रकारों ने कहा कि श्रीनगर के कुख्यात 'कार्गो सेंटर', जिसे आमतौर पर कट्टर उग्रवादियों के लिए हिरासत और पूछताछ केंद्र के रूप में जाना जाता है, में या तो स्वयं उनसे या अन्य पत्रकार जिन्हें वे जानते थे, पूछताछ की गई थी।

पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर) विजय कुमार द्वारा एफएफसी को जारी स्टेटमेंट में स्वीकार किया गया है कि 2016 से अक्टूबर 2021 के मध्य तक पत्रकारों के खिलाफ 49 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से, 8 पत्रकारों पर कड़े विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं, 17 मामलों को आपराधिक रूप से डराने–धमकाने को लेकर दर्ज किया गया है, और 24 पत्रकारों पर रंगदारी और अन्य अपराधों के लिए मामले दर्ज किये गये हैं।

हमने कुछ महत्वपूर्ण अभिसाक्ष्यों को सूचीबद्ध किया है जो गंभीर चिंता का विषय हैः

जुल्फिकार माजिद, डेक्कन हेराल्ड के संवाद्दाता "जून 2020 में, मेरी पित्ताशय की दर्दनाक सर्जरी अभी पूरी ही हुई थी, मुझे कुछ सीधे सादे (नुकसान न पहुंचाने वाले) ट्वीट्स के लिए राज्य सी.आई.डी. द्वारा समन किया गया। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस

सभी पत्रकारों का बैकग्राउंड नोट तैयार कर रही है। लेकिन तरीका अपमानजनक था। मुझे दर्जनों बार समन किया गया, कभी–कभी तो देर रात में। इससे, जिस इलाके में मैं रहता था, वहां मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सामाजिक समस्या पैदा हो गई, शायद यह जानबूझकर मुझे समस्या में डालने के लिए किया गया था।

इसी साल, सितंबर में 4 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा हल्ला किए जाने के डर से मैंने ट्वीट करना बंद कर दिया है। सुरक्षाकर्मी पत्रकारों पर उग्रवादियों के लिए कार्य करने (ओजीडबल्यू – ओवरग्राउंड वर्कर होने) का आरोप लगाते हैं। शायद वे चाहते हैं कि मैं उनकी बात मानूं। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, कुछ लोगों को इससे भी और ज्यादा परेशान किया गया है।

"कुछ पत्रकार कार्यकर्ता बन गए हैं, लेकिन हम सभी को सज़ा न दें। 2016 में, मैं पाकिस्तान में अपने चाचा से मिलने गया था। क्या पाकिस्तान में मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं? लेकिन बार–बार मुझसे यही सवाल किया जाता हैः क्या आप पाकिस्तान गए थे?"

मजीद हैदरी, स्वतंत्र पत्रकारः "कश्मीर में हम शैतान और गहरे समंदर के बीच फंस गए हैं। उग्रवादी हमें धमकाते हैं और पुलिस भी। मैं आम तौर पर समाचारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता रहा हूं। अब तक मेरे खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं। मुझे कई बार कार्गो डिटेंशन सेंटर, जो केवल आतंकवादियों के लिए है, में बुलाया गया और मुझसे पूछताछ की गई। मुहर्रम के दिन पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग को लेकर किया गया मेरा सोशल मीडिया पोस्ट मुद्दा था। दागी अधिकारी, एस.पी. हजरत इमाम से सवाल करना दूसरा मुद्दा था।

वे हमारे ट्विटर पोस्ट को ट्रैक करते हैं और फिर हमें परेशान करते हैं। मैंने उपराज्यपाल से शिकायत की है, लेकिन उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की है।

शाकिर मीर, द वायरः "पुलिस विभाग पत्रकारों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने, उन्हें समन करने में लगा हुआ है, कई गिरफ्तार किए गए हैं, डर का माहौल है। ज़ाहिद रफ़ीक़, जो तहलका, अल जज़ीरा, आदि के लिए काम किया करता था, कॉर्नेल विश्वविद्यालय की तरफ़ जा रहा था, जब उसे नई दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया। 'कश्मीरियत' का समर्थन करने के आरोप में पांच पत्रकारों, जिनमें बीबीसी फोटोग्राफर, मुक्तार जहूर भी शामिल हैं, को हिरासत में लिया गया। उन पर रैपर्स रेजिस्टेंस म्यूजिक को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था।"

हबीब इरफान, द इकोनॉमिक टाइम्स

आज़म जावेद, स्वतंत्र पत्रकार, पूर्व में द प्रिंट के साथ कार्यरत

ऐसे पत्रकारों की एक लंबी सूची है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की बात मानने के लिए डर और भय का माहौल पैदा करना है।

– 'द हिंदू' के पीरज़ादा आशिक और कई अन्य लोगों को समन किया गया और उनके समाचारों के 'स्रोत' के लिए पूछा गया।

– 'इंडियन एक्सप्रेस' के बशरात मसूद को समन किया गया और धमकाया गया।

– 'एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट, मसरत ज़हरा और गौहर गिलानी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की गई हैं।

रियाज़ मसरूर और आमिर पीरज़ादा, दोनों बीबीसी के लिए काम कर रहे हैं, ने निम्नलिखित बात कहीः 26 साल के मुख्तार ज़हूर को उनके घर से उठाया गया और मुंशी बाग पुलिस स्टेशन लाया गया। उनसे पूछताछ की गई और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, अंत में रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वह मानसिक रूप से परेशान है और सदमे का सामना कर रहा है।

"पत्रकारों का उत्पीड़न पिछली सरकारों के समय में भी होता आया है। एक अन्य पत्रकार, रियाज मंसूर को 2010 में पुलिस ने पीटा था जब उमर अब्दुल्ला सीएम थे, वह अभी भी डरे सहमे से हैं। कोई नहीं कहताः रिपोर्ट मत करो, लेकिन इशारा उनके हिसाब से चलने का होता है। हाल ही के मामलों में तांत्रे नसीर गणानी शामिल हैं, जिन्हें अपने सभी व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए पुलिस द्वारा एक प्रश्नावली भरने के लिए बुलाया गया था, मुख्तार की ज़बरदस्त निगरानी की गई।

"ऐसा लगता है कि पुलिस ने कई पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने का सहारा लिया है, जिनमें यूएपीए का उपयोग भी शामिल है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दावा किया गया था कि उन्हें 'जनता को उकसाने' के लिए बनाया गया था। आईजीपी, विजय कुमार के एक बयान के अनुसार, 20 अप्रैल, 2020 या उसके आसपास, एक लेखक और स्वतंत्र पत्रकार, गौहर गिलानी और बाद में फहद शाह पर यूएपीए अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने "कई पोस्ट, पोस्ट/ट्वीट किए, जो घाटी में आतंकवाद को महिमामंडित कर रहे थे, और भारत संघ के खिलाफ मनमुटाव पैदा कर रहे थे।"

उसी समय के आसपास, जम्मू–कश्मीर पुलिस ने स्वतंत्र फोटो पत्रकार, मसरत ज़हरा के खिलाफ यूएपीए के तहत एक एफ़आईआर दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि ज़हरा "युवाओं को दुष्प्रेरित करने के आपराधिक इरादे" से फेसबुक पर "राष्ट्र–विरोधी पोस्ट" अपलोड कर रही थी। ज़हरा ने कहा कि उसने केवल अपनी प्रकाशित तस्वीरें अपलोड की थीं। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ एफ़आईआर और पुलिस जांच जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के संबंध में जम्मू–कश्मीर पुलिस ने 'द हिंदू' के पीरज़ादा आशिक के खिलाफ भी एक सामान्य एफ़आईआर दर्ज की थी हालांकि वह यूएपीए के तहत नहीं थी।

जावेद बेग, ने उमर अब्दुल्ला के प्रेस सचिव के रूप में काम किया, और वह बडगाम जिले में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन, कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। उन्होंने एफएफसी को बताया कि हालांकि उन्होंने अलगाव के खिलाफ भारत की 'एकता' के लिए मुहिम चलाई, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा 370 को हटाने के तुरंत बाद उन्हें 9 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 60 अन्य लोगों के साथ उन्हें वाराणसी जेल भेज दिया गया था। उन्हें आज राज्य सुरक्षा दी गई है, और उन्हें एक पुलिस सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) सौंपा गया है।

काज़ी शिबली एक अन्य पत्रकार हैं जिन्हें जावेद बेग के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक साल वाराणसी जेल में बिताया, और किसी आरोप या मुकदमे के बिना उन्हें रिहा कर दिया गया।

10 जनवरी 2022 को, हमें जम्मू–कश्मीर पत्रकार संघ (जेएकेजेए) के महासचिव से 'द कश्मीर वाला' के लिए काम करने वाले एक प्रशिक्षु पत्रकार, सज्जाद गुल के संबंध में एक शिकायत/स्टेटमेंट प्राप्त हुआ। पत्रकार को जम्मू–कश्मीर पुलिस ने 5 जनवरी 2022 को विभिन्न आरोपों के लिए गिरफ्तार किया था, जिसमें आपराधिक साजिश और फर्जी खबरें फैलाना शामिल था।

शिकायत में कहा गयाः

"9 फरवरी 2021 को, गुल पर द कश्मीर वाला के लिए लिखे गए एक लेख के लिए "दंगा करने, अतिक्रमण करने और हमला करने" का आरोप लगाया गया, जिसमें बांदीपोरा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि ढहाने की एक मुहिम के दौरान तहसीलदार हाजिन द्वारा उन्हें "परेशान किया गया और धमकाया" गया। बाद में, गुल को हाजिन पुलिस स्टेशन में तहसीलदार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बुक किया गया।

"अक्तूबर में, गुल को फिर से पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जब उसने अपना काम और उससे संबंधित वीडियो ट्विटर पर साझा किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, 25 वर्षीय इम्तियाज़ अहमद काकरू, जो गोलीबारी में मारा गया था, के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका संबंधी 'फर्जी मुठभेड़' में मारा गया था। अपनी गिरफ्तारी से एक हफ्ते पहले, गुल ने काकरू के परिवार के सदस्यों के हवाले से कथित गोलीबारी के बारे में द कश्मीर वाला के लिए फॉलो अप स्टोरी दी थी।

"अब, उनके परिवार के अनुसार, गुल को 5 जनवरी को ले जाया गया था और तीन दिन बाद पुलिस ने कहा कि 'लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए' फर्जी खबरें प्रकाशित करने पर" उन्हें धरा (बुक) गया था।

"हम इस तरह की मनमानी नज़रबंदी को लेकर बहुत परेशान और चिंतित हैं और हम इस मामले में तुरंत आपका हस्तक्षेप चाहते हैं क्योंकि इससे क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता को

खतरा है ..."

हमारी जांच पड़ताल में पता चला कि सजद गुल के खिलाफ 3 एफ़आईआर दर्ज की गई थीं। दो पुलिस अधिकारियों की शिकायतों पर आधारित थीं, और एक स्थानीय तहसीलदार की शिकायत के आधार पर थी। हालाँकि, बांदीपोरा के सुंबल में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 जनवरी को जमानत दे दी, लेकिन गुल को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बुक किया गया था, जोकि एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें जमानत पाना लगभग असंभव बन जाता है।

बांदीपोरा के उपायुक्त, ओवैस अहमद द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के आह्वान का औचित्य, जैसा कि 23 जनवरी, 2022 को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उद्घृत किया गया था, इस प्रकार हैः

"आपने हमेशा सोशल मीडिया पर विवादित बयान दिए हैं/ट्वीट किए हैं और एक पत्रकार होने के नाते, आप दुश्मनी को बढ़ावा देने की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण के बारे में रिपोर्ट कम कर रहे हैं। आप राष्ट्र–विरोधी/असामाजिक ट्वीट्स की तलाश में रहते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की नीतियों की नकारात्मक आलोचना करते रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों को तथ्यात्मक जांच किए बिना ट्वीट करते हैं। आप, आतंकवादियों और उनके परिवारों के स्वयंभू मसीहा के रूप में कार्य करते हैं और अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाते हैं।

उनकी निरंतर नजरबंदी को सही ठहराते हुए, उपायुक्त ने अपनी स्टेटमेंट में कहा हैः 'इस बात की पूरी आशंका है कि आपको माननीय न्यायालय से जमानत मिल जाए, इस प्रकार यह देश के शांतिपूर्ण माहौल, शांति, कानून और व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा...इस समय आपकी रिहाई न केवल बांदीपोरा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी घाटी के लिए खतरा होगा।

एफएफसी के संयोजक, श्री प्रकाश दुबे ने 10 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव, जम्मू–कश्मीर सरकार को पत्र लिखकर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सजद गुल की गिरफ्तारी सरकार से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

एफएफसी को दिए गए एक बयान में, प्रभागीय आयुक्त, पांडुरंग पोल और आईजीपी, विजय कुमार ने पत्रकारों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई को यह कहते हुए उचित ठहराया कि "कुछ अवसरों पर यह देखा गया है कि मीडियाकर्मी/पत्रकार अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और उन गतिविधियों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं जिनसे लोग भड़क जायें और अंततः इससे कानून–व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो जाती है..."

उदाहरण देते हुए, बयान में कहा गया कि 31 अगस्त, 2018 को बटमालू में आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में एक पत्रकार आसिफ सुल्तान को गिरफ्तार किया गया था। एक

अन्य मामले में, पंपोर, पुलवामा के रहने वाले सीएनएस न्यूज एजेंसी के पत्रकार आदिल फारूक भट को 10 अगस्त, 2021 को श्रीनगर के लालचौक के पास एक तलाशी अभियान में 2 ग्रेनेड के साथ मक्का मार्केट में पकड़ा गया था।

यह पूछे जाने पर कि मजीद हैदरी से बार–बार पूछताछ क्यों की गई, विजय कुमार ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया था कि यह 'फर्जी मुठभेड़' थी।

कई पत्रकार और कुछ स्वतंत्र स्तंभकार भी यह कहते हुए पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए दिखाई दिए कि कई पत्रकार उग्रवादियों के कार्यकर्ता बन गए थे और अपने पेशे की आड़ में आपराधिक और 'राष्ट्र–विरोधी' गतिविधियों में लिप्त थे। एएनएन न्यूज के **तारिक** ने सीएनएस न्यूज के आदिल फारूक के मामले की ओर इशारा किया, जो अपने लंच बॉक्स में हथगोले ले जाते हुए पकड़ा गया था। **जावेद बेग**, एक स्तंभकार और शोधकर्ता तथा पहले, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के प्रेस सहायक होने का दावा करते हुए, ने कहा, "अखबार मालिक और संपादक नकारात्मकता फैला रहे हैं, और भारत के विचार पर सवाल उठा रहे हैं।

यह "कश्मीर की संस्कृति का 'अरबीकरण' है। यह आईएसआई और आईएसपीआर कार्यक्रम का हिस्सा है। नकारात्मक पीआर के माध्यम से, वे कश्मीर में संस्थानों को कमजोर कर रहे हैं," बेग ने कहा।

एफएफसी की राय में, उग्रवादियों के सरकार विरोधी कार्यक्रम का पत्रकारों द्वारा समर्थन या सहायता करने का कोई औचित्य नहीं है, और यदि वे हथियार लाते हैं, सहायता करते हैं और उग्रवादियों को पनाह देते हैं, या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो वे पत्रकार नहीं रहते और उग्रवादी बन जाते हैं, या उग्रवादियों का समर्थन करने वाले आम लोग बन जाते हैं, और समाचारों को प्रसारित करने और बताने वाले समाचार कर्मियों को मिलने वाले किसी भी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते।

हालाँकि, अगर पत्रकारों को दंडित किया जाता है या उन पर ऐसी समाचार सामग्री परिचालित करने के अपराध का आरोप लगाया जाता है, जो कि सुरक्षा बलों या सरकारी प्रशासन के निर्णय के अनुरूप न हों, तो यह पूरी तरह से एक अलग मामला है। समाचार और विचार हमेशा सत्ता में रहने वालों की पसंद के नहीं हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसके लिए संदेशवाहक को दंडित करें।

इंटरनेट में बाधा, मान्यता से वंचित करना और समाचार एकत्र करने के अन्य सामान्य विशेषाधिकार

एफएफसी के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी लोगों की सामान्य समस्या, अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद संचार नेटवर्क को जानबूझकर बाधित किया जाना था। यह 5 अगस्त, 2019 से लगभग 2 महीने के लिए घाटी में इंटरनेट नेटवर्क बंद करके किया गया था। हालांकि पत्रकारों के लिए इंटरनेट सेवा समिति करके अशांति फैलने से रोकने के लिए आम

लोगों के लिए संप्रेषण में कटौती करना औचित्यपूर्ण हो सकता था जोकि यह अंतिम उपाय लगता था, जिसने समाचार मीडिया के सामान्य कामकाज को प्रभावित किया।

मीडिया को काम करने के लिए कुछ संचार पहुंच प्रदान करने के लिए, स्थानीय प्रशासन ने 4 कार्य स्टेशनों और धीमे 2जी इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक 'मीडिया सुविधा केंद्र' का निर्माण किया। जम्मू–कश्मीर क्षेत्र से राज्य का दर्जा वापस लिये जाने के प्रभाव को कवर करने के लिए श्रीनगर आए 300 से अधिक स्थानीय पत्रकारों और लगभग 100 पत्रकारों के लिए, 4 कार्य स्टेशनों को साझा करना, सजा और वृतिक अपमान के रूप में देखा गया। एफएफसी को लगा कि, समाचारों के प्रसार पर जानबूझकर लगाम लगाने का यह एक उपाय था।

बाद में, कार्य स्टेशनों की संख्या, हफ्तों और महीनों में बढ़ाकर 20 कर दी गई। सीमित संचार नेटवर्क के कारण, पत्रकारों को अपने समाचारों को एक पेन ड्राइव में एकत्रित करना पड़ता था और फिर नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए बारी–बारी से जाना पड़ता था, जहां से समाचार उनके संबंधित कार्यालयों में भेजे जाने होते थे।

डेक्कन हेराल्ड के जुल्फिकार माजिद ने इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया:

"पत्रकारों के लिए संचार (Communication) ही सब कुछ है, फिर भी कश्मीर में हम इंटरनेट डार्कनैस की बड़ी समस्या को देख रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद, 5 अगस्त से 12 अगस्त, 2019 तक पूरी तरह से इंटरनेट बंद था। हम केवल सरकार द्वारा संचालित मीडिया सुविधा केंद्र से ही काम कर सकते थे। 400 पत्रकार 2जी स्पीड से 4–5 वर्क स्टेशन के लिए हाथ–पांव मार रहे थे। 2 महीने तक यही स्थिति बनी रही। मार्च 2020 के बाद ही स्थिति में सुधार हुआ है। मोबाइल इंटरनेट 2 दिनों के लिए फिर से काट दिया गया था, जब सैयद अली शाह गिलानी (पाकिस्तान के साथ कश्मीर के विलय के लिए खड़े अलगाववादी नेता) की मृत्यु 1 सितंबर, 2021 को हुई थी।"

जफर इकबाल, जिन्होंने पहले एनडीटीवी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्य किया एवं इस समय माईमोजो स्टोरी के साथ काम कर रहे हैं, ने कहा:

"अगस्त 2019 में इंटरनेट बंद होने से एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। अगर उचित संपर्क और समाचार–प्रवाह की अनुमति नहीं होती तो, इससे सिर्फ अफवाहें फैलती हैं। जब गिलानी की मृत्यु हुई, तो इंटरनेट फिर से बंद हो गया। सारे संपर्क इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, और इसलिए संपर्क खुद ही टूट जाता है। लाइव एनकाउंटर कवरेज भी सुरक्षा बलों द्वारा बंद कर दी गई। मोबाइल टॉवर बंद होने से रियल टाइम कवरेज मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन मुद्दों पर श्रीनगर में बात कि जा सकती है, लेकिन दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।"

मान्यता से इनकारः हमारे सामने अभिसाक्ष्य देने वाले लगभग सभी लोगों ने कहा कि पत्रकारों को मान्यता कार्ड जारी करने की कार्रवाई 31 मार्च, 2020 से समाप्त कर दी गई है, और कोई नई आईडी या किसी अन्य प्रकार की प्रेस मान्यता जारी नहीं की गयी है। संघर्ष क्षेत्रों में यात्रा करते समय उत्पीड़न और नज़रबंदी को रोकने और सुरक्षित निकालने के लिए जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में प्रेस मान्यता एक महत्वपूर्ण ज़रिया है। इस सरकार द्वारा जारी आईडी के बिना, आसपास घूमना एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना समाचारकर्मियों के लिए मुश्किल हो गया है।

प्रदीप दत्ता और अमित शर्मा, जो संयुक्त रूप से उपस्थित हुए और 'टाइम्स नाओ' समाचार चौनल के लिए काम करते हैं, ने जम्मू प्रेस क्लब में अभिसाक्ष्य देते हुए एफएफसी को बतायाः "मार्च 2020 से पत्रकारों को कोई मान्यता नहीं दी गई है। इस वजह से सचिवालय तक हमारी पहुंच नहीं रही है। अगर हम समय लेने के लिए फोन करते हैं, तो हमें अधिकारी की मर्ज़ी के हिसाब से पहुंच मिलती है। अब आईएएस का अर्थ है इन–एक्सेसिबल सर्विस।"

जम्मू प्रेस क्लब प्रबंधन समिति के कई सदस्य, जो जम्मू में एफएफसी के समक्ष सामूहिक रूप से उपस्थित हुए, ने कहा कि मान्यता कार्ड जारी नहीं करना उत्पीड़न का एक सोचा–समझा तरीका था क्योंकि इससे पहुंच कम हो जाती है। सरकारी विभागों का पत्रकारों से भी कोई संपर्क नहीं है। यह सारी कार्रवाई आमतौर पर पत्रकारिता और समाचार मीडिया के महत्व को कम करने के लिए की गई है।

टाइम्स नाओ के सोहेल सहरान ने एफएफसी को बतायाः "मुझे याद है, नवंबर 2018 में, पुंठा चौक पर बीएसएफ पार्टी पर ग्रेनेड हमले की घटना को कवर करते हुए, मुझे घटनास्थल तक पहुंचने से रोक दिया गया था और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। उसके बाद मैं कई दिनों तक मानसिक सदमें में रहा।"

डेक्कन क्रॉनिकल और *एशियन ऐज* के लिए काम कर रहे एक वरिष्ठ पत्रकार, युसूफ जमील ने कहा कि यह मेनलाइन और कश्मीर–आधारित समाचार मीडिया, दोनों के लिए काम कर रहे स्थानीय पत्रकारों की सामान्य शंका की बड़ी समस्या का हिस्सा था। सब का आरोप था कि वे 'फर्जी खबर' फैला रहे थे।

"इसके साथ ही, प्रशासन ने पत्रकारों की अपनी ही 'जनजाति' विकसित कर ली। 2020 के बाद पत्रकारों की मान्यता बंद कर दी गई और सरकार/सुरक्षा प्रवक्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुनिंदा निमंत्रण नीति का पालन किया गया," जमील ने कहा।

श्रीनगर न्यूज के इकबाल वानी ने शिकायत की, कि उग्रवाद विरोधी ऑपरेशनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पत्रकारों के साथ हर रोज़ ही मारपीट/बुरा बर्ताव किया जाता था।

रियाज़ मसरूर और आमिर पीरज़ादा, जो दोनों बीबीसी के लिए काम करते हैं, एफएफसी के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया: "मेनलाइन मीडिया तक को भी कोई कर्फ्यू पास जारी नहीं किये गए। जब हम कवरेज के लिए आगे जाते हैं, तो हमारे निजी आई.डी. कार्ड का कोई सम्मान नहीं किया जाता। दैनिक रिपोर्टिंग एक समस्या बन गई है, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, हम हमेशा तनाव में रहते हैं कि किसी घटना/वारदात को कवर करने के लिए मौके पर कैसे पहुंचे।"

अधिकांश फील्ड रिपोर्टरों ने कहा कि उग्रवादियों के साथ संघर्ष की घटनाओं और लाइव मुठभेड़ की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबंध और ज्यादा हो गए थे। मुठभेड़ क्षेत्र के चारों ओर एक विस्तृत घेरा बनाया जाएगा और मीडियाकर्मियों को दूर रखा जाएगा। इंटरनेट तक पहुँच के स्थानीय मोबाइल टावरों को भी काट दिया जाएगा। इससे रिपोर्ट करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल करना भी असंभव हो गया। पुलिस आईजी, विजय कुमार ने कहा कि अधिकतर प्रतिबंध, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और उग्रवादियों को संपर्क करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए थे। "पत्रकारों को मुठभेड़ स्थल के करीब होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, हम उन्हें जानकारी देते हैं," विजय कुमार ने एफएफसी को बताया।

पत्रकारों की निगरानी और उनका प्रोफ़ाइल

जम्मू–कश्मीर राजनेता, महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रेस परिषद को संबोधित अपने पत्र में जिन विशिष्ट शिकायतों का उल्लेख किया गया है, उनमें से एक यह है कि पत्रकारों को बुलाया जाता है और एक प्रश्नावली भरने के लिए कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति के 'राष्ट्र–विरोधी' ताकतों के साथ संबंध हो सकते हैं। सुश्री महबूबा ने कथित प्रश्नावली की एक प्रति भी संलग्न की है, जिसमें विभिन्न विषयों के जवाब मांगे गए हैं, जिनमें से अधिकांश का पत्रकारिता के पेशे से कोई लेना–देना नहीं है। कुल 25 प्रश्न हैं, जिनमें 1. प्रतिवादी की राजनीतिक निष्ठा; 2. मालिकाना संपत्ति का विस्तृत विवरण; और 3. पाकिस्तान में संबंध को लेकर प्रश्न हैं।

हमने एफएफसी के सामने गवाही देने वाले कई पत्रकारों से पुलिस की प्रश्नावली का जवाब देने के लिए कहा। उनमें से अधिकांश को या तो सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था, या वे उन सहयोगियों से परिचित थे जिनका पुलिस ने इंटरव्यू लिया था। *डेक्कन हेराल्ड* के जुल्फिकार मजिद ने कहा कि प्रश्नावली के अनुसार विवरण देने के लिए उन्हें कई बार और कभी–कभी कार्गो सेंटर बुलाया गया। टाइम्स नाओ, जम्मू में कार्यरत स्टाफ, प्रदीप दत्ता और अमित शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रश्नावली नहीं देखी, लेकिन इसके बारे में सुना था; उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने परिवार के बारे में ब्योरा देने के लिए पुलिस से फोन आए थे।

पुलिस महानिरीक्षक, विजय कुमार को यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था कि जम्मू–कश्मीर क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकारों के प्रोफाइल के लिए एक कार्यक्रम मौजूद है। "हमारा उद्देश्य 80% कश्मीरियों की रूप–रेखा तैयार करना है, और हम पत्रकारों के लिए भी ऐसा करेंगे," उन्होंने कहा।

जिन लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, उनके द्वारा सूचीबद्ध दूसरी तरह के दबाव में एक एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) होने का उल्लेख किया गया है, जो विशिष्ट पत्रकारों को विदेश यात्रा से ब्लैकलिस्ट करती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि पासपोर्ट का नवीनीकरण एक बुरा सपना बन गया है, और यहां तक कि इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए एक 'बॉन्ड' पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसमें यह आश्वासन देना होता है कि कनेक्शन का कोई 'दुरुपयोग' नहीं होगा।

बीबीसी के लिए काम कर रहे रियाज़ मसरूर ने कहा, "एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अब यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। हमारे पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारे कई व्यक्तिगत, संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं और लौटाये नहीं गए हैं।"

इकोनॉमिक टाइम्स के संवाददाता, हकीम इरफान ने पुष्टि की कि नवंबर 2020 से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट बनाई गई है। सूची में शामिल 43 में से आधे से अधिक पत्रकार हैं। जिन लोगों को इसके कारण कष्ट सहन करना पड़ा, उनमें से एक था, जाहिद रफीक, जो एक लेखक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क जा रहा था। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।

इरफ़ान ने कहा, "इंटरनेट कनेक्शन जारी करने से पहले एक बॉन्ड मांगा जाता है। स्वतंत्र पत्रकारों का जीवन नरक बन गया है। संपादकों पर 'उग्रवादियों' शब्द का इस्तेमाल न करने और इसे बदलकर 'आतंकवादी' शब्द का इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।"

बाद में, एफएफसी के श्रीनगर दौरे से लौटने के बाद, समिति ने टेलीफोन पर अमेरिका स्थित जाहिद रफीक का साक्षात्कार लिया। उन्होंने हमें निम्नलिखित बताया: "अमेरिका में रचनात्मक लेखन में अपना करियर बनाने के लिए मैंने कुछ साल पहले पत्रकारिता छोड़ दी थी। मैं दिल्ली से कॉर्नेल विश्वविद्यालय (न्यूयॉर्क राज्य में) में एक शिक्षण अध्येतावृत्ति शुरू करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। मुझे हिरासत में लिया गया और श्रीनगर ले जाया गया। पूछताछ के बाद मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था।"

कश्मीर प्रेस क्लब का अधिग्रहण (Takeover)

तथ्यान्वेषी समिति को जनवरी के मध्य में या उसके आसपास कश्मीर प्रेस क्लब की प्रबंधन समिति, जोकि अभी कार्य वंचित (Suspended) है, से कई शिकायतें मिलीं।

संक्षेप में, शिकायतों की प्रकृति इस प्रकार हैः

कश्मीर प्रेस क्लब (केपीसी), सोसाइटी एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत लगभग 300 पत्रकारों का एक निकाय, कुछ वर्षों से श्रीनगर के पोलो व्यू क्षेत्र में सरकार द्वारा आवंटित परिसर से कार्य कर रहा था। स्थानीय पत्रकारों के लिए आराम और नेटवर्किंग का स्थान होने के अलावा, कश्मीर प्रेस क्लब, घाटी में पत्रकारों का एक प्रतिनिधि निकाय भी है।

केपीसी ने पिछले साल मई में पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। अनुच्छेद 370 हटाये जाने और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद अप्रैल 2021 की प्रशासनिक अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षित था। जिला आयुक्त द्वारा एक लंबी 'सत्यापन' प्रक्रिया के बाद, पिछले साल 29 दिसंबर को, कश्मीर प्रेस क्लब को सोसाइटी एक्ट अधिनियम के तहत एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था। हालांकि, जैसे ही क्लब प्रबंधन समिति ने 13 जनवरी को चुनावों की घोषणा की, प्रशासन ने 14 जनवरी, 2022 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर प्रेस क्लब का पुनः पंजीकरण "*अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रास्थगित किया (kept in abeyance) जाता है*"

कश्मीर प्रेस क्लब के सदस्यों की शिकायत हैः आदेश दिनांकित 14–01–2022 में कश्मीर क्लब का पंजीकरण रद्द करने का कोई कारण नहीं दिया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कश्मीर प्रेस क्लब के निलंबन का उद्देश्य कश्मीर प्रेस क्लब के चुनावों, जिसकी घोषणा पिछले दिन यानी 13–01–2022 को की गई थी, को भी रोकना था।

पंजीकरण रद्द करने के अगले दिन 15 जनवरी शनिवार को, व्यक्तियों/पत्रकारों का एक ग्रुप श्रीनगर के पोलो व्यू क्षेत्र में प्रेस क्लब परिसर में घुस गया और खुद को एक 'अंतरिम' निकाय घोषित कर दिया। क्लब परिसर में अवैध प्रवेश करने वाले ग्रुप को जम्मू–कश्मीर पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके बाद, स्थानीय प्रशासन ने एक स्टेटमेंट जारी की, कि केपीसी का 'पंजीकरण रद्द होने' और गुट–कलह को देखते हुए, संपत्ति के मूल मालिक, जम्मू–कश्मीर संपदा विभाग ने क्लब परिसर को अपने कब्जे में ले लिया।

स्टेटमेंट में कहा गया हैः "इसलिए, अब, यह निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों के कल्याण और फ़ायदे के लिए कश्मीर प्रेस क्लब को आवंटित भूमि और भवन का नियंत्रण फिलहाल संपदा विभाग के पास रहेगा।"

घटनाओं के क्रम और अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन करने के बाद, हमें कुछ विचलित करने वाली प्रवृत्तियों पर ध्यान देना होगाः

1. कश्मीर प्रेस क्लब को 24 दिसंबर, 2021 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा Non-involvement/सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर क्लब का पुनः पंजीकरण 29 दिसंबर, 2021 को किया गया था। हालांकि, बाद में, एसएसपी, सीआईडी (मुख्यालय) से एक और रिपोर्ट दिनांकित 30 दिसंबर, 2021 प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर समिति अधिनियम, 1860 के तहत क्लब के 'पंजीकरण' को "रोक दिया गया था"। (kept in hold). 14 जनवरी 2022 को जारी उक्त आदेश में कश्मीर प्रेस क्लब को इस बदलाव के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

2. स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बदलाव के लिए कारण देना आवश्यक है, क्योंकि विभाग के non-involvement/सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने से पहले 6 महीने से अधिक समय तक पुलिस विभाग ने कश्मीर प्रेस क्लब के आवेदन का परीक्षण (जांच) किया था। एसएसपी, सीआईडी की रिपोर्ट की सामग्री, जिसके आधार पर 'पंजीकरण' आदेश "को रोका गया था" (Put on hold) को भी साझा नहीं किया गया है।

3. यदि 13–01–2022 को कश्मीर प्रेस क्लब की पंजीकरण प्रक्रिया को रोक दिया गया था, तो कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों को, पुलिस कर्मियों के साथ, 14–01–2022 को क्लब परिसर में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी गई, और यहां तक कि परिसर में एक बैठक आयोजित करने एवं एक 'अंतरिम निकाय' की व्यवस्था की अनुमति भी दी गई। सुरक्षा बलों द्वारा हर जगह इस परंपरा का सम्मान किया जाता है कि कोई भी पुलिस कर्मी स्थानीय प्रबंधन की विशिष्ट अनुमति के बिना वर्दी में प्रेस क्लबों में प्रवेश नहीं करता है।

4. रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के आदेश, दिनांक 14–01–2022 में कहा गया है कि कश्मीर प्रेस क्लब के पुनः पंजीकरण को *"अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रास्थगित रखा जाता है"। (kept in abeyance).* जब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने की कब तक संभावना है, और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कश्मीर प्रेस क्लब के पुनः पंजीकरण/पंजीकरण न करने की पुष्टि पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।

एफएफसी के संयोजक, श्री प्रकाश दुबे ने 21–01–2022 को मुख्य सचिव, जम्मू–कश्मीर सरकार को पत्र लिखकर तथा सचिव, पीसीआई के माध्यम से 10–02–2022 को अनुस्मारक देकर कश्मीर प्रेस क्लब के अधिग्रहण का विवरण देने का अनुरोध किया। अब तक कोई

जवाब नहीं मिला है। जैसे ही कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो उसकी सामग्री को रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा।

पत्रकारों के लिए बीमा

कई पत्रकारों और मीडिया समूहों के प्रतिनिधियों ने ध्यानाकृष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर के एक सक्रिय संघर्ष क्षेत्र होने के कारण, मैदान से रिपोर्टिंग करने वालों के घायल होने या सरकारी सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में मारे जाने तक का जोखिम था। बीमा की मांग को लेकर पहले भी कई बार आवाज़ उठाई गई है, और विभिन्न निर्वाचित राज्य सरकारों ने भी सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए पूर्व में सहमति व्यक्त की थी। हालांकि यह सुविधा नहीं दी गई है।

जम्मू प्रेस क्लब के अध्यक्ष, अश्विनी कुमार द्वारा विधान सभा के कार्यवृत्त के साथ एफएफसी को प्रदान किया गया विवरण निम्नलिखित हैं:

अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, जम्मू प्रेस क्लब, क्लब की प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथः

"हमारा क्षेत्र–एक संघर्ष क्षेत्र है, जिसे विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पत्रकारों की पुरानी मांग रही है, जिसके लिए बार–बार आवाज उठाई जाती रही है। अशोक सोढ़ी, फ़ोटोग्राफ़र, की 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके परिवार के लिए बहुत कम सरकारी सहायता प्रदान की गई थी। वित्त मंत्री, मुजफ्फर बेग ने 2018 में जम्मू–कश्मीर विधानसभा में घोषणा की, कि पत्रकारों के लिए बीमा और चिकित्सा कवर स्वीकार कर लिया गया था। यहां तक कि अधिसूचना का मसौदा भी तैयार था, और initial seed money के रूप में 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। दुर्भाग्य से, इसे कभी लागू नहीं किया गया।"

दूसरा दृष्टिकोण

इससे पहले कि हम अपने निष्कर्ष और संस्तुतियां दें, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि हम जिन पत्रकारों से मिले, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण काफी हद तक अलग–अलग हैं। जहां अधिकतर लोगों का मानना था कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला है, वहीं हमारे सामने पेश होने वालों में से कई पत्रकारों का मानना था कि सरकार तब तक उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती, जब तक वे 'राष्ट्र–विरोधी' विषयों, के लिए कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही लोकप्रिय व्यंजना, सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना, पर रिपोर्टिंग और टिप्पणी करने से दूर रहते हैं।

ऐसी कई शिकायतें भी थीं कि पत्रकार और मीडिया, सुरक्षा बलों और उग्रवादियों दोनों के दबाव में थे और दोनों पक्षों द्वारा उनका दम घोटा जा रहा था। दूसरे लोगों का मानना था कि राजनेता महबूबा मुफ्ती को मीडिया के दमन के बारे में शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अप्रैल 2016–जून 2018 की अवधि में जब वह खुद, मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने भी समाचार मीडिया के उन वर्गों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिन्होंने उनकी आलोचना की थी।

कुछ उदाहरणः *राइजिंग कश्मीर* के संपादक, अयाज हाफिज ने हमें बतायाः "हम एक स्वतंत्र और निर्भीक माहौल में काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की शिकायतें हम पर लागू नहीं होतीं। *श्रीनगर न्यूज़* के संपादक इकबाल वानी ने कहा, "उग्रवादी राजनीतिक दलों की शरण ले रहे थे; कि सार्वजनिक मुद्दों को उजागर करते समय प्रेस को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था, और उनकी टीम किसी भी तरफ से दबाव का सामना नहीं कर रही थी। वास्तव में स्थानीय प्रशासन के पास अच्छी शिकायत निवारण प्रक्रिया है, और हम देखते हैं कि शिकायतों के मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।" वानी ने हालांकि शिकायत की, कि उग्रवाद विरोधी ऑपरेशनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा रिपोर्टरों के साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी।

नीरज रोमेत्रा, कार्यकारी संपादक, *डेली एक्सेलसियर*, जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा परिचालित दैनिकों में से एक, ने इस बात पर जोर दिया कि समाचार मीडिया के एक वर्ग ने खुद को उग्रवादियों के साथ काफी जोड़ लिया था। उन्होंने कहाः "महबूबा मुफ्ती की शिकायत इस साल 8 सितंबर को 4 पत्रकारों पर छापेमारी के बाद सामने आई। उन लोगों की विश्वसनीयता पर संदेह है, वे अलगाववादी संगठनों से जुड़े हैं। एक ब्लॉग है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें वह, कश्मीर की घटनाओं पर अपना विवरण देता है। सज्जाद बुखारी, जिसे मारा गया था, का कश्मीर ब्लॉग पर भारत सरकार के एजेंट के रूप में नाम दिया गया था।

रोमेत्रा ने आगे कहा, "कई पत्रकार उग्रवादियों के प्रभाव में आते हैं, 1990 के दशक में हमारे अपने श्रीनगर ब्यूरो प्रमुख, राशिद अलगाववादी ताकतों से जुड़ गए और हमें उन्हें जाने देना पड़ा।"

उर्दू 'काज़िम' का प्रतिनिधित्व करने वाले इकबाल अहमद और बशीर असद ने कहाः 'श्रीनगर में कश्मीर प्रेस क्लब को ऐसा लगता है जैसे हम मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी) में हैं। हां कश्मीर में प्रेस की आजादी है।

"दूसरी ओर, उग्रवादी हमें निशाना बना रहे हैं। हमने फहद जोरू का खुलासा किया कि कैसे उसने 60 नहरों की जमीन हड़प ली थी। इसके बाद हमें धमकाया गया। पाकिस्तानी मूल के ब्लॉग 'कश्मीर फाइटर्स' ने हमें निशाना बनाया है। 1992 से पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं। मीडिया में दो समूह/वर्ग हैं–राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी।"

एशियन मेल के राहिल राशिद ने कहाः दो तरह के लोग होते हैं और दो तरह के पत्रकार। सरकार के पक्ष में और विपक्ष में। अगर पत्रकार को सरकार के खिलाफ लिखने का अधिकार है, तो सरकार को आपको बाहर करने का अधिकार है। 'कश्मीर विजन' के शराफत किरा का भी ऐसा ही दृष्टिकोण थाः "पत्रकारिता और सक्रियता के बीच एक रेखा होनी चाहिए। अगर आप सच्ची रिपोर्ट करते हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है।"

ऐसे कई पत्रकार थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि वे एक दमनकारी राज्य तंत्र और 'उग्रवादियों' की वैसी ही असहनीय ताकत के बीच फंस कर रह गए थे। एक स्वतंत्र पत्रकार मजीद हैदरी ने कहाः "हम कश्मीर में धर्म संकट में पड़ गए थे। उग्रवादी हमें और पुलिस को भी धमकाते हैं।"

मौज़िम मोहम्मद, कश्मीर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष ने कहाः "पत्रकारों को दोनों तरफ से दबाया जाता है, पेशे के रूप में पत्रकारिता का पतन हो रहा है। चुनी हुई राज्य सरकारें भी इससे अलग नहीं थीं। महबूबा मुफ्ती के सीएम रहते हुए उनकी सरकार ने कई प्रेस प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। 'कश्मीर रीडर' पर 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई। उमर अब्दुल्ला भी ऐसे ही थे।"

वरिष्ठ पत्रकार, युसूफ जमील ने कहा कि सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों के उत्पीड़न के अलावा, उन्हें उग्रवादियों की धमकियों का भी सामना करना पड़ा, जो सोचते थे कि वह एक सरकारी एजेंट है।

उन्होंने एफएफसी को इस प्रकार बतायाः "मेरे ऊपर उग्रवादियों ने 6 हमले किये हैं। बीबीसी संवाददाता के रूप में, मैं, 1995 में मेरे कार्यालय में एक बम विस्फोट में घायल होने से बच गया, लेकिन एएनआई के कैमरामैन, मुश्ताक अली ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। सबसे खराब दौर 1990 के दशक में था जब उग्रवाद चरम सीमा पर था, जब 18–19 साल के बच्चे बंदूकें इर्द–गिर्द घूमा रहे थे।

"एक मामले में, एक उग्रवादी, यासिर अराफ़त ने बीबीसी प्रशिक्षु के माध्यम से संदेश भेजा कि मैं उसका साक्षात्कार करूँ। उसने यह भी मांग की, कि यह इंटरव्यू आधे घंटे का होना चाहिए। मैंने यह संदेश देने की कोशिश की, कि मुझे एक दिन में समाचार बुलेटिनों पर 3–4 मिनट से अधिक समय नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें कौन समझा सकता था? अंत

में, मैंने उस उग्रवादी के साथ साक्षात्कार किया, और मैंने संदेश भेजा कि विशेष समय पर इसे प्रसारित किया जाएगा। हालांकि यह तय था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, समाचार पर अंतिम समय में हटा दिया गया। उग्रवादी गुस्से में था, और उसने कहा कि वह इस अपमान का बदला लेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी को लेकर डर था।"

"एक अन्य मामले में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के प्रबंधक का अपहरण कर लिया गया था, और चौनल के पीछे बातचीत करके, उनकी रिहाई की व्यवस्था की गई। मुझे कार्यक्रम के लिए राजभवन में आमंत्रित किया गया था, और वहां मैंने पाया कि मंत्री राजेश पायलट भी मौजूद थे। उन्होंने रिहा किये गए आईओसी प्रबंधक से मेरा परिचय करवाया, और मंत्री के साथ कुछ तस्वीरें प्रकाशित की गईं। कुछ उग्रवादियों ने गलत निष्कर्ष निकाला। तुरंत ही मुझे एक सरकारी एजेंट करार दिया गया, और मुझे हिजबुल–मोमिनीन नामक एक संगठन द्वारा खत्म किये जाने के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। इससे हताश/निराश होकर और उनकी प्रेस विज्ञप्ति के जवाब में, मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि अगली सुबह मैं लाल चौक, श्रीनगर में मौजूद रहूंगा, और जो कोई भी मेरी जान लेना चाहे, वह ऐसा कर सकता था। मेरे दोस्तों और बिचौलियों ने दलील दी, कि धमकी देने वाले इन लोगों के साथ 'बच्चों' जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ ने उनसे संपर्क भी किया। आखिरकार धमकियां मिलनी बंद हो गयीं।"

निष्कर्ष

व्यापक साक्षात्कार और अभिसाक्ष्यों के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

1. जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में और विशेष रूप से घाटी में समाचार मीडिया धीरे–धीरे संकुचित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध हैं। उग्रवादियों द्वारा हिंसा का भी खतरा है। व्यापक स्तर पर, 'लगातर संघर्ष' के कारण, इस क्षेत्र में समाचार मीडिया का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और विज्ञापन के स्रोत धीरे–धीरे समाप्त हो रहे हैं। विशेष रूप से, प्रिंट मीडिया, जिसकी ऊपरी लागत काफी है, अब मुश्किल से ही बना रह सके।
2. पत्रकार काफी तनाव में काम करते हैं, और लगातार सरकारी एजेंसियों और पुलिस के साथ–साथ उग्रवादियों के दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी वे अपना काम कर पाते हैं, यह अपने आप में सराहनीय है। कारोबार की घटती व्यवहार्यता (viability) के कारण समाचार मीडिया में नौकरियां सुरक्षित न होने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इस माहौल में सच्चाई और अच्छी पत्रकारिता दोनों को ही सबसे ज़्यादा

नुकसान हुआ है।

3. स्थानीय सरकारी प्रशासन और पत्रकारों के बीच संपर्क का सामान्य सिलसिला बाधित हो गया है क्योंकि स्थानीय सरकारी प्रशासन को संदेह है कि बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकार उग्रवादियों के समर्थक हैं। यह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वीकार किया, जिन्होंने एफएफसी को स्पष्ट रूप से बताया कि कई पत्रकारों की 'राष्ट्र–विरोधी' सहमति थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्हें पहली बार नियुक्त किया गया था, तो वे खुले प्रेस सम्मेलन को प्रोत्साहित किया करते थे, लेकिन अब पसंदीदा पत्रकारों के साथ 'चुनिंदा भेंट' पर लौट आये थे।

विशिष्ट संस्तुतियांः

क. **संपर्क का सिलसिला फिर से चालू करनाः** स्थानीय प्रशासन के शुरुआती कार्यों में चर्चा के लिए कुछ एक मंच स्थापित करना है ताकि विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत हो सके और आपसी संदेह धीरे–धीरे कम हो जाए। एफएफसी ने बातचीत को प्रोत्साहित करने और शिकायतों को दूर करने के लिए सुरक्षा प्रतिष्ठान, सरकारी अधिकारियों और पत्रकार प्रतिनिधियों के बीच तीन–तरफा मीडिया सलाहकार समिति के गठन को लेकर 'एडिटर्स फोरम' के साथ चर्चा की। पत्रकार बिरादरी ने इस विचार का बड़े जोश से समर्थन किया। ऐसे सलाहकार निकाय में प्रेस परिषद की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है।

ख. **आवास स्थान से बाहर करनाः** हमारे द्वारा दर्ज किए गए कई मामलों में से, सरकारी आवंटित आवास से पत्रकारों और समाचार संगठनों को सरकारी संपत्ति विभाग के हटाने और सरकारी नीतियों के बारे में उनके आलोचनात्मक विचारों के बीच सीधा संबंध है। जहां जम्मू–कश्मीर सरकार के पास किन्हीं आधारों पर आवंटन वापिस लेने का दावा करने की शक्तियां हैं, ऐसी प्रक्रिया मनमानी और समुचित कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकती। ज्यादातर मामलों में लिखित नोटिस तक नहीं दिया गया। आवास वापस लेने का दावा करने के वैध आधार में 'सरकार की आलोचना' शामिल नहीं हो सकती है। हम अनुशंसा करते हैं कि उन सभी मामलों में जहां कोई उचित आधार नहीं दिया गया है, आवास मूल आवंटियों को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी आवास के आवंटन और वापसी को विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट लिखित नीति की घोषणा की जानी चाहिए, ताकि यह सरकारी अधिकारियों की मर्ज़ी पर निर्भर न हो।

ग. **सरकार की संतुलित विज्ञापन नीति की आवश्यकताः** जम्मू–कश्मीर सरकार की नई मीडिया नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "सरकारी विज्ञापन का उद्देश्य किसी भी मीडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है..." और फिर आगे कहा गया हैः "ऐसे विज्ञापन जारी करते समय, डीआईपीआर, समाचारपत्र, प्रकाशनों और पत्रिकाओं की राजनीतिक संबद्धता या संपादकीय नीतियों पर ध्यान *नहीं* देगा..." (हमारे पर जोर) ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि, हमारे द्वारा एकत्र किए गए व्यापक अभिसाक्ष्यों से, यह स्पष्ट है कि जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की मात्रा, सरकार की योजनाओं और नीतियों के लिए किसी प्रकाशन के समर्थन की सीमा के सीधे अनुपात में है। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत 'स्वतंत्र मीडिया' के विरुद्ध है। जम्मू–कश्मीर में, जहां बहुत कम गैर सरकारी विज्ञापनदाता हैं, विज्ञापन से इनकार करने की सरकार की शक्ति एक प्रकाशन को खत्म कर सकती है, जैसा कि *कश्मीर टाइम्स* के कई संस्करणों के बंद होने से पता चलता है, और अब हाल ही में शिकार हुआ *कश्मीर इमेजेस*। जम्मू–कश्मीर सरकार को इस पक्षपातपूर्ण नीति की समीक्षा करनी चाहिए। जब तक कोई प्रकाशन, प्रकाशन, विज्ञापन संबंधी कानूनों के दायरे में काम कर रहा है, विज्ञापन जारी करने के लिए 'तटस्थ' और निष्पक्ष' पद्धति रखनी चाहिए।

इसके अलावा, मई 2020 में जारी सरकार की नई मीडिया नीति, उन प्रकाशनों/समाचार नेटवर्कों के मामले में अपील की प्रक्रिया की अनुमति देती है जो कुछ निर्णयों से व्यथित हैं। हालांकि, 'मीडिया नीति' के तहत गठित अपील समितियां पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित हैं। अपीलों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए मीडिया संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों या सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित सदस्यों को शामिल करने के लिए इस प्रावधान को संशोधित किया जाना चाहिए।

चूंकि सरकारी विज्ञापन जारी करने का मुद्दा विवाद का एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए सरकार को डीआईपीआर कर्मियों, मीडिया स्वामियों/कंपनियों के साथ–साथ पत्रकार प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सलाहकार समिति बनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी विज्ञापन निष्पक्ष और भेदभाव के बिना आवंटित किए गए हैं। इससे विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास बढ़ेगा। पुलिस को ऐसे मंच से तब तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक कि यह शांति भंग होने या आपराधिक अपराध से संबंधित न हो।

इसके अलावा, चूंकि विज्ञापन की मात्रा और दर प्रकाशनों के परिचालन और टीवी/डिजिटल चौनलों के दर्शकों की संख्या पर निर्भर है, इसलिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है, जो समाचार आउटलेट्स के पाठकों/दर्शकों की संख्या को प्रमाणित करे। समाचारपत्रों के लिए आरएनआई और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) से संख्याओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

घ. **कठोर कानूनों के तहत डराना–धमकाना, गिरफ्तारियां और नजरबंदी बंद होनी चाहिएः** एफएफसी ने पत्रकारों से पूछताछ किए जाने, धमकी देने और अप्रासंगिक प्रोफाइलिंग दस्तावेज भरने के कई मामले रिकॉर्ड किए। हमने, पत्रकारों को पूछताछ के लिए खतरनाक 'कार्गो सेंटर' – सशस्त्र उग्रवादियों से पूछताछ के लिए आरक्षित स्थान, पर बुलाए जाने के मामलों को सूचीबद्ध किया है। आधिकारिक तौर पर, पुलिस ने एफएफसी के सामने यह स्वीकारा है कि 2016 के बाद से 49 पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जम्मू–कश्मीर में बहुत कम प्रेस कॉर्प्स को देखते हुए, यह संख्या कम नहीं है। इनमें से 8 को विधिविरुद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिससे जमानत लगभग असंभव हो जाती है।

पुलिस का मामला है कि कई पत्रकार 'राष्ट्र–विरोधी' गतिविधियों में लिप्त हैं।

हमारा निष्कर्ष और संस्तुति बहुत विशिष्ट/विलक्षण हैः जो लोग किसी भी आपराधिक कृत्य में लिप्त हैं, वे अपने पेशे का अनुसरण करने वाले पत्रकार नहीं हैं। यदि कोई 'पत्रकार' हथियार लिए हुए है या हथगोले और अन्य गोला–बारूद ले जा रहा है, तो वह पत्रकार नहीं है; वह एक उग्रवादी है, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि, सुरक्षा प्रतिष्ठान, सरकारी नीतियों के खिलाफ लेखन, सशस्त्र बलों की ज्यादतियों के बारे में समाचार में किसी परिवार या सिविल स्रोतों को उद्धृत करने, और किसी दृष्टिकोण को 'फर्जी समाचार' या 'राष्ट्र–विरोधी गतिविधि' के रूप में ट्वीट करने और फिर देशद्रोह के लिए पत्रकार को गिरफ्तार करने को लेबल नहीं कर सकते हैं। सरकारी नीतियों या विकास कार्यों का समर्थन करना पत्रकारों का काम नहीं है। एक पत्रकार का काम है कि वह समाचार को वैसे ही रिपोर्ट करे जैसे वह हुआ है, भले ही वह सरकारी कर्मियों के लिए अप्रिय हो। सभी प्रकार की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग और राय को 'राष्ट्र–विरोधी' रूप में देखने

की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। एक संघर्ष क्षेत्र में कई खिलाड़ी होते हैं और घटनाओं के कई पहलू सामने आते हैं। एक पत्रकार न तो सरकारी वर्तन की उपेक्षा कर सकता है और न ही उसको ऐसा करना चाहिए; वहीं, वह सरकार का प्रवक्ता भी नहीं है।

आगे यह देखा गया, कि सूचना एकत्र करने की आड़ में, पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार से डराना– धमकाना कश्मीर घाटी में नए 'सामान्य' का हिस्सा बन गया है, खासतौर पर अगस्त 2019 से केंद्रीय शासन लागू होने के बाद। यह भी चिंता की बात है कि विभिन्न सरकारी विभागों के जनसंपर्क का काम पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है। यह बंद होना चाहिए क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न अंगों के कामकाज के तरीके के खिलाफ है।

ङ. **समाचार एकत्र करने के सामान्य विशेषाधिकार बहाल करें:** पत्रकार समाचार एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए इंटरनेट जैसे संचार नेटवर्क और घटनाओं और व्यक्तियों तक पहुंच पर भरोसा करते हैं। सरकार के पास इन्हें सूंघने की शक्ति है, जैसा कि हमने जम्मू–कश्मीर के मामले में देखा है। अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद प्रतिबंधित इंटरनेट सुविधाएं, जब भी संघर्ष की स्थिति होती है तो इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी बंद करना और सशस्त्र मुठभेड़ के घटनास्थलों तक पहुंच से पत्रकारों को वंचित करना, ये सभी तरीके हैं जो जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार एकत्र करने में बाधा डालने के लिए विकसित हुए हैं। इन नीतियों को उलट देना चाहिए। पत्रकारों को पेशेवरों के रूप में अपना काम करने दिया जाना चाहिए, जब तक कि वे सामान्य सुरक्षा कार्यों में बाधा नहीं डालते। यह भी देखा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठान ने 'मान्यता' और स्थानीय तथा विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता जैसे सामान्य विशेषाधिकार देने से इनकार किया है। रिपोर्ट और यात्रा तक सामान्य पहुंच इनके पेशे का हिस्सा है और यह छूट देने से इनकार करना अपमानजनक है। मान्यता और यात्रा करने की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। संचार के जरियों और रिपोर्टिंग के मुक्त प्रवाह को रोककर, सरकार अफवाहों और निराधार चर्चा को ही बढ़ावा देगी जो आगे चलकर सभी के लिए हानिकारक होगी।

सरकार को अतिरिक्त प्रवक्ताओं की नियुक्ति करके, विभिन्न विभागों के लिए प्रवक्ताओं की अपर्याप्त संख्या की समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि पत्रकार आसानी से सरकारी पक्ष जानने तक पहुंच सकें। ये नियुक्तियां कश्मीर और जम्मू दोनों प्रभागों के लिए होनी चाहिए। यदि पुलिस को अतिरिक्त प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, तो इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए,

लेकिन वे डिफ़ॉल्ट रूप से अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व करने की गलती न करें।

च. **कश्मीर प्रेस क्लब के अधिकारों और विशेषाधिकारों को बहाल करें:** कश्मीर प्रेस क्लब 300 से अधिक पत्रकारों की सदस्यता वाला एक कानूनी, प्रतिनिधि निकाय था। इसे सोसायटीज़ एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, और 6 महीने की सत्यापन प्रक्रिया के बाद, 29 दिसंबर, 2021 को एक 'पुनः पंजीकरण' प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बाद, इसके 'पंजीकरण को रद्द' कर दिया गया, और निकाय का कानूनी अस्तित्व, 14 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा "आस्थगित" कर दिया गया। क्लब की प्रबंधन समिति द्वारा 13 जनवरी को की गयी घोषणा, 15 फरवरी को होंगे, को रोक दिया गया। इसके बाद श्रीनगर में पोलो व्यू एरिया में केपीसी की भूमि और भवन को संपदा विभाग द्वारा वापस ले लिया गया। कश्मीर प्रेस क्लब जैसे पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एफएफसी ने विभिन्न दस्तावेजों और आदेशों की जांच की है और पूर्व प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ व्यापक स्तर पर लोगों से बात की है। इस बात का कोई पुख्ता कारण नहीं है कि निकाय को क्यों हटा दिया गया और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोकतंत्र में, पत्रकार निकायों को न केवल फलने–फूलने देना चाहिए; बल्कि विचारों को जानना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एफएफसी संस्तुति करती है कि कश्मीर प्रेस क्लब का पंजीकरण बहाल किया जाना चाहिए, और सरकारी अधिकारियों को इसकी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से समाचार कर्मियों का गैर सरकारी निकाय है।

छ. **डिजिटल नेटवर्क के लिए प्रवेश संबंधी मानक:** यह देखा गया है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने वाले बड़ी संख्या में डिजिटल चैनल और मीडिया नेटवर्क पनप रहे हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रवेश बैरियर या निरीक्षण नहीं किया जा रहा है कि वे पत्रकारिता के बेसिक मानकों का पालन करें। इसलिए यह उचित होगा कि भारतीय पाठक सर्वेक्षण (आईआरएस) और टीवी उद्योग के बीएआरसी जैसे तटस्थ, स्वायत्त निकायों द्वारा इन समाचार प्लेटफार्मों का सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया की जाए ताकि कानूनी उचित परिश्रम के साथ–साथ पत्रकारिता आचारनीति दोनों का सम्यक पालन किया जाये।

ज. **उर्दू प्रकाशनों के लिए समर्थन:** विभिन्न सरकारी विभाग समाचार प्रकाशनों की विस्तृत श्रेणी के खरीदार हैं, जो इस संघर्षरत उद्योग को कुछ सहायता प्रदान करता है। हालांकि, एफएफसी को कई जगह से शिकायतें मिलीं कि कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों ने बिना किसी कारण उर्दू प्रकाशनों को

खरीदना बंद कर दिया था। इन्हें बहाल किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि सरकारी विज्ञापन के आवंटन के लिए संबंधित डीआईपीआर विभागों में सरकारी कर्मियों की कमी के कारण उर्दू प्रकाशनों को काफी कठिनाई हो रही थी। इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए और उर्दू प्रकाशनों के लिए विज्ञापन समर्थन बहाल किया जाना चाहिए, ताकि अन्य भाषा के प्रकाशनों के साथ संतुलन बना रहे।

झ. **बीमा और स्वास्थ्य कवरः** जम्मू और कश्मीर एक संघर्ष क्षेत्र है, जहां पत्रकार, अपने पेशे को जारी रखने में, अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। 2018 में, तत्कालीन निर्वाचित राज्य सरकार ने चिकित्सा और दुर्घटना कवर के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसकी वित्त व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी थी। केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना जल्द से जल्द चलन में लायी जा सके।

पात्र संगठनों की प्रतिक्रियाएँः

चूंकि तथ्य खोजी समिति अपना काम पूरा करने के करीब थी, इसलिए संयोजक, **श्री प्रकाश दुबे** ने 7 मार्च, 2022 को भारतीय प्रेस परिषद मुख्यालय, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में सभी पात्र संगठनों की एक विशेष बैठक बुलाई। यह जम्मू और कश्मीर में मीडिया की स्थिति के संबंध में उनके विचारों और प्रतिक्रिया जानने के लिए थी।

उपस्थित लोगों में थे प्रो बी.आर. गुप्ता (हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन), श्री डी.के. मैथानी (एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ़ इंडिया) श्री अतुल दीक्षित (एसोसिएशन ऑफ़ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ़ इंडिया), मिस विधि धनखड़ (रिसर्च असिस्टेंट, एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया), अशोक कपूर एआईएसएनए से प्रदीप बहल, सी.के.नायक प्रेस एसोसिएशन, पवन सहयोगी (इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन–मीडियामैन), संजय कपूर, (एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया)।

कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई कि चूंकि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और प्रेस परिषद के नए कार्यकाल की अधिसूचना से पहले एफएफसी गठित की गई थी, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार उनके पास नहीं था। संयोजक ने कहा कि यह वर्तमान बैठक के दायरे में नहीं है, क्योंकि यह 'जम्मू–कश्मीर में मीडिया की स्थिति' विषय पर सदस्यों के विचार व्यक्त करने तक ही सीमित थी।

तत्पश्चात, विभिन्न सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार एवं जानकारी दी।

श्री अशोक कपूर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रेस की आजादी से पूरी तरह से समझौता किया गया है। प्रेस के पास महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनकी

रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से 2020 की मीडिया नीति का उल्लेख किया और कहा कि इसमें ऐसे खंड हैं, जहां एक स्वतंत्र प्रेस को प्रोत्साहित करने के संबंध में एक गलत उदाहरण स्थापित किया गया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि विज्ञापन प्रकाशित किये जाने से पहले उसकी एक प्रति डीआईपीआर को भेजनी पड़ती थी।

उन्होंने कहा कि इस उद्योग की स्थिति विशेष रूप से कश्मीर घाटी में इतनी खराब थी कि कई सदस्य अखबार छापने का व्यवसाय छोड़ रहे थे और अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

भारत के लघु और मध्यम समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले **श्री डी. के. नैथानी** ने कहा कि एफएफसी की कोई रिपोर्ट नहीं थी इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं था।

श्री बी.आर. गुप्ता ने अगस्त 2019 में, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू–कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के समय इंटरनेट बंद किये जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए विभिन्न द्वार बनाए गए जो समाचारों के प्रसारण में बाधक साबित हुए। मीडिया सुविधा केंद्र ने केवल सीमित सुविधाएं मुहैया करायीं और कई मायनों में जानबूझकर सूचना का मुक्त प्रवाह रोक दिया।

उन्होंने कहा कि छंटनी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि छोटे और मझोले अखबार अपने उत्पादों को परिचालित नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्हें अपने कई कर्मचारियों को निकालना पड़ा। उन्होंने एफएफसी से, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में समाचारपत्र उद्योग के राजस्व और वित्तीय स्थिति पर कुछ रोशनी डालने की भी अपील की।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे **श्री संजय कपूर** ने कहा कि जम्मू और कश्मीर से आने वाले समाचार काफी भयावह हैं और ऐसा लगता है कि यूएपीए और अन्य राज्य कृत्यों का इस्तेमाल पत्रकारों को परेशान करने और उन्हें बोलने से रोकने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि सूचना के मुक्त प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट को काट देना एक जानबूझकर किया गया कार्य था और उन्हें उम्मीद थी, कि एफएफसी द्वारा इन मुद्दों पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा।

उन्होंने कहा कि हाल ही में 'द कश्मीरवाला' डिजिटल प्लेटफॉर्म के संपादक, फाहदशाह का मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि फाहद शाह को जमानत मिलने के बाद भी तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार आशुलिपिक बन गये थे और हमारे लोकतंत्र के

लिए इस स्थिति का गहरा आशय है, दुर्भाग्यवश, अदालतों ने कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया, और यह अत्यधिक निराशाजनक है।

श्री पवन सहयोगी ने बताया कि यह एफएफसी पहली नहीं थी बल्कि दो अन्य समितियां भी 2017 और 2018 दोनों में प्रेस और मीडिया की स्थिति का पता लगाने गई थीं और उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी।

उन्होंने कहा कि हमें जांच करनी चाहिए कि उनकी संस्तुतियों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और जम्मू–कश्मीर में पत्रकारों को राहत प्रदान करने में सहायता करने में प्रेस परिषद का कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं।

प्रेस एसोसिएशन के **श्री सी.के. नायक** ने कहा कि वह 2017 में गठित समिति का हिस्सा थे और उन्होंने बताया कि 2020 की मीडिया नीति 2017 की एफएफसी की संस्तुतियों के खिलाफ है। दुर्भाग्यवश, इस मीडिया नीति ने न्यायाधीश और अभियोजक दोनों की सारी शक्तियाँ सरकारी मशीनरी को दे दी हैं।

श्री नायक ने आगे कहा कि 2017 की संस्तुतियों में कहा गया था कि पत्रकारों के लिए मान्यता बढ़ाकर जिला स्तर तक की जानी चाहिए। हालाँकि, यह खेदजनक है कि न केवल इस संस्तुति को नजरअंदाज कर दिया गया, बल्कि 1 अप्रैल, 2020 से केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पत्रकार को कोई मान्यता नहीं दी गई है। इससे पत्रकारों के लिए समाचार कवरेज तक पहुंच अवरुद्ध हो गई है। उन्होंने नई मीडिया नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि नीति के तहत गठित किसी भी समिति में कोई पत्रकार नहीं था और यह पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों से बनी थी।

मीडिया नीति का एकमात्र सकारात्मक हिस्सा, यह था कि मीडिया के सभी प्लेटफार्मों के लिए विज्ञापन राजस्व में विविधता लाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए 2 करोड़ रु. का कोष स्थापित किया गया था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में किसी भी पत्रकार को कोई आवंटन नहीं किया गया।

सभी प्रस्तुतियाँ समाप्त होने के बाद, कुछ संगठनों ने कहा कि वे रिपोर्ट में शामिल करने के लिए एफ़एफ़सी को लिखित निवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कृतज्ञताः अंत में हमारी रिपोर्ट उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किए बिना पूरी नहीं होगी, जिन्होंने सहयोग किया और तथ्य–खोजी समिति को अपना काम करने में मदद की। उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने राजभवन में हमारे साथ औपचारिक बैठक की और मीडिया की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। कश्मीर के प्रभागीय आयुक्त, श्री पांडुरंग पोल के साथ–साथ आईजी पुलिस, श्री विजय कुमार ने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने हमें जानकारी देने और हमारे सवालों के जवाब देने में लगभग एक घंटे का समय दिया। हम उन सभी के अत्यंत आभारी हैं। विभिन्न

सरकारी विभागों के साथ समन्वय करने में हमारी मदद करने के लिए, श्री राहुल पांडे, सचिव – सूचना और जनसंपर्क, हमेशा उपलब्ध रहे, और वह और उनकी टीम – मोहम्मद असलम खान, मीडिया समन्वयक सैयद गिलानी कादरी, और उप मीडिया समन्वयक, श्री यासिर अशरफ – सभी ने आवश्यक सहायता की।

जम्मू–कश्मीर सरकार के पूर्व सूचना आयुक्त, श्री जंदियाल के साथ–साथ भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य, श्री ललित मंगोत्रा, का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एफएफसी की सहायता की। हमें श्रीमती महबूबा मुफ्ती को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करने के लिए समय दिया, साथ ही साथ जम्मू प्रेस क्लब के अध्यक्ष, श्री अश्विनी कुमार और उनकी टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू में समिति की बैठकों और बातचीत की व्यवस्था करने के लिए अपनी क्षमता से भी बढ़कर कार्य किया।

अंत में प्रेस परिषद की सचिव, श्रीमती अनुपमा भटनागर द्वारा एफएफसी के दौरों और अन्य कार्यक्रमों के समन्वय के लिए किए गए निरंतर कार्य का उल्लेख किए बिना हमारी आभार सूची पूरी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा, हमें उन 60 या इससे अधिक पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं, मीडिया स्वामियों और नागरिक पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अक्सर खुद को जोखिम में डालकर हमारे सामने अपना पक्ष रखा। उनके बिना यह रिपोर्ट अधूरी रह जाती।

ह./–	ह./–	ह./–
प्रकाश दुबे	सुमन गुप्ता	गुरबीर सिंह
(संयोजक)	(सदस्य)	(सदस्य)

दिनांक : 22.09.2022
स्थान : नई दिल्ली

माननीय अध्यक्ष और सदस्यों, श्री जे.एस. राजपूत एवं श्री प्रजनानंद चौधुरी द्वारा असहमति

जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष, सुश्री महबूबा मुफ्ती ने पत्र दिनांकित 27.09.2021 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध

में परिषद में शिकायत दर्ज की। इस संबंध में, भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति, श्री सी.के. प्रसाद ने आदेश दिनांकित 29.09.2021 के जरिये एक तथ्य–खोजी समिति (एफएफसी) का गठन किया, जिसमें उक्त शिकायत की जांच हेतु, तीन सदस्य श्री प्रकाश दुबे (संयोजक), श्री गुरबीर सिंह, डॉ. सुमन गुप्ता (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 6.10.2021 के जरिये प्रेस परिषद के सदस्यों के रूप में नामित) शामिल थे। एफएफसी ने जम्मू और कश्मीर में प्रेस की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 12 और 13 अक्तूबर, 2021 को और फिर 18 से 20 नवंबर, 2021 को जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और दिनांक 08.03.2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे आज, परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया है।

परिषद ने रिपोर्ट पर चर्चा की। रिपोर्ट में एफएफसी द्वारा उन पत्रकारों की शिकायतों पर विचार करने के बाद की गई विशिष्ट संस्तुतियां शामिल हैं, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से मिले थे। रिपोर्ट में कुछ पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों के विचारों पर भी गौर किया गया है, जिन्होंने अलग वर्तन दिया है। प्रारंभ में, माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि चर्चा के बाद इस रिपोर्ट को जांच समिति को भेजा जाएगा, ताकि परिषद द्वारा उचित समय पर शिकायत पर निर्णय लिया जा सके। हालाँकि, इसे परिषद ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए चर्चा आगे की गई। माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा कि उनकी राय में एफएफसी द्वारा डील किए गए विभिन्न पहलुओं और उनकी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई संस्तुतियों पर भी सरकार के विचार प्राप्त करना आवश्यक है। यह अधिकतर सदस्यों को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने महसूस किया कि एफएफसी ने परिषद के सचिवालय के माध्यम से, पुलिस और जम्मू–कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव को भी ऐसे विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार जानने के लिए कई पत्र भेजे थे, जिनपर एफएफसी द्वारा विचार किया जा रहा था। कुछ प्रतिक्रियाएँ लिखित रूप में प्राप्त हुई थीं, जिनपर, रिपोर्ट तैयार करते समय, एफएफसी द्वारा विचार किया गया।

माननीय सदस्य, प्रोफेसर जे.एस. राजपूत और श्री प्रजनानंद चौधुरी का विचार था कि जम्मू और कश्मीर में व्याप्त विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट को केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर सरकार को उनके विचार प्राप्त करने हेतु भेजे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विवेचित किया कि एक बार विचार प्राप्त हो जाने के बाद, परिषद या तो रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव कर सकती है या सरकार की प्रतिक्रिया को अस्वीकार भी कर सकती है और इस तरह की कार्रवाई को समयबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत समय बीत चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदया का भी यही विचार था, उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में मौजूद विलक्षण और संवेदनशील स्थिति को

देखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर की सरकार को, उनके व्यापक विचार प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट का मसौदा अग्रेषित करना आवश्यक है। हालाँकि, चूंकि बहुमत की राय है कि रिपोर्ट को प्रेस परिषद (अधिवेशनों तथा कारोबार के संचालन की प्रक्रिया) विनियमन, 1979 के नियम 10 के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए, इसलिए रिपोर्ट को स्वीकार करना होगा और इस प्रकार स्वीकार की जाती है हालांकि अध्यक्ष और दो सदस्यों, अर्थात, प्रोफेसर श्री जे.एस. राजपूत और श्री प्रजनानंद चौधुरी ने आज रिपोर्ट की स्वीकृति के संबंध में बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताई, क्योंकि उनका विचार था कि रिपोर्ट को, उसमें की गई संस्तुतियों के साथ, जम्मू एवं कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, इसका व्यापक जवाब देने हेतु, भेजने की जरूरत है। तदनुसार, असहमति को रिकॉर्ड में लिया जाए और बहुमत के साथ परिषद द्वारा अंगीकार की गई रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।

❒

अध्याय–V

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

भारतीय प्रेस परिषद को, राजनीतिक दलों, सरकारी प्राधिकरणों, असामाजिक तत्वों या यहां तक कि प्रेस सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले किसी भी संभावित खतरे की निगरानी करके प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अनुसार, परिषद का उद्देश्य भारत में न केवल प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना है, बल्कि समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करना है। परिषद ऐसी किसी भी घटना की समीक्षा करती है, जिससे लोकहित और लोक–महत्व के समाचार की उपलब्धता और प्रसार का निर्बन्धन संभाव्य हो। यह समाचारपत्रों, पत्रकारों, संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किसी प्राधिकारी, संगठन, सरकार (राज्य या केंद्र), या व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई ऐसी शिकायतों पर विचार करती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद को प्रेस की मुक्त कार्यप्रणाली को कम करने के प्रयासों के आरोपों के संबंध में सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध **273** शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के **345** मामलों पर विचार किया जाना लंबित था। **618** मामले जिन पर परिषद द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित था, उनमें से न्याय–निर्णयन के द्वारा **11** मामले समाप्त कर दिये गये, जबकि **210** मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने, परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने या न्यायाधीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर दिये गये। **1** मामला सीधे परिषद के समक्ष रखा गया। शेष **396** मामलों पर समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के समय कार्रवाई चल रही थी। निम्नलिखित आलेख, प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

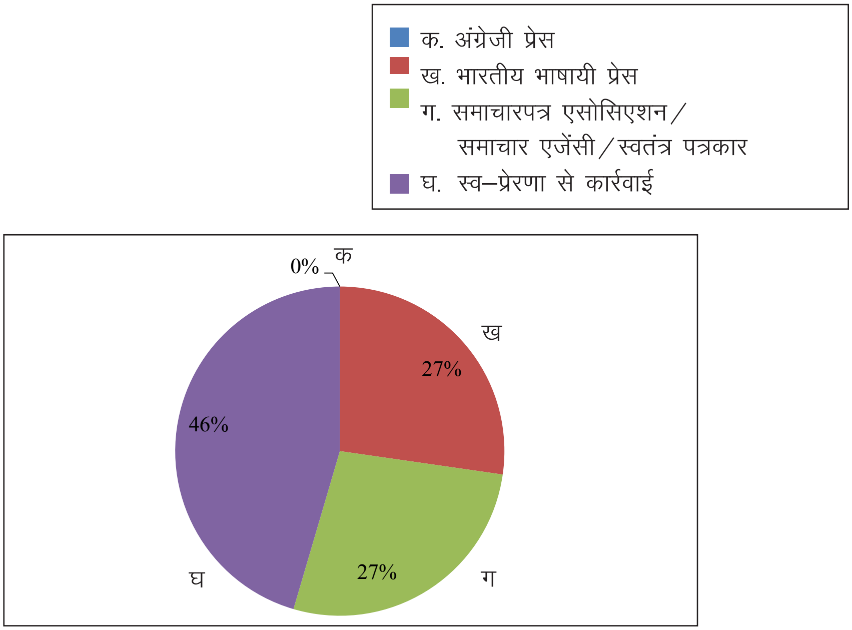

प्रतिवादियों की श्रेणियां

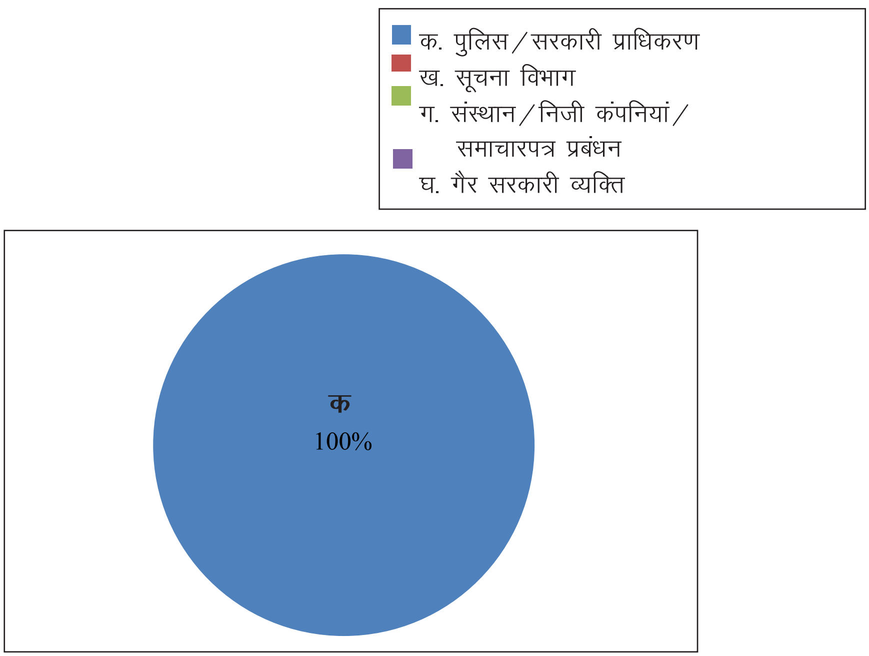

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 11

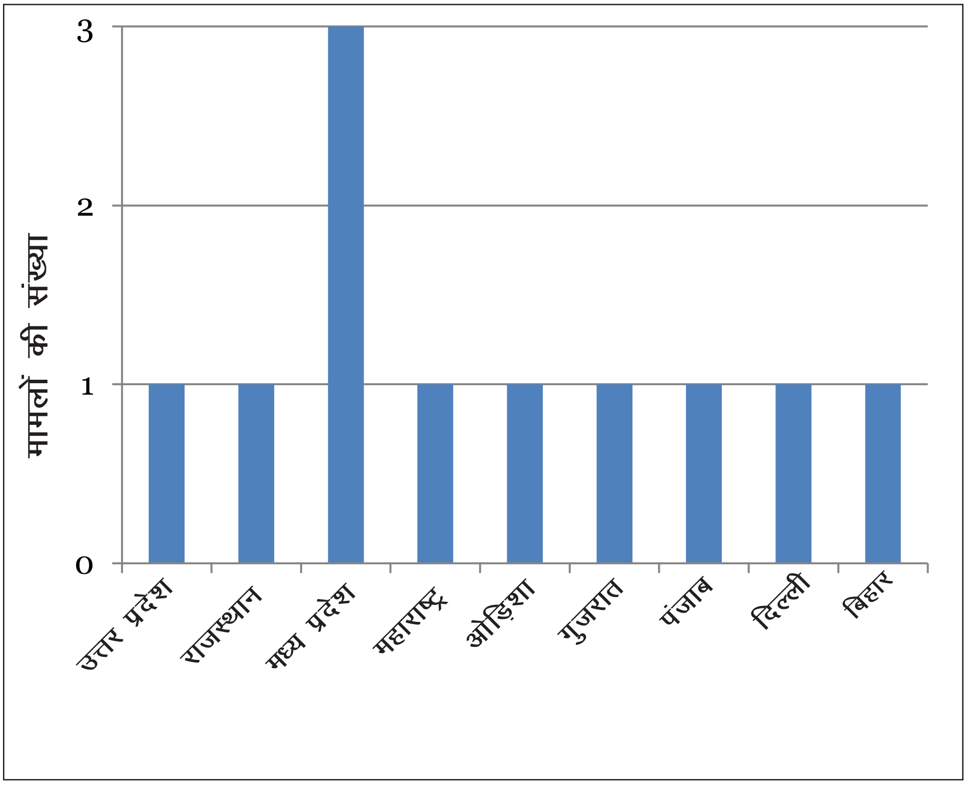

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 11

राज्य	**मामलों की संख्या**
उत्तर प्रदेश	1
राजस्थान	1
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	1
ओड़िशा	1
गुजरात	1
पंजाब	1
दिल्ली	1
बिहार	1
कुल	11

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें जनमत को ढालने की अपार शक्ति है और इससे जनहित और सूचना के अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, मुक्त एवं आलोचनात्मक लेखन अपरिहार्य रूप से उन लोगों को उलझन में डालने की क्षमता रखते हैं, जिनके विरूद्ध ऐसे लेख प्रकाशित किये गये हैं।

प्रेस को, बार–बार, अपने वृतिक कर्तव्यों का ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से निर्वहन करने में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पत्रकारों को अक्सर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जैसे शारीरिक हमला, झूठे आरोप, उनके घरों या प्रेस कार्यालयों पर छापे, अपहरण, और गंभीर मामलों में, यहां तक कि हत्या तक भी – ये सभी कथित तौर पर उनके पत्रकारीय कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। पत्रकारों का उत्पीड़न न केवल प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है बल्कि आतंकवादी व उग्रवादी या अन्य असामाजिक तत्व भी उन्हें उत्पीड़ित करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद ने ऐसे कुल **चार (4)** मामलों का न्याय–निर्णयन किया। इनमें से, **एक (1)** मामले का समर्थन किया गया, जबकि **दो (2)** मामलों को बंद कर दिया गया। मामलों के न्यायाधीन हो जाने या परिषद द्वारा मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने की आवश्यकता न होने के कारण शेष **एक (1)** मामले को समाप्त कर दिया गया।

नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है।

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 4

क.	अनुमोदित	1
ख.	कार्रवाई बंद	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	1

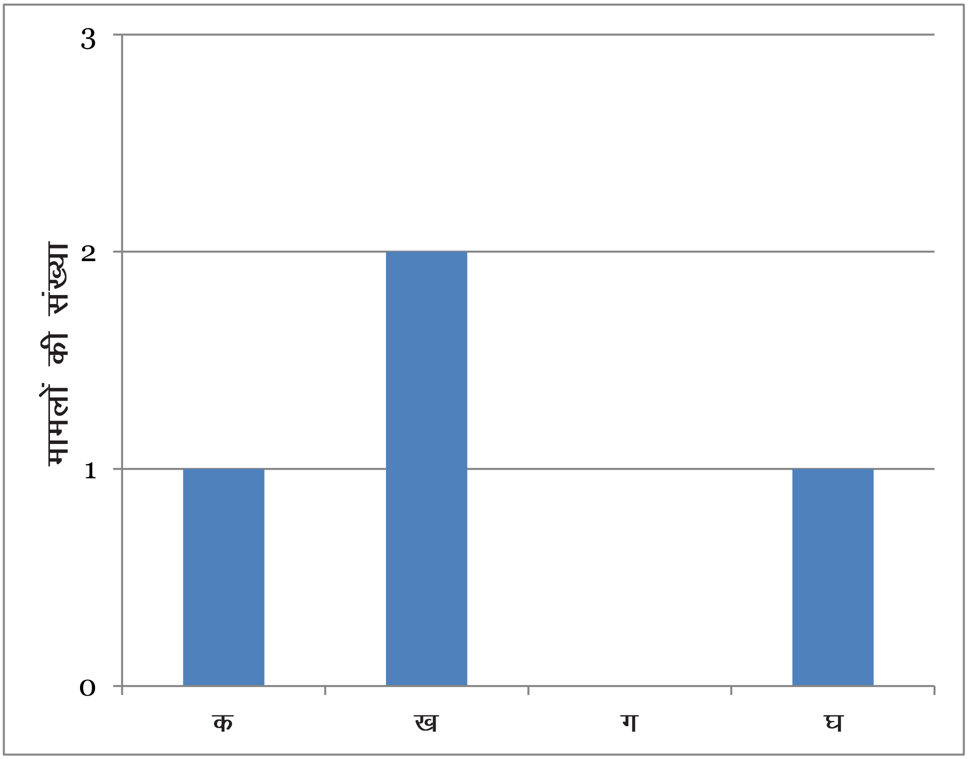

प्रेस को सुविधाएं

संसद द्वारा पारित 1978 के क़ानून द्वारा भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने और प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद को अधिदेशित किया गया है। इसे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ङ) द्वारा सुदृण किया गया है, जिसके तहत परिषद को ऐसे किसी भी बात, जिससे लोक–हित के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो, की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। परिषद से कई अवसरों पर यह अनुरोध किया गया है कि वह, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों को अनुचित या मनमाने ढंग से जारी करने से इंकार करने, या पत्रकारों को मान्यता देने से इनकार करने की ऐसी शिकायतों की जांच करे, जिससे उन्हें सरकार से संबंधित समाचार या जानकारी इकट्ठा करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। इस तरह की कार्रवाई, समाचारपत्रों, विशेष रूप से मध्यम और छोटी श्रेणियों के क्षेत्रीय समाचारपत्रों की वित्तीय सक्षमता पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। परिषद ने देखा है कि, कई बार, समाचारपत्रों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी, इनका उपयोग समाचारपत्र के संपादकीय को नियंत्रित करने के माध्यम के रूप में करते हैं।

परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष में ऐसे **एक (1)** मामले पर न्यायनिर्णयन किया, जिन्हें वापस लिए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया। नीचे दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस को सुविधायें

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 1

क.	अनुमोदित	0
ख.	कार्रवाई बंद	0
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/ न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	1

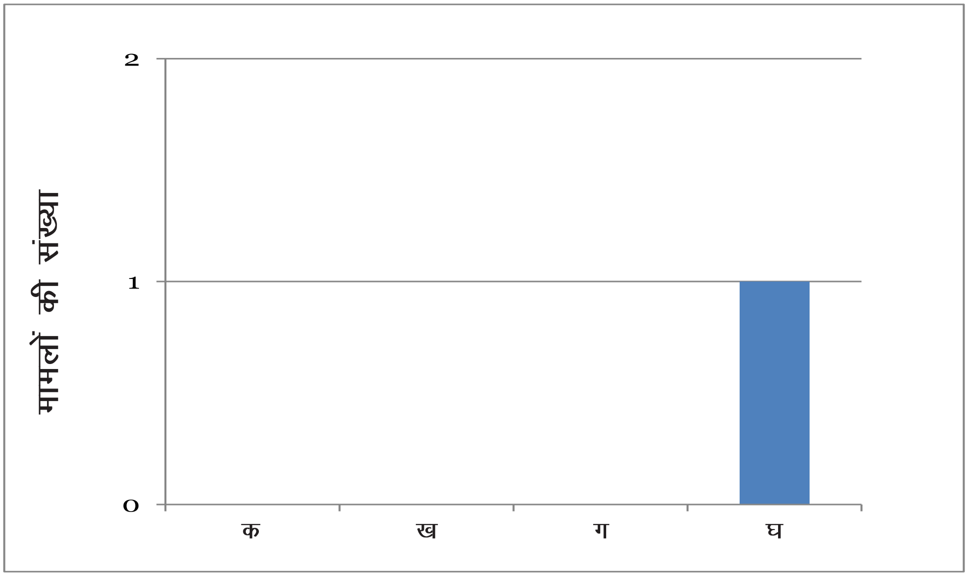

प्रेस की स्वंतत्रता के उल्लंघन के संबंध में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

भारतीय प्रेस परिषद को इसके अध्यक्ष के माध्यम से, प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के तहत, गंभीर चिंतन के मामलों में, अन्य बातों के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले या कटौती से संबंधित मामलों में *स्व–प्रेरणा* से संज्ञान लेने की शक्ति का प्रयोग करती है। तत्पश्चात् प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 14 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी में आने वाले **पाँच (5)** न्यायनिर्णय उन विशिष्ट साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सकता है। इनमें से **तीन (3)** मामलों का समर्थन किया गया, जबकि **एक (1)** मामले में कार्रवाई बंद कर दी गई, क्योंकि मामला पीड़ित के पत्रकारिता कर्तव्य से संबंधित नहीं था। सम्बद्ध पत्रकार द्वारा जारी न रखे जाने के कारण **एक (1)** मामले में कार्रवाई बंद कर दी गई। निम्नलिखित आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के संबंध में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 5

क.	अनुमोदित	3
ख.	कार्रवाई बंद	1
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	1

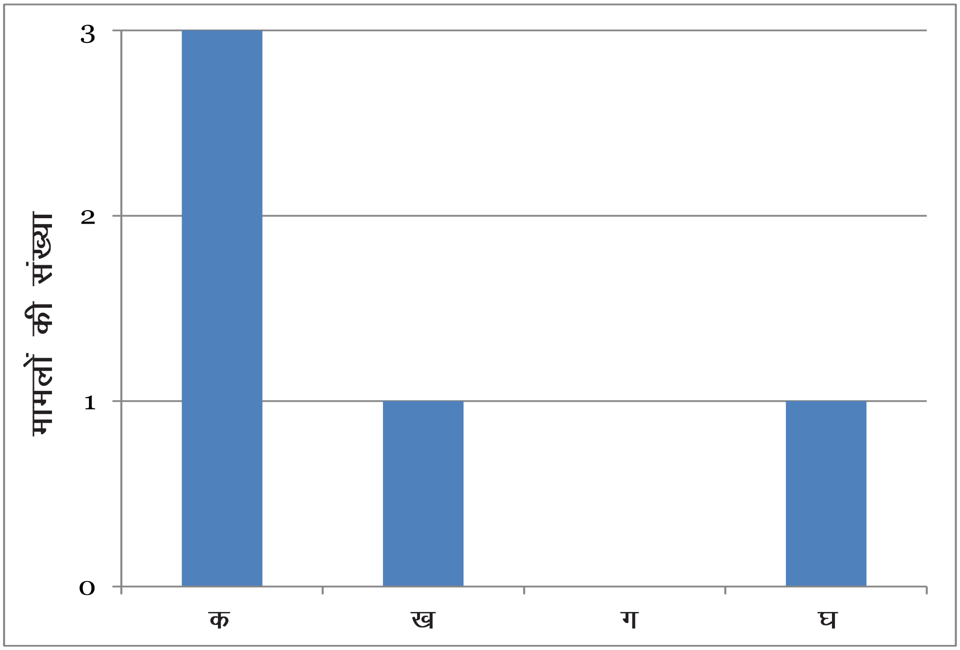

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज का एक मौलिक पहलू है और एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है, जो अन्य प्रकारों की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। हालाँकि, विभिन्न संस्थाएँ जैसे प्राधिकरण, राजनीतिक, सामाजिक, या धार्मिक संगठन और अन्य दबाव समूह, अक्सर उन मुद्दों पर, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, पर प्रेस के स्वतंत्र विचारों को मूक करने हेतु उसपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ऐसा वे पत्रकारों को समाचार कवर करने से रोककर, प्रेस कर्मियों को धमकी देकर या उन पर शारीरिक हमला करके या प्रेस की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रेस में छापे मारना, समाचारपत्रों के अंकों के परिचालन को रोकना जैसे अन्य तरीके हैं, जिनसे प्रेस की निर्विघ्न कार्यप्रणाली में बाधा डाली जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता को, ऐसे प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए, परिषद प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों के प्राप्त होने पर, उन पर निर्णय लेती है।

परिषद ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, **एक (1)** ऐसे मामले पर न्यायनिर्णय किया, जिसे पत्रकारिता कर्तव्य से संबंधित नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया था।

नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 1

क.	अनुमोदित	0
ख.	कार्रवाई बंद	1
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/होने के कारण बंद	0

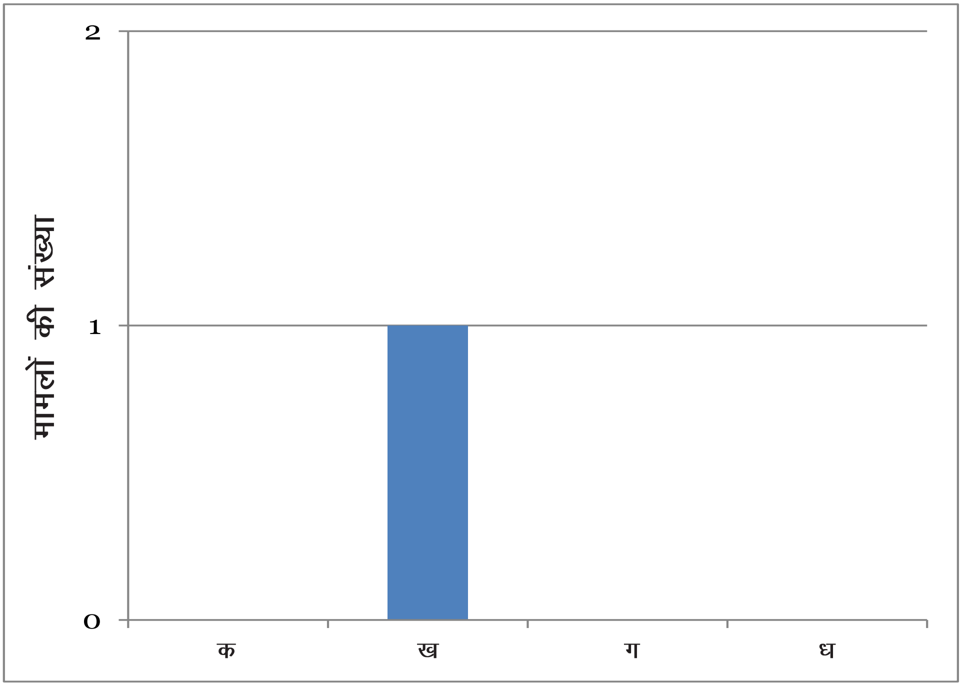

अध्याय–VI

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

पिछले अध्याय में हमने, प्राधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा समाचारपत्रों को अपने हिसाब से चलने के लिए समय–समय पर अपनाई गई विभिन्न दबावपूर्ण युक्तियों का अवलोकन किया है। लेकिन यह समग्र तस्वीर का मात्र एक पहलू है। ऐसी कई घटनायें हुई हैं, जहां प्रेस ही अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उच्च पत्रकारिता के विपरीत है।

भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख दायित्व है– प्रेस के स्तर में गिरावट को रोकना और पत्रकारिता–नीति को बनाए रखना तथा उसके विकास को बढ़ावा देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, परिषद को पत्रकारिता के औचित्य और रुचि के मान्यता प्राप्त नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए, प्रेस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये उल्लंघन किसी समाचारपत्र में समाचारों, वक्तव्यों, कार्टूनों, चित्रों, तस्वीरों, स्ट्रिप्स या विज्ञापनों के प्रकाशन या गैर–प्रकाशन संबंधी हो सकते हैं। परिषद, पब्लिक द्वारा संपादकों, श्रमजीवी पत्रकारों या समाचारपत्रों के कर्मचारियों द्वारा वृत्तिक कदाचार के विरुद्ध दायर मामलों पर भी विचार करती है। परिषद, न्यायनिर्णयन और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से प्रेस के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है, ताकि वह नैतिक सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय उनका अनुपालन करे। परिषद के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि कुल शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा प्रेस के खिलाफ था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद को प्रेस के विरूद्ध **865** शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के **801** मामले लंबित थे। अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरूद्ध परिषद को कुल मिलाकर **1666** शिकायतों पर विचार करना था। इनमें से, **29** मामलों का न्यायनिर्णयों के ज़रिये निपटान किया गया, **693** मामले दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी या अनभियोजन या मामला न्यायाधीन होने के कारण शिकायतों को खारिज किये जाने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये। अतः समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में **944** मामले लंबित थे।

निम्नलिखित आलेख प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों को दर्शाता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

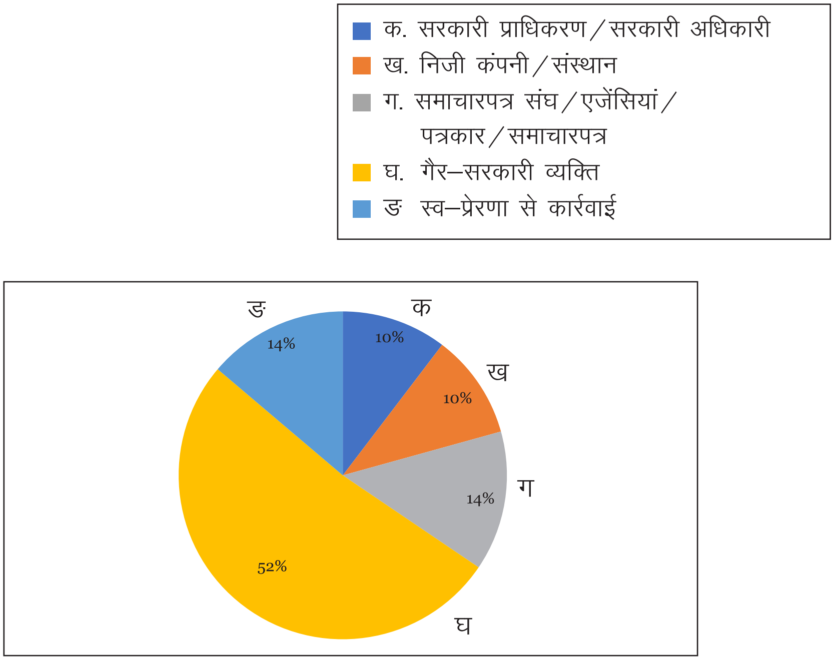

प्रतिवादियों की श्रेणियां

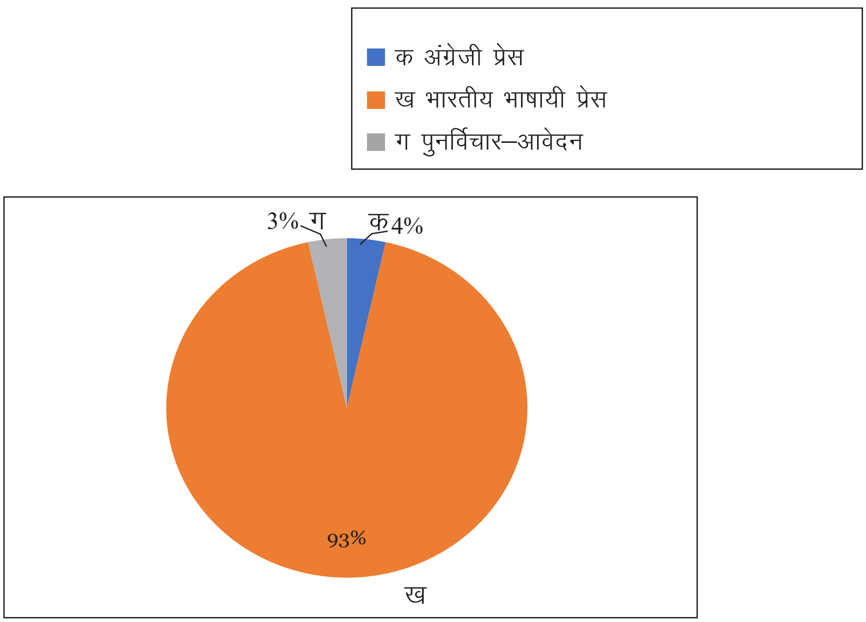

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 29

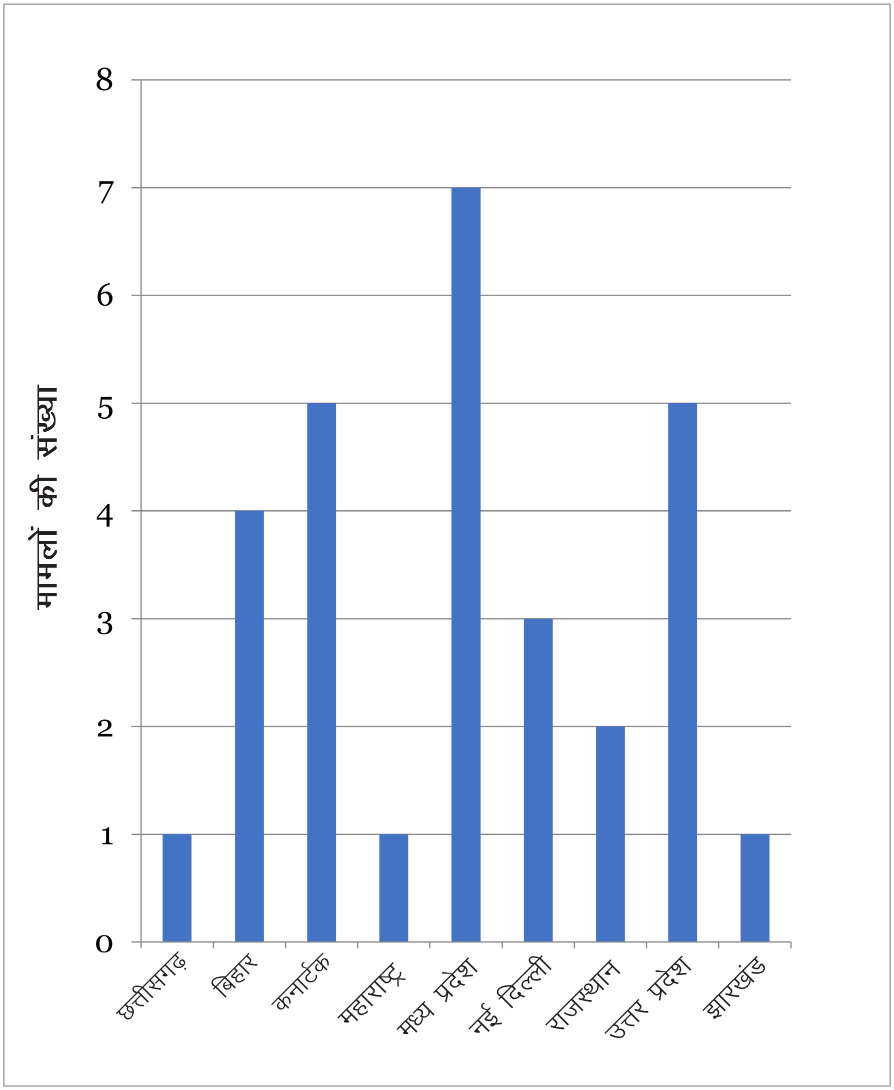

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 29

राज्य	**मामलों की संख्या**
छत्तीसगढ़	1
बिहार	4
कनार्टक	5
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	7
नई दिल्ली	3
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	5
झारखंड	1
कुल	29

सिद्धांत और प्रकाशन

गलतियां मनुष्यों से ही होती हैं और अन्य व्यक्तियों की तरह ही प्रेस भी, कभी–कभी, किसी व्यक्ति या सरकारी कर्मियों और संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत रिपोर्टें या लेख प्रकाशित कर सकती है। तुरंत सुधार इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, अक्सर जब व्यथित व्यक्ति मामले में अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवाद या प्रत्युत्तर भेजता है, तो संपादक, उत्तर के अधिकार के सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ करते हुए, उसे प्रमुखता देते हुए तुरंत प्रकाशित करने का इच्छुक नहीं होता है।

ऐसी कई अन्य सामान्य आचार नीतियां हैं जो प्रेस को उनके द्वारा कार्रवाई करने में और पाठकों के प्रति उनके रवैये के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इनके कथित उल्लंघन के कारण पाठक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परिषद का रूख करते हैं। कई वर्षों से अपनी सांविधिक ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, प्रेस परिषद ने, भिन्न–भिन्न मामलों के आधार पर अपने न्यायनिर्णयों व विभिन्न मुद्दों पर सरकारी प्राधिकरण या संस्थानों या न्यायालयों की घोषणाओं से निकाले गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिये पत्रकारिता के आचरण के मानक विकसित किये हैं। परिषद का इन न्यायनिर्णयों के जरिये यही प्रयास रहा है कि वह उस विश्वास, आदर व गरिमा को बनाये रखने में प्रेस की सहायता कर सके, जिसके वह योग्य है।

इस वर्ष परिषद को पत्रकारिता नीति/दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस वर्ष दिये गये **आठ (8)** न्याय–निर्णय इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से **पाँच (5)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **3 (तीन)** मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाये। निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है ।

सिद्धांत और प्रकाशन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 8

क.	अनुमोदित	5
ख.	कार्रवाई बंद	3
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	0

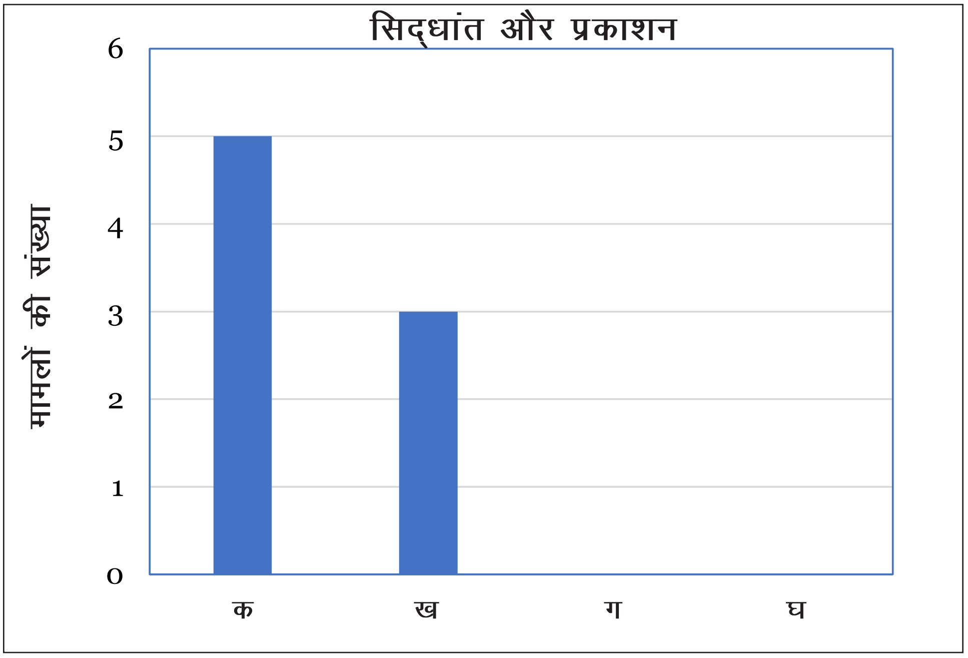

प्रेस और मानहानि

संपूर्ण इतिहास में, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज द्वारा उन्हें दिया जाने वाला सम्मान, और उनकी नैतिक और बौद्धिक निष्ठा में रखा गया विश्वास, उनकी सबसे मूल्यवान धरोहर मानी जाती है। मानवीय मूल्यों के संरक्षण और अच्छी सोच प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, मानहानि से संबन्धित पत्रकारिता नीति के मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

जब मानहानि की बात आती है, तो किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और किसी की प्रतिष्ठा का संरक्षण के अधिकार के बीच बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। प्रेस को अक्सर इस महीन रेखा से संबंधित काम सौंपा जाता है, क्योंकि उन्हें मानहानि से बचने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ किसी व्यक्ति के अधिकार में संतुलन करना होता है। अतः, व्यक्तियों को बदनाम करने से बचने और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेस के लिए सावधानी बरतना और नैतिक मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

परिषद ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के संबंध में इस वर्ष **तेरह (13)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये। इनमें से **दो (2)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **पाँच (5)** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। **तीन (3)** मामलों में, प्रतिवादी ने या तो सुधार कर लिया या दोनों पक्षों के बीच मामले में समाधान हो गया। मामले के न्यायाधीन होने के कारण **तीन (3)** शिकायतों में कार्रवाई बंद कर दी गयी। आलेखीय प्रस्तुति स्थिति को और स्पष्ट करती है।

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 13

क.	अनुमोदित	2
ख.	कार्रवाई बंद	5
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	3
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने क कारण बंद	3

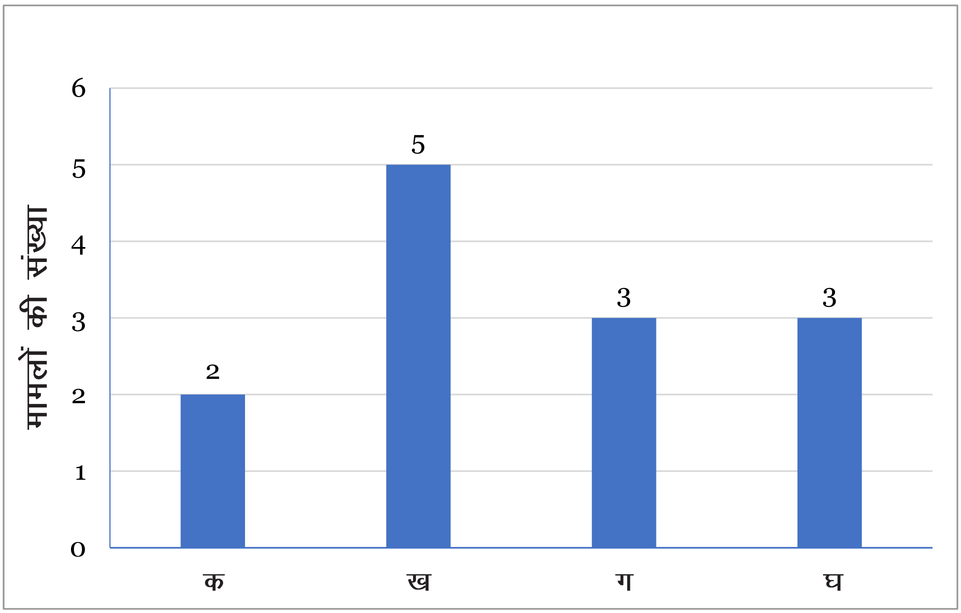

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई–प्रेस के विरुद्ध

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के विनियमन 13 के तहत, यदि परिषद के अध्यक्ष द्वारा पत्रकारिता नीति या आचरण के उल्लंघन के संबंध में किसी मामले को गंभीर माना जाता है, तो वे *स्वतः संज्ञान* ले सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर लागू होता है। विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

इस संबंध में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले **चार (4)** न्यायनिर्णयों की जांच की गई। **एक (1)** मामले का समर्थन किया गया जबकि **तीन (3)** मामलों को प्रतिवादियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर समाप्त किया गया। दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई–प्रेस के विरूद्ध

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 4

क.	अनुमोदित	1
ख.	कार्रवाई बंद	0
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	3
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0

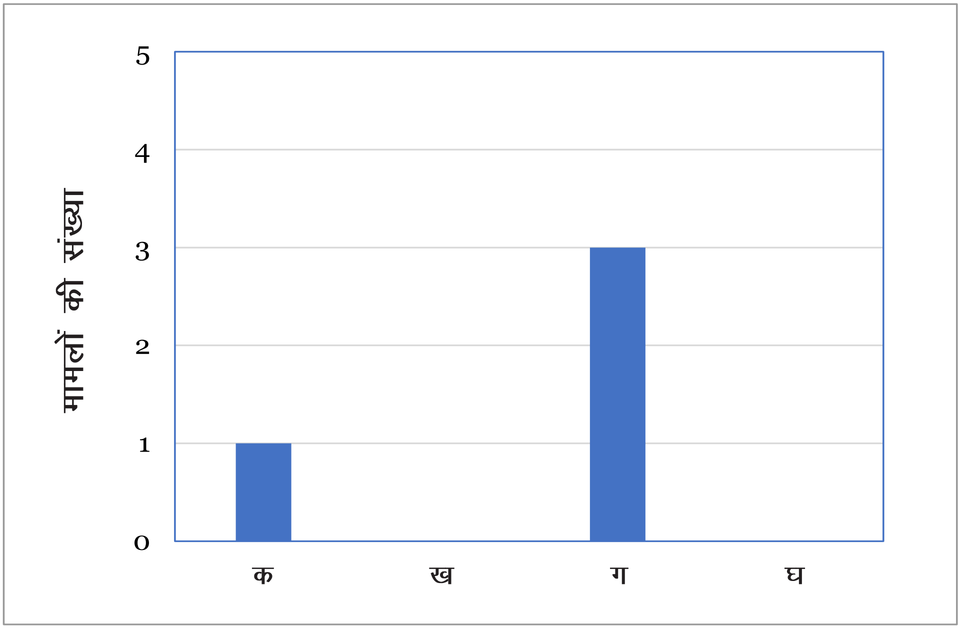

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेखन

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं सहित मीडिया का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के एक विशाल देश होने के कारण, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले और विभिन्न जातियों और पंथों से संबंधित लोग इस देश में रहते हैं। इन विविधताओं के बावजूद, यहां एकता है जोकि भारत का गौरव है। हालाँकि, कुछ विभाजनकारी तत्व, सांप्रदायिकता, जातिवाद और सामाजिक पूर्वाग्रहों का प्रचार करके और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच व्यापक अंतर पैदा करके इस एकता में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। मीडिया ऐसी विभाजनकारी ताकतों पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने इस श्रेणी में **दो (2)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया और **दोनों** शिकायतों का समर्थन किया गया। आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेखन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 2

क.	अनुमोदित	2
ख.	कार्रवाई बंद	0
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0

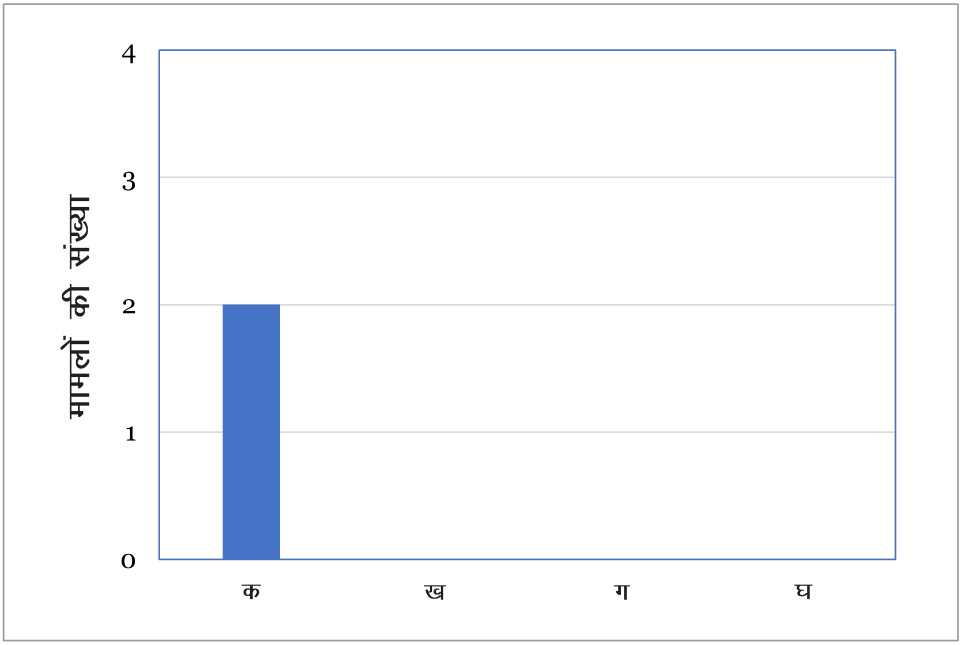

भ्रामक विज्ञापन

वाणिज्यिक विज्ञापन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक जानकारी की तरह ही सूचना का एक प्रकार हैं। दृष्टिकोण और जीवन के तरीकों को आकार देने में विज्ञापन कम से कम उतने प्रभावी तो हैं ही, जितना अन्य प्रकार की सूचनाएं एवं टिप्पणियां होती हैं। समाचारपत्रों को ऐसा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो गैरकानूनी या अवैध हो, या सार्वजनिक शालीनता, सद्रुचि या पत्रकारिता नीति या औचित्य के विपरीत हो। इसके अतिरिक्त, पत्रकारिता औचित्य की मांग है कि समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों में जनता को गुमराह करने वाले अपर्याप्त विवरण नहीं होने चाहिए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने इस श्रेणी के अंतर्गत **दो (2)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय किया और **दोनों** शिकायतों का समर्थन किया गया।

आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

भ्रामक विज्ञापन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 2

क.	अनुमोदित	2
ख.	कार्रवाई बंद	0
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0

भ्रामक विज्ञापन

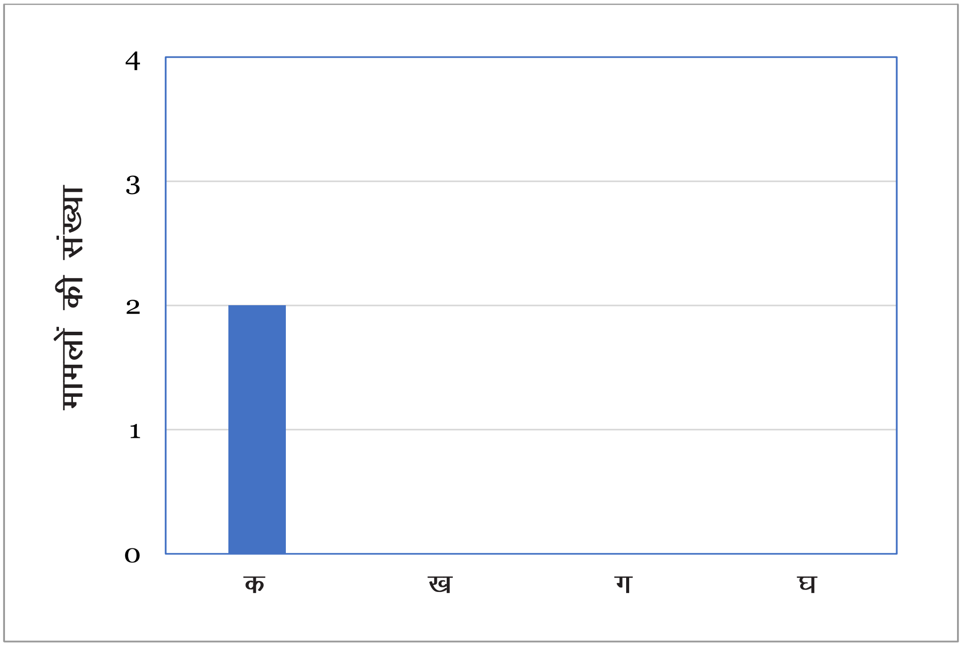

अध्याय–VII
परिषद का वित्त 2022–23

परिषद की निधि के मुख्य स्त्रोत हैं :– (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा जमा राशि पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए परिषद का बजट अनुमान, जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में स्वीकृत किया गया था, 2718.00 लाख रूपये था। वर्ष 2022–23 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केंद्र सरकार ने 1056.00 लाख रूपये (सहायता अनुदान) स्वीकार किये जिसमें अनुमानित 181.34 लाख रूपये की परिषद की राजस्व आवतियां शामिल हैं।

परिषद ने वर्ष 2022–23 में केंद्र सरकार से 800.21 लाख रूपये (सहायता अनुदान के रूप में 6,23,14,141.00 रू॰ + पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के रूप में 1,77,06,631 रू॰) का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया जबकि परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गए शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक मे एफ॰डी॰आर॰ पर ब्याज इत्यादि से 217.45 लाख रू॰ एकत्रित किये। इसमें से 160.95 लाख रूपये लेवी शुल्क से प्राप्त हुए और 56.50 लाख रूपये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य विविध प्राप्तियों, जैसे बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफडीआर पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त हुए।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि "भारतीय प्रेस परिषद के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए।" वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारतीय प्रेस परिषद के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित किया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा–लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) के तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

i हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं;

ii तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं।

iv हमारा आगे प्रतिवेदन है किः

क सामान्य

क.1 85.21 लाख रुपये की राशि को "उगाही शुल्क उचंत" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। पीसीआई को इस राशि का मूल अभिलेखों से समाधान करने और सस्पेंस खाते का जल्द से जल्द निपटान करने की जरूरत है। पिछले वर्षों के दौरान भी यह चिन्हित किया गया था, तथापि परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची की लेखांकन नीति 7 के अनुसार, सेवानिवृत्ति हितलाभों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। लेखांकन नीति में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 और एकरूप लेखा फॉर्मेट का उल्लंघन था।

क.3 1990–91 से 2022–23 तक अनुसूची–6 (विविध देनदारों के रूप में वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि) के तहत 'लेवी शुल्क के कारण' (6 महीने से अधिक समय से) के अंतर्गत 1496.17 लाख रुपये की राशि बकाया थी। इसमें से 95.32 लाख रू. की राशि 1990–91 से 2017–18 की अवधि से संबंधित थी। इन लंबे समय से लंबित अग्रिमों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए।

ख सहायता अनुदान

वर्ष 2022–23 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 6.23 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई। पीसीआई के पास पिछले वर्ष की 1.99 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि थी और वर्ष के दौरान 2.17 करोड़ रुपये की आंतरिक प्राप्तियां थीं। 10.39 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से, पीसीआई ने केवल 9.43 करोड़ रुपये का उपयोग किया और मंत्रालय को 0.38 करोड़ रुपये (वर्ष 2021–22 के लिए जीआईए से 0.21 करोड़ रुपये और वर्ष 2022–23 के लिए जीआईए से 0.16 करोड़ रुपये) वापस कर दिए, जिसके कारण चालू वर्ष के अंत में 0.58 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि शेष रह गयी।

ग प्रबंधन पत्र :

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है ।

v. पूर्व अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।

क जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2023 को भारतीय प्रेस परिषद के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा

ख जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
हेतु और उनकी ओर से

ह0/–

स्थानः नई दिल्ली — **राजीव कुमार पांडे**

दिनांकः 29/09/2023 — **लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय)**

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

परिषद की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं है। परिषद की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी भी लंबित है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

- सांविधिक ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008 से 2021–22 की अवधि के लिए बाह्य ऑडिट (सीएण्डएजी) के 21 ऑडिट पैरा और आंतरिक ऑडिट के 2017–21 की अवधि के 2 लेखापरीक्षा पैरा अभी भी बकाया हैं।
- जोखिम निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोकि परिषद की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद में नहीं पाए गए।
- परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर निर्धारित फॉर्मेट में नहीं बनाया गया।
- वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022–23 के लिए, नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022–23 के लिए, पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

लेखा बही के अनुसार 31 मार्च 2023 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था।

6. उपलब्ध कराए गए लेखा का फ़ॉन्ट बहुत छोटे आकार का था, इसलिए ठीक से पढ़ने योग्य नहीं था। यह सलाह दी जाती है कि लेखा को उचित सुपाठ्य फ़ॉन्ट आकार में प्रिंट करें।

तुलन पत्र

31 मार्च 2023 तक

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2023 तक का तुलन पत्र

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
देयता			
पूंजीगत निधि	1	21,67,42,408	21,05,28,861
अंशदायी भविष्य निधि	2	7,69,22,381	7,72,91,273
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	2,31,69,082	3,73,03,696
कुल		**31,68,33,871**	**32,51,23,830**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	5,99,09,577	6,05,77,805
निवेश–उदिद्ष्ट निधि	5	8,64,78,217	7,64,34,638
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	17,04,46,077	18,81,11,387
कुल		**31,68,33,871**	**32,51,23,830**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 13

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां 14

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	1,93,72,887	2,41,65,144
सरकार से अनुदान	8	6,65,23,064	5,38,21,586
अर्जित ब्याज	9	48,47,026	49,84,188
कुल (क)		**9,07,42,977**	**8,29,70,918**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	6,45,05,085	6,67,97,278
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	1,95,48,286	1,44,52,252
वित्त खर्च	12	678	2,986
मूल्यह्रास	4	16,70,576	18,01,885
कुल (ख)		**8,57,24,625**	**8,30,54,401**
– पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे)			(5,08,129)
– आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क–ख)		50,18,353	(83,483)
– सामान्य रिजर्व में/से अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) तुलन पत्र में ले जाया गया		50,18,353	(5,91,612)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के
तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 1–पूंजी निधि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	7,67,40,751		2,54,03,830	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधि	11,95,194		5,13,36,921	
	7,79,35,945		7,67,40,751	
घटाएंः अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	-	7,79,35,945	-	7,67,40,751
ख. आय और व्यय लेखाः				
वर्ष के आरंभ में शेष	13,37,88,110		13,43,79,722	
जोड़ें/(घटाएं) : आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	50,18,353		(5,91,612)	
जोड़े/(घटाएँ) अन्य समायोजन		13,88,06,462		13,37,88,110
योग		**21,67,42,408**		**21,05,28,861**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 2 – सी.पी.एफ. निधि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	निधि का अथ शेष		7,72,91,273		7,56,42,517
ख)	निधि में वृद्धि				
i.	सी.पी.एफ. में परिषद का योगदान	17,74,320		17,59,649	
ii.	सी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	-		-	
iii	सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	60,58,080		66,92,180	
iv	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज				
	- कर्मचारियों का योगदान	30,16,028		31,36,981	
v	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज – परिषद का योगदान	18,58,995		19,10,689	
			1,27,07,423		1,34,99,499
योग (क+ख)			**8,99,98,696**		**8,91,42,016**
ग)	निधि के उद्देश्यों पर उपयोग/ व्यय सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(9,04,122)		(39,46,300)	
	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(95,07,639)		(89,41,467)	
	वसूल किए गए/(भुगतान किए गए) सीपीएफ अग्रिम	(26,64,554)		5,74,498	
	पूर्व अवधि समायोजन	-		4,62,526	
	एनपीएस में अंतरण		**(1,30,76,315)**		**(1,18,50,743)**
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख–ग)			**7,69,22,381**		**7,72,91,273**

अनुसूची 3–चालू देयताएं और प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शुल्क की अग्रिम उगाही	33,53,614	22,78,995
2	उगाही शुल्क उचंत	85,20,749	85,20,749
3	प्रतिभूति जमा	55,105	75,335
4	अव्ययित अनुदान	57,66,490	1,98,65,443
5	अन्य चालू देयताएं	15,918	-
6	पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय	-	-
7	सांविधिक देय राशि	(2,425)	29,637
8	एनपीएस अभिदान	1,05,029	1,17,681
9	व्यय के लिए प्रावधान	53,54,602	64,15,856
योग		**2,31,69,082**	**3,73,03,696**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूची: 4
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023

विवरण	सकल ब्लॉक					
	1.04.2022 को लागत	अथ समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण	31.3.2022 को लागत
			180 दिन तक	180 दिन के बाद		
वातानुकूलक और कूलर	27,40,804.60	-	2,34,736.00	36,982.00	4,16,875.00	25,95,647.60
बायोमेट्रिक मशीन	41,347.00	-	-	28,994.00	-	70,341.00
कार और बाइसिकल	25,49,890.70	-	-	-	-	25,49,890.70
कंप्यूटर/पेरिफ़रल	61,37,188.83	-	2,51,853.00	2,12,943.00	-	66,01,984.83
संगोष्ठी कक्ष						
– सिविल कार्य	21,32,836.00	-	-	-	-	21,32,836.00
– संगोष्ठी तंत्र	1,97,595.00	-	-	-	-	1,97,595.00
– इलैकिट्रकल फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स	5,09,211.00	-	-	-	-	5,09,211.00
– फर्नीचर और फिक्सचर्स	5,00,000.00	-	-	-	-	5,00,000.00
संगोष्ठी तंत्र	27,820.00	-	-	-	-	27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	5,41,485.00	-	-	-	-	5,41,485.00
फ्रैंकिंग मशीन	67,558.00	-	-	-	-	67,558.00
फर्नीचर और फ़िक्सचर	62,75,975.86	-	82,310.00	1,01,400.00	2,81,684.50	61,78,001.36
हीट कन्वैक्टर और हीटर	2,82,903.74	-	30,287.00	36,005.00	41,444.00	3,07,751.74
पट्टे पर ज़मीन	5,16,76,214.00	-	-	-	-	5,16,76,214.00
पुस्तकालय की किताबें	11,24,922.46	-	16,562.00	7,732.00	-	11,49,216.46
मोबाइल फ़ोन	73,021.00	-	-	-	-	73,021.00
कागज कतरन मशीन	64,936.00	-	-	82,000.00	-	1,46,936.00
रेफ्रिजरेटर	1,74,675.00	-	-	22,000.00	96,825.00	99,850.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	1,10,227.00	-	-	-	1,10,227.00	-
स्टेबिलाइज़र	46,161.76	-	7,100.00	-	-	53,261.76
टेप रिकार्डर	18,924.00	-	-	-	-	18,924.00
टेलीविजन	5,26,059.00	-	-	-	47,223.00	4,78,836.00
जल वितरक	1,18,321.00	-	44,290.00	-	35,275.00	1,27,336.00
इंवर्टर और बैट्रियां	13,894.00	-	-	-	31,175.00	(17,281.00)
जूसर मिक्सर ग्राइंडर	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
एयर प्यूरीफायर	3,94,604.00	-	-	-	-	3,94,604.00
सीसीटीवी कैमरा (एक्सेसरी सहित)	2,45,135.00	-	-	-	-	2,45,135.00
वैक्यूम क्लीनर	4,499.00	-	-	-	-	4,499.00
सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	7,990.00	-	-	-	-	7,990.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6,96,422.00	-	-	-	-	6,96,422.00
योग	**7,73,07,620.95**	**-**	**6,67,138.00**	**5,28,056.00**	**10,60,728.50**	**7,74,42,086.45**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूचीः 4
के तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास दर	मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
	31.3.2022 तक	अथ समायोजन	वर्ष हेतु	31.3.2023 तक बेची गई संपत्तियों का मूल्यह्रास	बट्टे खाते	कुल मूल्यह्रास	31.3.2023 को डब्ल्यू डी वी	31.3.2022 को डब्ल्यू डी वी
15.00%	14,78,687.89	-	2,17,156.00	3,49,239.88	-	13,46,604.01	12,49,043.59	12,62,116.71
15.00%	3,101.00	-	7,911.00	-	-	11,012.00	59,329.00	38,246.00
15.00%	17,15,607.00	-	1,25,143.00	-	-	18,40,750.00	7,09,140.70	8,34,283.70
40.00%	53,43,415.36	-	4,60,839.00	-	-	58,04,254.36	7,97,730.47	7,93,773.47
15.00%	13,88,768.00	-	1,11,610.00	-	-	15,00,378.00	6,32,458.00	7,44,068.00
15.00%	1,13,726.00	-	12,580.00	-	-	1,26,306.00	71,289.00	83,869.00
10.00%	2,85,932.00	-	22,328.00	-	-	3,08,260.00	2,00,951.00	2,23,279.00
10.00%	2,47,566.00	-	25,243.00	-	-	2,72,809.00	2,27,191.00	2,52,434.00
15.00%	27,608.00	-	32.00	-	-	27,640.00	180.00	212.00
15.00%	4,33,107.00	-	16,257.00	-	-	4,49,364.00	92,121.00	1,08,378.00
15.00%	42,778.00	-	3,717.00	-	-	46,495.00	21,063.00	24,780.00
10.00%	32,01,165.52	-	3,14,628.00	2,20,146.57	-	32,95,646.95	28,82,354.41	30,74,810.34
15.00%	1,23,097.95	-	29,377.00	29,194.40	-	1,23,280.55	1,84,471.19	1,59,805.79
0.00%	-	-	-	-	-	-	5,16,76,214.00	5,16,76,214.00
40.00%	10,53,567.46	-	36,713.00	-	-	10,90,280.46	58,936.00	71,355.00
15.00%	41,812.00	-	4,681.00	-	-	46,493.00	26,528.00	31,209.00
15.00%	4,870.00	-	15,160.00	-	-	20,030.00	1,26,906.00	60,066.00
15.00%	1,19,377.00	-	5,257.00	65,573.07	-	59,060.93	40,789.07	55,298.00
40.00%	1,08,015.00	-	880.00	1,10,215.81	-	(1,320.81)	1,320.81	2,212.00
15.00%	42,072.52	-	1,678.00	-	-	43,750.52	9,511.24	4,089.24
15.00%	11,181.00	-	1,161.00	-	-	12,342.00	6,582.00	7,743.00
15.00%	3,49,898.00	-	25,239.00	39,320.55	-	3,35,816.45	1,43,019.55	1,76,161.00
15.00%	77,802.00	-	11,291.00	25,740.19	-	63,352.81	63,983.19	40,519.00
15.00%	6,874.00	-	645.00	28,451.73	-	(20,932.73)	3,651.73	7,020.00
15.00%	4,757.00	-	336.00	-	-	5,093.00	1,907.00	2,243.00
15.00%	92,616.00	-	45,298.00	-	-	1,37,914.00	2,56,690.00	3,01,988.00
15.00%	89,718.00	-	23,313.00	-	-	1,13,031.00	1,32,104.00	1,55,417.00
15.00%	1,249.00	-	488.00	-	-	1,737.00	2,762.00	3,250.00
15.00%	1,708.00	-	942.00	-	-	2,650.00	5,340.00	6,282.00
40.00%	3,19,739.00	-	1,50,673.00	-	-	4,70,412.00	2,26,010.00	3,76,683.00
	1,67,29,815.69	**-**	**16,70,576.00**	**8,67,882.20**	**-**	**1,75,32,509.49**	**5,99,09,576.96**	**6,05,77,805.26**

ह0 / –
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 5 – निवेश

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
मियादी जमा				
अथ शेष : मूल राशि	7,35,74,220		7,25,20,384	
: प्रोदभूत ब्याज	28,60,418	7,64,34,638	31,49,522	7,56,69,906
जोड़ें : वर्ष के दौरान एफ डी आर में बढ़ोतरी		8,33,38,181		9,05,28,932
: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	13,16,572		11,41,094	
: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	31,54,972	44,71,544	28,60,418	40,01,512
घटायें : वर्ष के दौरान भुनाये गये अथवा परिपक्व एफडीआर	8,33,23,245	(7,77,66,146)	7,35,74,220	(9,37,65,712)
योग		**8,64,78,217**		**7,64,34,638**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क.	चालू परिसंपत्तियांः				
1.	*विविध देनदारः*				
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने के भीतर)	-	-	-	-
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने से अधिक)	14,96,17,480	14,96,17,480	14,57,94,061	14,57,94,061
2.	*रोकड़ शेष*				
	(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
	अग्रदाय लेखा शेष	50,000		50,000	
	डाक टिकटें	35,490	85,490	23,973	73,973
3.	*बैंक शेषः*				
	- अनुसूचित बैंकों के पासः				
	टीएसए खाता	-		-	
	- इंडियन बैंक	20,95,141		97,61,922	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सामान्य खाता	36,21,348		1,00,53,521	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	3,86,680		3,72,831	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सी.पी. एफ. खाता	30,49,942	91,53,111.42	1,19,28,701	3,21,16,975.67
	निक्षेप खाते				
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	80,62,926		75,05,487	
			80,62,926		75,05,487
	योग (क)		**16,69,19,007**		**18,54,90,497**

ह0 / –
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1	स्टाफ को ऋण:				
	- मनोरंजन एवं आतिथ्य अग्रिम	-		-	
	- स्टाफ को विविध व्यय के लिए अग्रिम	12,100		24,667	
	- उत्सव अग्रिम	281		281	
	- एल.टी.सी. अग्रिम	1,32,984		66,387	
	- स्टेशनरी सामग्री, डाक की खरीदारी के लिए अग्रिम	-	1,45,365	-	91,335
2	प्राप्त मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम				
	- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम				
	- पार्टियों को अग्रिम	30,40,013		12,62,241	
	- यात्रा भत्ता अग्रिम	6,787		6,787	
	- स्रोत पर काटा गया कर	-		7,96,148	
			30,46,800		20,65,176
3	प्रोद्भूत आय				
	क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		3,31,831		4,61,305
4	विभिन्न विभागों के पास निक्षेप		3,074		3,074
	योग (ख)		**35,27,070**		**26,20,890**
	योग (क+ख)		**17,04,46,077**		**18,81,11,387**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं

अनुसूची 7–उगाही शुल्क से तथा अन्य आय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	समाचारपत्रों / पत्रिकाओं / समाचार एजेंसियों से प्राप्त कुल उगाही शुल्कः	1,60,95,200		1,95,87,346	
	जोड़ेः पिछले वर्ष के लिए की गई मांग	1,88,44,000		2,30,92,500	
	घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(63,83,672)		(84,31,629)	
	घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(78,16,196)		(1,01,89,051)	
	घटाएं : अग्रिम / उचंत / विविध प्राप्त शुल्क	(18,95,332)	1,88,44,000	(9,66,666)	2,30,92,500
2	अन्य (स्पष्ट करें)				
	- स्थायी परिसंपत्ति एवं रद्दी कागज़ की बिक्री पर लाभ	9,174		1,42,395	
	- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	700		871	
	- स्मारिका में विज्ञापन से आय	-		-	
	- बट्टे खाते में डाली गई शेष राशि से आय	-		7,68,442	
	- अन्य	5,19,013		1,60,936	
			5,28,887		10,72,644
	योग		**1,93,72,887**		**2,41,65,144**

ह0 / –
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 8 – अनुदान

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	6,23,14,141		11,84,50,292	
- जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,98,65,443		1,16,21,328	
	8,21,79,584		13,00,71,620	
- घटाएं : सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	48,75,023		50,47,670	
- घटाएं: स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	11,95,194		5,13,36,921	
- घटाएं: पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित अनुदान लौटाया गया	38,19,813		-	
- घटाएं: चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	57,66,490	6,65,23,064	1,98,65,443	5,38,21,586
योग		**6,65,23,064**		**5,38,21,586**

अनुसूची 9 – अर्जित ब्याज

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	**सावधि निक्षेपों पर**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	40,43,579		39,37,759	
	- परिक्रामी निधि खाता	4,27,965		5,27,820	
	- सामान्य निधि खाता		44,71,544	63,753	45,29,332
2	**बचत खातों परः**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सामान्य निधि खाता	1,53,745		2,66,264	
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	2,11,488		1,80,357	
	- उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	10,249	3,75,482	8,235	4,54,856
3	**ऋणों पर**				
	क) कर्मचारी / स्टाफ़				
	- आवास निर्माण अग्रिम		-		-
	योग		**48,47,026**		**49,84,188**

ह0 / –
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 10 – स्थापना व्यय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	वेतन और मजदूरी		5,66,68,736		5,41,33,581
2	वेतन की बकाया राशि		7,17,612		6,11,597
3	समयोपरि भत्ता		-		-
4	ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति		6,63,750		9,85,280
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति		21,87,155		16,60,639
6	एल.टी.सी.		3,49,792		5,16,276
7	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण		2,21,136		20,21,831
8	भविष्य निधि में अंशदान		39,14,123		34,39,035
9	स्टाफ़ को प्रशिक्षण		2,000		-
10	सेवा निवृत्ति लाभ		-		35,48,178
			6,47,24,304		6,69,16,417
11	घटाएं : स्टाफ़ से वसूली		(2,19,219)		(1,19,139)
	योग		**6,45,05,085**		**6,67,97,278**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 11 – अन्य प्रशासनिक व्यय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	बिजली और पानी		31,96,459		21,92,057
2	कार्यालय व्यय		22,99,399		25,595
3	मरम्मत और रखरखाव		31,98,746		41,93,814
4	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव		4,19,830		2,74,026
5	यात्रा और परिवहन व्यय		39,83,825		19,54,240
6	किराया, पौर कर और कर		6,39,053		6,41,672
7	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार		5,90,372		6,64,458
8	मुद्रण और स्टेशनरी		16,20,650		19,47,662
9	समाचारपत्र और पत्रिकाएं		1,76,994		1,63,890
10	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार		58,571		31,157
11	बीमा		79,615		74,430
12	कानूनी और वृत्तिक प्रभार		3,53,520		3,96,842
13	मनोरंजन एवं आतिथ्य		4,17,370		1,58,611
14	प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं परीक्षा		3,94,779		9,20,019
15	अन्य – विविध और वर्दी व्यय		1,71,267		16,300
16	विज्ञापन व्यय		8,648		-
17	अन्य व्यय		5,51,846		73,504
18	फ्रैकिंग मशीन की एएमसी		22,066		22,066
19	भिन्न–भिन्न अनुभागों के लिए अन्य पुस्तकें		46,177		11,085
20	स्कैनिंग		-		-
21	चतुर्थ श्रेणी के लिए ड्रेस		-		-
22	शेष बट्टे खाते		-		-
23	स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-		-
24	बट्टे खाते		7,96,148		-
25	कोविड–19 संबंधी व्यय		-		19,520
26	वेबसाइट डेवलपमेंट संबंधी खर्च		4,71,051		5,44,636
27	स्वच्छ भारत परियोजना संबंधी व्यय		51,900		1,26,668
	योग		**1,95,48,286**		**1,44,52,252**

अनुसूची 12–वित्त प्रभार

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	नियत ऋणों पर		-		-
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		678		2,986
	योग		678		**2,986**

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13—महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **लेखा परिपाटी**

   वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए, के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. **लेखा प्रणाली**

   परिषद् लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है– जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए।

3. **निवेश**

   क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

   ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसंपत्तियां माना गया है।

   ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उस पर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई।

4. **नियत परिसंपत्तियां**

   नियत परिसंपत्तियों को, उन पर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है। अर्जन से संबद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजी में परिणत नहीं किया गया है।

5. **मूल्यह्रास**

   मूल्यह्रास आयकर नियमों में विहित दरों के अनुसार चार्ज किया जा रहा है। हालांकि निश्चित परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में लाभ/हानि, बिक्री के वर्ष में ही स्वतः अंकित हैं।

6. **सरकारी अनुदान**

   (क) सरकारी अनुदान में से एक वर्ष में खर्च हुई राशि के अनुसार हिसाब किया जाता है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अव्ययित अनुदान को अलग रख लिया जाता है या वर्ष–प्रति–वर्ष अपनाई गई नीति के अनुसार इसे वर्ष के अंत में सरकार को लौटा दिया जाता है।

   (ख) नियत परिसंपत्तियों में जोड़ने के लिए उपयोग किए गए अनुदान को पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया है।

   (ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।

7. **सेवानिवृत्ति लाभ**

   (क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है इसलिए देय उपदान, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है।

   (ख) वे कर्मचारी, जिनके खाते को एनपीएस में अंतरित कर दिया गया है, के अतिरिक्त परिषद अपने स्वयं के सी.पी.एफ. फंड को संधारित कर रही है।

ह0/–	ह0/–
(नंगसंग्लेम्बा आओ)	**(रंजना प्रकाश देसाई)**
सचिव	अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद	भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14– आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है– रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम एवं सीपीएफ निधि

क. वर्गीकृत राशियों में विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों, पक्षों को अग्रिम, परिवहन भत्ता का अग्रिम एवं कर्मचारियों को लोन/की संबद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है/समाधान नहीं किया गया है।

ख. परिषद्–प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जो कि कम–से–कम, आमतौर पर व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गई राशि के समान है।

ग. सीपीएफ निधि में शेष राशि और सीपीएफ के लिए तदनुरूपी उद्दिष्ट निवेश का समाधान नहीं किया गया है।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

3. आंकड़ों का समूहीकरण

गत वर्ष के समान आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

4. उगाही शुल्क

(क) उगाही शुल्क उचंत (कुल 85,20,749/– रू.):

उगाही शुल्क उचंत खाता, जिसकी राशि **85,20,749/–** रू. है, उगाही शुल्क से संबंधित है जोकि एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए या सीधे बैंक में जमा कराने से प्राप्त हुए। प्रबंधन के पास इसकी पहचान के लिए कोई विवरण/दस्तावेज़ नहीं हैं। अतः इसे उचंत खाते में रखा गया है तथा पिछले वर्षों में अपनाई गई नीति के अनुसार प्रकाशकों के साथ इसका समाधान होने के बाद ही इसे लेवी शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ख) <u>अग्रिम उगाही शुल्क (कुल 33,53,614/— रू.)</u>:

पिछले वर्षों की **14,58,282/—** रू. बकाया राशि के साथ वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वर्ष **18,95,332/—** रू. का अग्रिम उगाही शुल्क समाधान के अधीन है। (01 अप्रैल 2022 को **22,78,995/—** रुपये की बकाया राशि मे से **8,20,713/—** रुपये घटा दिये गए हैं, यानी पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त राशि, चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान समायोजित है।)

5. **<u>बोनस की घोषणा</u>** : परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2022—23 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी बोनस की घोषणा नहीं की और न ही कोई भुगतान किया है।

6. **<u>बैंक शेष</u>** : बैंक शेष को परिषद् के बही खातों के अनुसार लिया गया है। हालांकि बैंकों के अनुसार शेष राशि का समाधान करने के लिए समाधान विवरण तैयार कर दिया गया है।

   प्रबंधन ने समाधान में बकाया राशि की निम्नलिखित प्रविष्टियों पर गौर किया है।

ह0/—	ह0/—
(नंगसंग्लेम्बा आओ)	**(रंजना प्रकाश देसाई)**
सचिव	अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद	भारतीय प्रेस परिषद

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- टीएसए खाता	-		-	
- इंडियन बैंक	97,61,922		53,77,174	
- सामान्य निधि	1,00,53,521		61,94,155	
- उगाही शुल्क खाता	3,72,831		1,79,552	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- सी.पी.एफ खाता	1,19,28,701	3,21,16,976	81,86,998	1,99,37,879
ग) डाक टिकटें		23,973		29,379
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		6,23,14,141		11,84,50,292
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- एफडीआर पर प्रोत्भुत ब्याज	-		27,07,643	
- सावधि निक्षेप	-		9,74,978	
- बचत खाते	3,75,482	3,75,482	4,52,188	41,34,809
ख) ऋण, अग्रिम आदि		-		-
IV. उद्ग्रहण शुल्क और अन्य आय (स्पष्ट करें)				
उद्ग्रहण शुल्क प्राप्त	1,60,95,199		1,95,87,346	
विज्ञापन पावती	-		-	
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री	1,93,100		2,21,100	
सूचना का अधिकार	700		871	
विविध प्राप्तियां	5,19,014		1,60,736	
रद्दी कागज़ की बिक्री	8,920		-	
वसूली –				
- वेतन (विविध)	2,10,077		77,222	
- पुस्तकों से	-		-	
- ई ओएल से	-		-	
- स्मारिका में विज्ञापन से आय		1,70,27,010		2,00,47,275
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियां				
क) एफडीआर को भुनाना	-		-	
- परिक्रामी निधि लेखा	-		-	
- सी.पी.एफ. लेखा	-		7,28,06,403	
- सामान्य निधि	-		57,68,812	
- कर्मचारी हेतु	-	-	-	7,85,75,215

परिषद
के लिए प्राप्तियां और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय	6,01,36,881		5,69,14,911	
(अनुसूची 10 के अनुसार)				
ख) प्रशासनिक व्यय	2,02,44,940		1,20,05,787	
(अनुसूची 11 के अनुसार)		8,03,81,821		6,89,20,698
II. निधि से किए गए भुगतान				
क) परिक्रामी निधि में से किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- ऋणों का संवितरण	-		-	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-	-	-	-
ख) सी.पी.एफ. निधि से	-		-	
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण	-		-	
- परिषद से जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	-	-	-	-
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	1,34,36,898		1,30,35,085	
- सी.पी.एफ. निधि के प्रति	-		-	
ख) अपनी निधि से				
(निवेश–अन्य)	60,00,000		7,90,18,388	
- सुरक्षा जमा राशि	25,000		75,000	
- कर्मचारी के लिए	1,71,785	1,96,33,683	1,99,890	9,23,28,363
IV. स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	24,294		31,454	
- वातानुकूलक एवं कूलर	2,71,718		2,13,416	
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-		1,32,500	
- फर्नीचर तथा फिक्चर	1,83,710		4,19,830	
- हीट कन्वेक्टर	66,292		28,790	
- वॉटर डिस्पेंसर	44,290		-	
- कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	4,64,796		2,46,886	
- एयर प्यूरीफायर	-		45,315	
- स्टेबलाइजर्स	7,100		-	
- बॉयोमीट्रिक मशीन	28,994		41,347	
- लीज होल्ड लैंड	-		5,01,12,447	
- पेपर श्रेडिंग मशीन	82,000		64,936	
- सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	-	-	-	-
- टेलीवीजन, ऑडियो सिस्टम और अन्य	-	-	-	-
- रेफ्रिजरेटर/वाशिंग मशीन	22,000	11,95,194	-	5,13,36,921
ख) पूंजीगत अग्रिम/सीडब्ल्यूआईपी		-		-
V. अधिशेष धनराशि/ऋण लौटाये गये				
क) भारत सरकार को				
- सरकार को लौटाया गया अनुदान	38,19,812	38,19,812	-	

भारतीय प्रेस

31.03.2023 को समाप्त वर्ष

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
VI. कोई अन्य प्राप्तियां				
क) जमा राशि को भुनाना	-	-	7,75,341	7,75,341
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	-		-	
- पक्षों से	-		-	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- सदस्यों या कार्यालय से परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम	-		57,278	
- स्टाफ अग्रिम	3,30,253		4,32,439	
- स्कूटर अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- सीपीएफ अग्रिम	-		-	
- संगोष्ठी/राष्ट्रीय प्रेस दिवस	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-		-	
	-	3,30,253	-	4,89,717
ग) कर्मचारी से वसूली				
- जीवन बीमा अंशदान	1,39,949		1,35,182	
- यात्रा व्यय				
- सी.पी.एफ. अग्रिम वापसी	8,63,197		5,68,660	
- स्थायी संपत्ति की बिक्री/अंतरण				
- सीपीएफ अंशदान	46,77,880		49,63,150	
- एनपीएस अभिदान	22,63,804		12,61,969	
- गैर स्तर के अधिकारियों से वसूली	28,500	79,73,330		69,28,961
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ.निधि में अंतरित राशि:				
- पीएफ में परिषद के अंशदान के लिए	-		25,875	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- अन्य	-		-	
		-		25,875
ड.) अन्य प्राप्तियां				
- जीवन बीमा प्राप्ति	-		-	
- सुरक्षा जमा राशि	4,770		30,214	
- प्राप्त जुर्माना	-		-	
- अन्य	-	4,770		30,214
च) स्रोत पर काटा गया कर	29,83,758	29,83,758	12,57,244	12,57,244
कुल		**12,31,99,693**		**25,07,32,201**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

परिषद
के लिए प्राप्तियां और भुगतान

VI.	वित्त प्रभार (ब्याज)	-			-
VII.	अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क)	सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशिः	-			-
-	कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-			-
-	परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-			-
-	अन्य	-	-		-
ख)	अग्रिम				
-	पक्षों के लिए	-			-
-	पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	-			-
-	संगोष्ठी के लिए	1,35,942			-
-	ऑडिटोरियम बुक करने के लिए	-			-
-	स्टेशनरी खरीदने के लिए	-			-
-	पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	18,33,230		9,33,328	
-	स्टाफ अग्रिम	7,41,707		6,61,315	
-	सदस्यों/अधिकारियों को परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम	-		-	
-	अन्य के लिए		27,10,879		15,94,643
ग)	स्रोत पर काटा गया कर		34,72,185		24,70,628
घ)	अन्य भुगतान				
-	एनपीएस अभिदान	27,47,518		17,99,791	
-	पूर्व अवधि समायोजन	-		20,187	
-	प्रावधान	-		**70,021**	
-	लेवी शुल्क		27,47,518		18,89,999
VIII.	**इति शेष**				
क)	हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		50,000
ख)	बैंक शेष				
-	टीएसए खाता	-		-	
-	इंडियन बैंक	20,95,141		97,61,922	
-	सामान्य निधि	36,21,348		1,00,53,521	
-	उगाही शुल्क खाता	3,86,680		3,72,831	
-	परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		-	
-	सी.पी.एफ. खाता	30,49,942	91,53,111	1,19,28,701	3,21,16,976
ग)	डाक टिकटें		35,490		23,973
			12,31,99,693		**25,07,32,201**

ह0/–
नंगसंग्लेम्बा आओ
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

संलग्नक–क

मामलों का विवरण
1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023

क्र. सं.	विवरण	धारा–13	धारा–14	कुल
1	31.03.2022 को लंबित मामले	345	801	1146
2	1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023 के बीच दर्ज मामले	273	865	1138
3	1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023 के बीच निर्णीत मामले	11	29	40
4	मामले, जो सीधे परिषद को रिपोर्ट किए गए	1	-	1
5	1 अप्रैल, 2022 – 31 मार्च, 2023 के बीच प्रारंभिक चरण में खारिज़ करके समाप्त किए गए तथा परिषद को रिपोर्ट किए गए मामले	210	693	903
6	**31 मार्च, 2023 को कुल लंबित मामले**	**396**	**944**	**1340**

संलग्नक–ख

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की सूची

क्र. सं.	पक्षकार	आदेश की तिथि	स्थिति
1.	श्री जगदीश पुरोहित, बॉम्बे की संपादक, संतुलित समाचार के विरुद्ध अपील। (27/68/22–23–पीआरएबी)	30.08.2022	खारिज
2.	संपादक लोकशाही से उपविभागीय मजिस्ट्रेट, चंद्रपुर के विरुद्ध प्राप्त पुनर्विचार याचिका। (27/67/21–22–पीआरएबी)	30.08.2022	खारिज
3.	संपादक रतलाम दर्शन, मध्य प्रदेश की जिला मजिस्ट्रेट, रतलाम, मध्य प्रदेश के विरुद्ध अपील। (27/56/19–20–पीआरएबी)	30.08.2022	खारिज
4.	श्री धरमवीर कुशवाहा, स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक, राजधानी मीडिया, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की अपील। (27/70/19–20–पीआरएबी)	30.08.2022	समाप्त
5.	घोषणा को अस्वीकार करने और पत्रिका/समाचारपत्रों को प्रकाशित/मुद्रित करने की अनुमति के लिए, श्री आर. राघवन, सेल्वापुरम, कोयंबटूर की अपील। (27/68/22–23–पीआरएबी)	23.09.2022	समाप्त
6.	श्री रविराज ऐवाले, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, दैनिक अप्रतिम, कोल्हापुर की अपर जिला मजिस्ट्रेट कोल्हापुर के विरुद्ध अपील। (27/64/21–22–पीआरएबी)	23.09.2022	समाप्त
7.	श्री शरद औदिच्य, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, म.प्र. की जिला मजिस्ट्रेट, सतना, म.प्र. के विरुद्ध अपील (27/69/22–23–पीआरएबी)	19.10.2022	समाप्त
8.	श्री एम. का. रहमान, मुख्य संपादक, साप्ताहिक तमिल पत्रिका, अम्मा एक्सप्रेस की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.08.2022 के विरुद्ध अपील (27/72/22–23–पीआरएबी)	17.02.2023	समाप्त

संलग्नकः ग

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236667
CG-DL-E-17062022-236667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2659] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
No. 2659] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2792(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई का नामनिर्देशन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम-22011/2/2021-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

संलग्नक–घ

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची (प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	पत्रकारों, श्री दिनेश सिंह भदौरिया, श्री योगेंद्र सिंह भदौरिया और सुमेर सिंह नरवरिया, मध्य प्रदेश की श्री महावीर बघेल, जेल अधीक्षक, उप जेल मेहगांव, सेंट्रल जेल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (13/17/19–20–पीसीआई)	15.11.2022	समर्थन किया गया
2.	श्री योगेंद्र काशीनाथ दोरकर, संपादक, दैनिक नंदुरबार दिनांक उत्तर महाराष्ट्र की डॉ. राजेंद्र भरूड़, कलक्टर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (124/2021–बी)	15.11.2022	समाप्त (शिकायतकर्ता की परिनिंदा)
3.	श्री जगपाल सिंह, संपादक, संवाद्दाता, दैनिक आज, जिला महासचिव, यूपी जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (यूपीजेए), गोंडा, उ.प्र. की श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वी रेलवे स्टेशन, गोंडा, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/207/18–19–पीसीआई)	28.02.2023	समाप्त (शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ)
4.	श्री अनम इब्राहिम, पत्रकार, शाहजनाबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (140/2020–बी)	28.02.2023	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
प्रेस को सुविधाएं			
5.	श्री नवीन दास, संपादक, सत्य रा स्वर निर्भय, भुवनेश्वर की सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर के विरुद्ध शिकायत। (13/94/19–20/पीसीआई)	15.11.2022	वापिस लिए जाने के कारण समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
स्वः प्रेरणा से संज्ञान			
6.	चंडीगढ़ में पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (13/74/स्व–प्रेरणा/19–20–पीसीआई)	22.09.2022	मुआवज़ा देने के निदेश एवं टिप्पणी के साथ समाप्त
7.	फोटो–पत्रकारों, श्री अनिल सिन्हा और श्री संजीव वर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स पर हमले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (13/185/स्व–प्रेरणा/19–20–पीसीआई)	22.09.2022	समाप्त
8.	राजस्थान के मुख्यमंत्री की मीडिया और इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को खुले आम धमकी के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (1/2020/एसएम/बी)	15.11.2022	समर्थन किया गया
9.	भोपाल, मध्य प्रदेश में रिपोर्टर, श्री सैयद आदिल वहाब पर कथित हमले और उनकी हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/नवम्बर/4/2020–बी)	15.11.2022	समाप्त
10.	राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की सकारात्मक मीडिया कवरेज के लिए रिपोर्टरों को कथित रूप से रिश्वत देने पर राजकोट कलक्टर के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (23/एसएम/2020–बी)	15.11.2022	समाचारपत्रों की परिनिन्दा एवं सरकारी प्राधिकारी को चेतावनी दी गयी
प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती			
11.	श्री संजय कुमार सिंह, ब्यूरो प्रमुख, प्रातः कमल, जिला– पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार की श्रीमती सुचिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षक, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण, बिहार के विरुद्ध शिकायत। (13/187/17–18–पीसीआई)	22.09.2022	अस्वीकृत

संलग्नक–ङ

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की सूची
(प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धान्त और प्रकाशन			
1	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/531/18–19–पीसीआई)	15.11.2022	शिकायत को व्यर्थ मानते हुए समाप्त
2	श्री सभाजीत यादव, गाँव परकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) की संपादक, अमर भारती, आगरा (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत। (1862/2020–ए)	15.11.2022	परिनिंदा
3	श्री सुमित सिंह, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली की संपादक, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, साप्ताहिक पत्रिका, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (2076/2020–ए–पीसीआई)	15.11.2022	समयबद्ध निदेशों सहित समाप्त
4	श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट, कलक्टरेट, बाड़मेर, राजस्थान की संपादक, दैनिक भास्कर, बाड़मेर, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत। (64/2020/ए–पीसीआई)	15.11.2022	परिनिंदा की गई
5	प्रेस परिषद के निर्णय दिनांकित 22.08.2019 के विरुद्ध संपादक, दैनिक जागरण भागलपुर, बिहार द्वारा दर्ज पुनर्विचार आवेदन दिनांकित 05.11.2019 (14/484/18–19–पीसीआई)	15.11.2022	न्यायनिर्णय आदेश दिनांकित 22.08.2019 का प्रत्याहरण
6	श्री राजीव रंजन द्विवेदी, जनसंपर्क अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (बिहार) की हिन्दुस्तान, पटना बुद्ध मार्ग, पटना (बिहार) के विरुद्ध शिकायत (14/246/18–19–पीसीआई)	15.11.2022	टिप्पणी सहित समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
7	डॉ. लिपि चक्रवर्ती, भिलाई की संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं श्री पीलूराम साहू, रिपोर्टर, दैनिक भास्कर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (14/704/18–19–पीसीआई)	28.02.2023	समर्थन किया गया (प्रतिवादी पत्रकार की परिनिंदा की गई)
8	श्री आनंद मौर्य, क्वालिटी मॉनिटर, मिड–डे मील, जिला पंचायत डिंडोरी, मध्य प्रदेश की जबलपुर एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/477/18–19–पीसीआई)	28.02.2023	निदेश सहित समाप्त
प्रेस और मानहानि			
9	श्री प्रदीप सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बेगमगंज, रायसेन (म.प्र.) की संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/180/19–20–पीसीआई)	15.11.2022	जारी न रखने के कारण निपटारा, कार्रवाई बंद
10	श्री हरीश मिश्रा, संपादक, दैनिक दिव्य घोष, रायसेन, (म.प्र.) की संपादक, दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल, (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/289/19–20–पीसीआई)	15.11.2022	टिप्पणी सहित समाप्त
11	श्री नीरज चौरसिया, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश की संपादक, पेप्टेक टाइम्स, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/321/19–20–पीसीआई)	15.11.2022	व्यक्तिगत विवाद और न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
12	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, स्पष्ट आवाज़, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत । (14/12–21/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित करने पर समाप्त
13	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, राहत टाइम्स, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12–21/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित करने पर समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
14	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, अवामी सालार, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12–21/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	परिनिंदा
15	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, कैनविज टाइम्स, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12–21/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धि पत्र प्रकाशित करने पर समाप्त
16	श्री एस. विजय कुमार, श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार, श्री ए.शिवराज, श्री मोहन कुमार, हसन जिला, कर्नाटक की संपादक, अरसी वर्थे पाक्षिक अर्सिकेरे, हसन जिला, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत (14/25–26/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
17	श्री एस. विजय कुमार, श्री बी. एस. प्रसन्ना कुमार, श्री ए.शिवराज, श्री मोहन कुमार, हसन जिला, कर्नाटक की संपादक, सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक के खिलाफ शिकायत (14/25–26/17–18–पीसीआई)	15.11.2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
18	श्री राकेश रंजन, सुपुत्र श्री चतुर्भुज शर्मा, औरंगाबाद (बिहार) की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना (बिहार) के विरुद्ध शिकायत। (170/2020–ए)	15.11.2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
19	श्री उपदेश सक्सेना मंगल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश की दैनिक भास्कर के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/522/2019–20–पीसीआई)	28.02.2023	खारिज
20	श्री उपदेश सक्सेना मंगल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश की राजस्थान पत्रिका के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/523/2019–20–पीसीआई)	28.02.2023	निदेश सहित समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
21	श्रीमती आरती कुमारी, रांची, झारखंड की दैनिक भास्कर, रांची, झारखंड के विरुद्ध शिकायत। (48 / 2020–ए)	28.02.2023	प्रतिवादी को चेतावनी देने के साथ समाप्त
स्वः प्रेरणा से संज्ञान (प्रेस के विरुद्ध)			
22	दैनिक भास्कर द्वारा टेली–फ्रैंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (14 / 50 / स्वप्रेरणा / 19–20–पीसीआई)	28.02.2023	प्रतिवादी द्वारा वचनबंध देने पर समाप्त
23	राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली के विरुद्ध अश्लील और भद्दे विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (1 / स्वप्रेरणा / 2020–ए)	28.02.2023	टिप्पणियों सहित समाप्त
24	राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली के विरुद्ध अश्लील और भद्दे विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम / जनवरी / 01 / 2021–ए–पीसीआई)	28.02.2023	टिप्पणियों सहित समाप्त
25	भारत की महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ समाचारपत्र, "विश्ववाणी" के विरुद्ध परिषद द्वारा स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया गया। (एसएम / अक्टूबर / 1 / 2022 –ए–पीसीआई)	28.02.2023	कठोर परिनिंदा की गई
साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेखन			
26	श्री सिद्दार्थ के. जे., कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु (कर्नाटक) की श्री एम.गोविंद गौड़ा, संपादक, स्टार ऑफ मैसूर, मैसूरु एवं श्री के.बी. गणपति, मुख्य संपादक, स्टार ऑफ मैसूर, मैसूरु के विरुद्ध शिकायत। (250 / 2020–ए)	15.11.2022	परिनिंदा की गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
27	श्री सिद्दार्थ के. जे., कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु की विजय कर्नाटक, बेंगलुरु के विरुद्ध शिकायत। (1634 / 2020–ए)	28.02.2023	परिनिंदा की गई
भ्रामक विज्ञापन			
28	श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना, बिहार की संपादक, हिंदुस्तान, पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत। (14 / 304 / 17–18–पीसीआई)	22.9.2022	परिनिंदा की गई
29	श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर (राजस्थान) की संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर (राजस्थान) के विरुद्ध शिकायत। (09 / 2020–ए)	15.11.2022	परिनिंदा की गई

संलग्नकः च

न्यायनिर्णयों का आलेख (2022–2023)

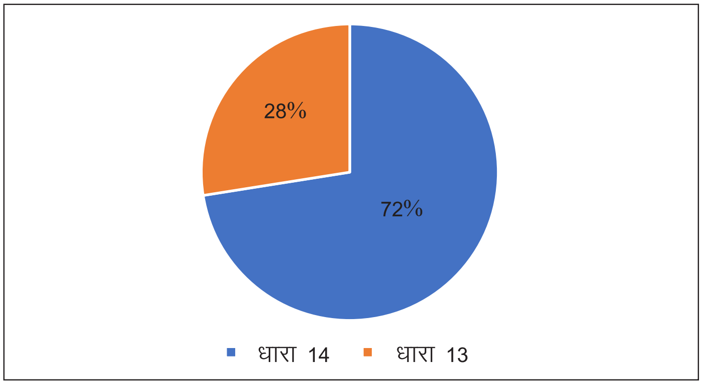

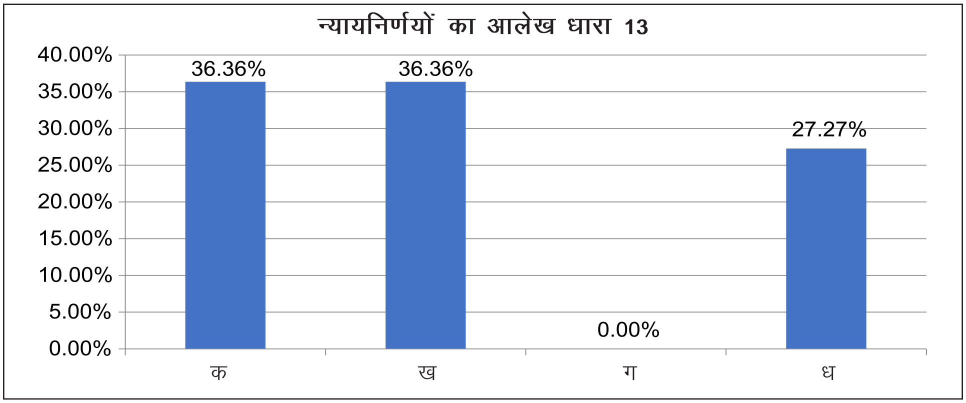

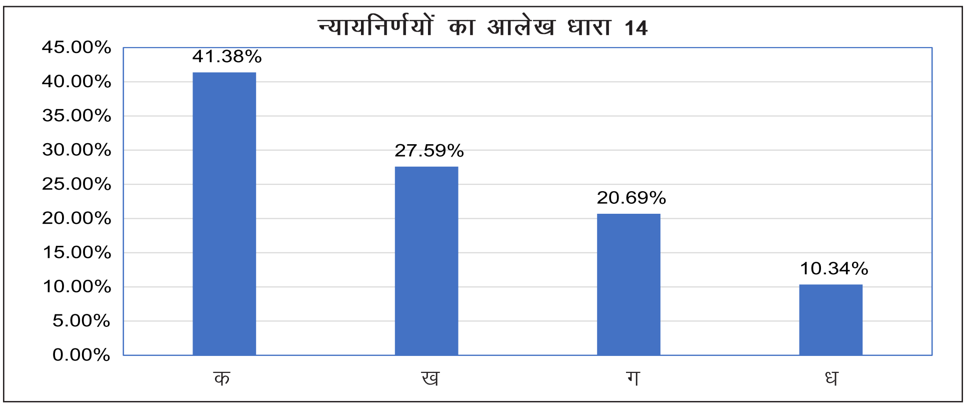

क समर्थित

ख कार्रवाई बंद कर दी गई

ग आश्वासन/निपटान/संशोधन

घ जारी न रखने/न्यायाधीन होने/प्रत्याहरण/निराधार होने के कारण बंद

संलग्नक: छ

प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

1. रिपोर्टिंग करते समय किसी पत्रकार को लगी चोट चिंता का विषय है, भले ही जानबूझकर, पत्रकार को निशाना न बनाया गया हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते समय पुलिस को सतर्क रहना चाहिए।

   (न्यायनिर्णय सं. 13/74/स्व–प्रेरणा/19–20–पीसीआई दिनांकित 22.09.2022)

2. सरकारी कार्यालयों में अधिकतर संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कर्मियों को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की कवरेज के लिए पत्रकारों को कोई धनराशि नहीं देनी चाहिए।

   (न्यायनिर्णय सं. 23/एसएम/2020–बी दिनांकित 15.11.2022)

संलग्नकः ज

प्रेस के खिलाफ दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

1. विज्ञापनदाताओं द्वारा समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन, अपने लेटरहेड पर भेजने चाहिए और पहचान के लिए उन्हें अपने पैन कार्ड का विवरण देना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को धोखा न हो।

(न्यायनिर्णय सं. 14/304/17–18–पीसीआई दिनांकित 22.09.2022)

2. प्रेस को सभी समुदायों के लोगों के बीच भाईचारे का संदेश फैलाना होता है। उसे भारत की 'विविधता में एकता' को मजबूत करना होता है। इसे सांप्रदायिकता की आग भड़काने वाले भड़काऊ लेखन को प्रकाशित करने से परे रहना चाहिए।

(न्यायनिर्णय सं. 250/2020–ए दिनांकित 15.11.2022)

3. किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने वाले आक्षेपित प्रकाशन के बारे में क्षमा याचना या खेद की अभिव्यक्ति भीड़/दंगाइयों के डर से नहीं की जानी चाहिए। यह निकृष्टतम पत्रकारिता का उदाहरण है। ऐसी क्षमा याचना वास्तविक नहीं है।

(न्यायनिर्णय सं. 250/2020–ए दिनांकित 15.11.2022)

4. प्रत्येक समाचारपत्र में एक ऐसा आंतरिक तंत्र होना चाहिए, जिसके द्वारा संपादकों और समाचार रिपोर्टरों के बीच समय–समय पर बातचीत हो सके, ताकि वे पत्रकारिता के आचरण के मानक के महत्व को समझ सकें।

(न्यायनिर्णय सं. 1862/2020–ए दिनांकित 15.11.2022)

5. प्रेस के पास उन सभी विज्ञापनों को, जो उन्हें प्राप्त होते हैं, ठीक से स्कैन करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए और फिर ऐसे विज्ञापनों को अलग करना चाहिए, जो मानकों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं।

(न्यायनिर्णय सं. 14/50/स्व–प्रेरणा/2019–20 दिनांकित 28.02.2023)

6. समाचारपत्र को ऐसे संपादकीय लिखने से बचना चाहिए, जो लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं और सांप्रदायिकता की आग को भड़का सकते हैं। संपादक, समाचारपत्र में सर्वोच्च पद पर होता है और समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें किसी धर्म विशेष के लिए अपमानजनक लेख नहीं लिखने चाहिए। संपादक से इस तरह के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है।

(न्यायनिर्णय सं. 1634 / 2020–ए दिनांकित 28.02.2023)

2022-23

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली